वार्षिक रिपोर्ट 2023

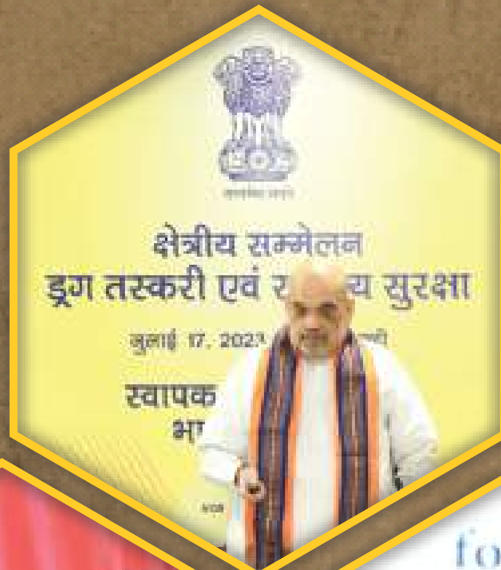

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

narcoticsbureau@nic.in https://narcoordindia.in https://narcoticsindia.nic.in @narcoticscontrolbureau7261 @narcoticsbureau

विजन

सभी हितधारकों के साथ समन्वय और सहयोग के माध्यम से एक ड्रग्स मुक्त समाज के लिए प्रयास करना तथा उनके बीच तालमेल बनाना।

उद्देश्य

केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में, ड्रग्स और मन: प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकनेऔर उससे निपटने के लिए कार्य करना।

सभी संबंधित ड्रग कानूनों के तहत विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रवर्तन से संबंधित कार्रवाई का समन्वय करना।

ड्रग के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों या संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय करना।

अवैध तस्करी के खिलाफ काउंटर उपायों के संबंध में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

समन्वय और विश्वव्यापी कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से काम करना।

राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में, ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित डेटा, मुद्दों और बेंचमार्क के लिए एक कोष और संदर्भ बिंदु बनाना।

उपयुक्त हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों, प्रवृत्तियों और परिचालन क्षमताओं का आकलन और विश्लेषण करना।

ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में शामिल एजेंसियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए निरंतर प्रयास करना।

सिद्धान्त

आसूचना **प्रवर्तन** **समन्वय**

वार्षिक रिपोर्ट
2023

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2023

इस अंक में

महानिदेशक की ओर से

अध्याय 1: भारत में ड्रग्स की तस्करी का परिदृश्य
1.1 प्रवृत्तियां और पैटर्न 2023
1.2 नारकोटिक्स ड्रग्स
1.3 नारकोटिक्स फसलें
1.4 मनः प्रभावी पदार्थ
1.5 प्रीकर्सर रसायन
1.6 फार्मास्युटिकल ड्रग्स
1.7 अवैध प्रयोगशालाओं का पर्दाफाश
1.8 नियंत्रित डिलीवरी
1.9 ड्रग्स का निपटान
1.10 पीआईटी एनडीपीएस
1.11 मनी लॉन्ड्रिंग
1.12 वित्तीय जांच
1.13 नार्को–आतंकवाद

अध्याय 2: क्षमता निर्माण
2.1 प्रशिक्षण
2.2 राज्यों को सहायता
2.3 ड्रग जांच किट
2.4 ड्रग की मांग में कमी
2.5 राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन (नार–के9) पूल
2.6 मानस हेल्पलाइन
2.7 एनसीबी की झांकी

अध्याय 3: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय
3.1 अंतरराष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन
3.2 एनकॉर्ड बैठकें
3.3 राष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन

अध्याय 4: संगठन
4.1 एनसीबी चार्टर
4.2 एनसीबी संगठन
4.3 पदक/पुरस्कार
4.4 राजभाषा हिंदी

अध्याय 5: विधि अनुभाग
5.1 प्रमुख निर्णय

अध्याय 6: डिजिटल पहल
6.1 एनकॉर्ड पोर्टल
6.2 निदान
6.3 सीसीटीएनएस
6.4 एनएएफआईएस

अध्याय 7: अनुलग्नक– I से IV
I. राष्ट्रीय ड्रग प्रवर्तन संबंधी आँकड़े
II. सभी डीएलईए द्वारा ड्रग की राज्य–वार जब्ती
III. गिरफ्तार किए गए विदेशी
IV. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के एएन टी एफ के प्रमुखों का विवरण

मुख्य संरक्षक

सत्य नारायण प्रधान
महानिदेशक

संपादक – मंडल

नीरज कुमार गुप्ता
उप महानिदेशक

विकास कुमार
सहायक निदेशक

राहुल माथुर
सहायक निदेशक

सचिन गुलेरिया
अधीक्षक

सरिता कटारिया
अधीक्षक

ब्रिजेश कुमार
आसूचना अधिकारी

सुरभि मेहंदीरत्ता
सहायक

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
वेस्ट ब्लॉक –1, विंग –5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066
26181553, फैक्स नंबर 011-26185240
narcoticsbureau@nic.in www.narcoticsindia.nic.in
narcoticscontrolbureauindia @narcoticsbureau

Satya Narayan Pradhan, I.P.S.
Director General
Narcotics Control Bureau

West Block - 1, Wing - 5, R. K. Puram
New Delhi -110066 India
Tel. : +91-11-26172089
Fax : +91-11-26105747
E-mail : dg-ncb@nic.in
Twitter : @dg_ncb

सत्य नारायण प्रधान, भा.पु.से.
महानिदेशक
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
पश्चिमी खंड-1, विंग-5, आर. के. पुरम
नई दिल्ली-110066 भारत
दूरभाष : +91-11-26172089
फैक्स : +91-11-26105747
ई-मेल : dg-ncb@nic.in
ट्विटर : @dg_ncb

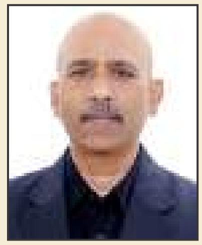

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), अवैध ड्रग्स की तस्करी और इनके दुरुपयोग को जड़ से मिटाने की दिशा में अथक प्रयास करते हुए, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता है, जो हमारे समुदायों की सुरक्षा और हमारे नागरिकों की भलाई की रक्षा के दृढ़ संकल्प से प्रेरित है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट, 2023 प्रस्तुत करते हुए मैं बेहद गौरवान्वित हूं। यह मेरी उत्कट आशा है कि इन पृष्ठों में उपलब्ध लेखादि न केवल जानकारी और शिक्षा प्रदान करेंगे बल्कि नशा मुक्त समाज के हमारे साझा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सहयोगात्मक कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित करेंगे।

यह रिपोर्ट, हमारे समाज में ड्रग्स के दुरुपयोग और तस्करी के खतरे से निपटने में हमारे सामूहिक प्रयासों, चुनौतियों और उपलब्धियों का एक व्यापक विहंगावलोकन है।

वर्ष 2023 के दौरान, हमारा ब्यूरो, हमारे समुदायों को अवैध ड्रग्स के विनाशकारी प्रभावों से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहा है। हमारी समर्पित टीमें, जिनमें कानून प्रवर्तन अधिकारी, आसूचना विश्लेषक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं, ने ड्रग आपूर्ति की श्रृंखलाओं को तोड़ने, आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने के लिए ठोस एवं समर्पित प्रयास किये हैं।

वर्ष 2023 में हमारे प्रयासों का एक मुख्य आकर्षण अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जानकारी साझा करने के प्रति हमारा पूर्व-सक्रिय दृष्टिकोण रहा है। यह जानते हुए कि ड्रग्स का व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार किया जाता है, हमने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत साझेदारी को बढ़ावा दिया है। समन्वित प्रयासों और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से हम उभरती प्रवृत्तियों की पहचान करने, अवैध ड्रग के नौवहन को ट्रैक करने और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में जुड़े व्यक्तियों को पकड़ने में सक्षम हुए हैं।

पिछले वर्ष की उपलब्धियों और असफलताओं को ध्यान में रखते हुए, आइए हम ड्रग्स के दुरुपयोग से निपटने और अपने समुदायों की रक्षा करने के नेक काम के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करें। साथ मिलकर, हम इस संकट से प्रभावित अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में एक ठोस बदलाव ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

हमारे सभी भागीदारों, हितधारकों और समर्पित कर्मियों को हमारे मिशन के प्रति उनके अटूट समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सामूहिक सफलता के लिए आपका योगदान अमूल्य और अपरिहार्य है।

जय हिंद

सत्य नारायण प्रधान
महानिदेशक, एनसीबी

"Say 'No' to Drugs, 'Yes' to Life"
"ड्रग्स को 'ना' जीवन को 'हाँ'"

Neeraj Kumar Gupta, I.P.S
Deputy Director General
(Special Wing & Awareness)
NARCOTICS CONTROL BUREAU

Room No.305, 2nd Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066,India
TEL.: +011-20863886
E-mail: ddgsplwing-ncb@gov.in

नीरज कुमार गुप्ता, भा.पु.से.
उप महानिदेशक
(विशेष विंग एवं जागरूकता)
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
कमरा नंबर–305, द्वितीय तल,अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
दूरभाष : 011-20863886
ई–मेल : ddgsplwing-ncb@gov.in

जैसे-जैसे, हम एक और वित्तीय वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए अपने प्रयासों और उपलब्धियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में समेकित करने का समय है। यह रिपोर्ट न केवल हमारे समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि हमारे भविष्य के प्रयासों के लिए एक रोडमैप भी है।

पिछले एक वर्ष में, हमने अवैध ड्रग व्यापार और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से निपटने के अपने मिशन में कई चुनौतियों का सामना किया है। हालाँकि, हमारे सामूहिक दृढ़ संकल्प और रणनीतिक पहलों के माध्यम से, हमने अपने जनादेश को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, मादक द्रव्यों के विरुद्ध चल रही हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण मील के पत्थर और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, कानून प्रवर्तन निकायों और सामुदायिक संगठनों के साथ हमारे समन्वित प्रयासों से अवैध पदार्थों की अभूतपूर्व जब्ती, प्रमुख ड्रग नेटवर्क को उखाड़ने और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज/जब्ती करने में मदद मिली है।

नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई हमारी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है यह एक वैश्विक चुनौती है जिसके लिए मजबूत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। पिछले एक वर्ष में, हमने मादक द्रव्यों के खतरे से निपटने के लिए एकीकृत और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हमने अपने समकक्षों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, संयुक्त अभियानों, सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण पहलों में भाग लिया है। ये सहयोग, सीमा पार के नशीले पदार्थों के मुद्दों को निपटाने और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को खत्म करने में सहायक रहे हैं।

एक ओर, हम अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, जबकि दूसरी ओर, हम आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति भी सचेत हैं। नशीले पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई जारी है, और हमें अपने समुदायों को ड्रग्स के खतरे से बचाने के अपने प्रयासों में सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए।

जय हिंद

नीरज कुमार गुप्ता
उप महानिदेशक, एनसीबी

"Say 'No' to Drugs, 'Yes' to Life"
"ड्रग्स को 'ना' जीवन को 'हाँ'"

1 भारत में ड्रग्स की तस्करी का परिदृश्य

भारत दुनिया के सबसे बड़े हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स उत्पादक क्षेत्रो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच अवस्थित है, जो इसे एक पारगमन बिंदु के साथ–साथ उपभोग क्षेत्र भी बनाता है। इन क्षेत्रों में उत्पादित अवैध हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथमफेटामाइन, एटीएस आदि की तस्करी की जाती है और भारत के माध्यम से पारगमन किया जाता है। भारत कैनबिस और अफीम पॉपी की अवैध खेती और तस्करी से भी प्रभावित है। इसके अलावा, भारत के पास बढ़ते फार्मास्युटिकल उद्योग के साथ एक बड़ा रासायनिक औद्योगिक आधार है। इसके परिणामस्वरूप, डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं, विशेष रूप से कोडीन आधारित कफ सिरप, शामक दवाओं आदि के मनोरंजक दुरुपयोग में काफी वृद्धि हुई है।

पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की ओर नेपाल, बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा और लंबी समुद्री सीमा स्थिति को और भी जटिल बनाती है। इसलिए, भारत में ड्रग्स की स्थिति कई कारकों का एक जटिल संयोजन है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रग्स की तस्करी और अंतरराज्यीय ड्रग्स की तस्करी भारत को कई मायनों में मादक पदार्थों की तस्करी का शिकार बनाती है।

भारत में ड्रग्स की तस्करी के परिदृश्य की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: –

1 दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में अफीम की तस्करी।

2 कुछ इलाकों में अफीम की अवैध खेती और भांग के उत्पादन में वृद्धि।

3 क्रिप्टो मुद्राओं जैसे बिट सिक्कों के द्वारा डार्क नेट के माध्यम से तस्करी के मामलों में वृद्धि।

4 हवाई अड्डों पर चेक–इन बैगेज, शरीर में छिपाए गए और एयर कार्गो से ड्रग्स की जब्ती।

5 हेरोइन और कोकीन की तस्करी और वितरण नेटवर्क में विदेशी नागरिकों का शामिल होना।

6 भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार से फार्मास्युटिकल ड्रग्स का डायवर्जन और एटीएस की आमद।

7 भारत में कूरियर पार्सल के माध्यम से तस्करी में वृद्धि

8 भारत–पाक सीमा पर ड्रोन द्वारा ड्रग्स की तस्करी

9 ईरान/पाकिस्तान से भारत और आगे श्रीलंका और अन्य देशों में हेरोइन, एटीएस और अन्य ड्रग्स की समुद्री तस्करी।

1.1 प्रवृत्तियां और पैटर्न 2023

भारत में ड्रग्स संबंधी मुद्दों का निवारण केंद्र और राज्य सरकारों की कई ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से किया जा रहा है। एनसीबी को देश में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और ड्रग मुद्दों से संबंधित डेटा प्रबंधन का कार्य भी सौंपा गया है। देश की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 2018–2023 तक प्रमुख मादक ड्रग्स और नियंत्रित पदार्थों की जब्ती को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है: –

2018–2023 के दौरान जब्त की गई प्रमुख मादक ड्रग्स और नियंत्रित पदार्थ

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022	2023
हेरोइन	1,258	3,231	3,838	7,197	5,410	2,986
अफीम	4,307	4,488	5,212	5,161	3,805	8,533
मोर्फिन	20	125	11	131	129	210
कैनबिस	3,91,275	3,42,045	5,81,644	8,12,545	7,18,376	6,28,612
गांजा	3,911	3,572	6,643	4,197	3,495	3,320
कोकीन	35	66	19	364	218	292
एफेड्रिन/स्यूडो एफेड्रिन	337	686	841	325	1,001	969
एसिटिक एनहाईड्राइड	9,717	214	121	24,265	338	40
एटीएस	431	1774	1,357	387	1,224	3,406

मात्रा : कि.ग्राम

I. दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में अफीम की तस्करी।

भारत में हेरोइन की तस्करी अधिकांशतः पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के माध्यम से होती है। भारत में हेरोइन की तस्करी डीएलईए के लिए निरंतर चुनौती बनी हुई है। हाल के दिनों में समुद्री मार्गों से भारी मात्रा में हेरोइन की तस्करी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

II. क्रिप्टो मुद्राओं के द्वारा डार्क नेट के माध्यम से तस्करी के मामलों में वृद्धि।

डार्कनेट इंटरनेट के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो जानबूझकर छिपा हुआ है और केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर, कॉन्फिगरेशन या प्राधिकरण के माध्यम से पहुंच योग्य है, जो अक्सर गैर—मानक संचार प्रोटोकॉल और पोर्ट का उपयोग करता है। ड्रग्स की तस्करी के लिए डार्कनेट बाजारों के उपयोग में डार्कनेट पर संचालित होने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध पदार्थों की खरीद और बिक्री शामिल है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे डार्कनेट ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा हैः—

- **गुमनामी और गोपनीयताः** डार्कनेट उपयोगकर्ता अक्सर अपनी पहचान और स्थानों को छिपाने के लिए टोर (द ओनियन राउटर) जैसे एन्क्रिप्शन और गुमनामी टूल पर भरोसा करते हैं। यह नशीली दवाओं की तस्करी सहित अवैध लेनदेन में शामिल खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए गोपनीयता का एक स्तर प्रदान करता है।
- **क्रिप्टोकरेंसी द्वारा लेनदेनः** डार्कनेट बाजार आमतौर पर लेनदेन के लिए बिटकॉइन, मोनेरो आदि जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक भुगतान विधियों की तुलना में उच्च स्तर की गुमनामी के स्तर को बढा सकती है, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए ड्रग बिक्री से संबंधित वित्तीय लेनदेन का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **वैश्विक पहुंचः** डार्कनेट बाजार वैश्विक लेनदेन की अनुमति देते हैं, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के खरीदारों और विक्रेताओं को जुड़ने और अवैध दवा लेनदेन करने में सक्षम बनाया जाता है। यह वैश्विक पहुंच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ऐसी गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी और विनियमन करना कठिन बना देती है।
- **मार्केटप्लेस संरचनाः** डार्कनेट मार्केटप्लेस अक्सर वैध ई—कॉमर्स प्लेटफॉर्म के समान कार्य करते हैं, जहां विक्रेता विभिन्न प्रकार की ड्रग्स, उत्पाद विवरण और उपयोगकर्ता समीक्षाएं पेश करते हैं। यह संरचना खरीदारों के लिए अवैध पदार्थों को ढूंढना और खरीदना आसान बनाती है।
- **एस्क्रो सेवाएंः** कुछ डार्कनेट बाजार एस्क्रो सेवाओं का उपयोग करते हैं, जहां खरीदार को उत्पाद प्राप्त होने तक कोई तीसरा पक्ष अस्थायी रूप से भुगतान रोक कर रखता है। इसका उद्देश्य लेनदेन में विश्वास का स्तर प्रदान करना है, लेकिन यह अवैध गतिविधियों को भी सुविधाजनक बना सकता है।

2023 के दौरान प्रमुख डार्क—नेट मामलेः

वर्ष	जिनके द्वारा जब्त किया गया	जब्त की गई ड्रग्स	माध्यम
2023	दिल्ली क्षेत्रीय इकाई	14861 एलएसडी ब्लॉट्स 14038 एलएसडी ब्लॉट्स एवं 472 ग्राम	डार्क नेट

III. कूरियर/पार्सल/डाक के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी

एनसीबी ने कोविड 19 लॉकडाउन और अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात को स्थगित किए जाने के बाद कोरियर और पार्सल के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी में तेजी से वृद्धि देखी है। वर्ष 2019 में, जबकि एनसीबी को ऐसे केवल 67 मामलों की सूचना मिली थी, वर्ष 2020 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 260 हो गई। हालांकि वर्ष 2021 के बाद से कूरियर के माध्यम से बुक किए गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है।

- पार्सल/कूरियर जब्ती डार्क–नेट, क्रिप्टो करेंसी और बी2बी प्लेटफॉर्म से जुड़ी है।
- मुख्य रूप से महानगरीय शहर को लक्ष्य बनाया गया है।
- गुमनामी और कई देशों की भागीदारी।

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022	2023
मामले	40	67	260	250	240	241

IV. हवाई कार्गो और हवाई यात्रियों के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी

हवाई कार्गो और हवाई यात्रियों के माध्यम से कोकीन और हेरोइन की सबसे अधिक तस्करी की जाती है। 2020 के अंत से उभरती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। इन ड्रग्स की तस्करी अधिकांशतः मानव वाहक द्वारा चेक–इन बैगेज/शरीर में छुपाकर की जाती है। ऐसे वाहकों की उत्पत्ति अधिकतर अफरीकी/मध्य पूर्वी देशों से देखी गई है। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर और भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डे इन वाहकों के गंतव्य हैं।

रिपोर्ट किए गए वाहकों की प्रमुख राष्ट्रीयता युगांडा, जाम्बिया, केन्या, जिम्बाब्वे, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका आदि की है।

ड्रग्स	वर्ष	2020	2021	2022	2023
हेरोइन	मामलों की संख्या	12	37	64	14
	मात्रा (कि.ग्रा. में)	25	223	291	65
कोकीन	मामलों की संख्या	05	6	54	65
	मात्रा (कि.ग्रा. में)	05	15	86	102

V. भूमि सीमाओं के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी

- **भारत–पाक सीमा:** भारत में प्रवेश करने वाले वैध कार्गो के माध्यम से बड़ी तस्करी हो रही है। हालाँकि हाल के दिनों में ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, फिर भी यह भारतीय डीएलईए के लिए एक ग्रे–एरिया बना हुआ है। हाल के दिनों में भारत में ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की तस्करी एक नई चुनौती बनकर उभरी है। जम्मू–कश्मीर, राजस्थान और पंजाब सीमा पर ऐसे मामले सामने आए हैं। ड्रोन के माध्यम से तस्करी के मामले में अमृतसर सेक्टर सबसे संवेदनशील बना हुआ है।

भारत–पाक सीमा पर हेरोइन की जब्तियां:

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	
			भारतीय	विदेशी
2019	43	957	3	15
2020	56	319	4	05
2021	67	520	13	22
2022	70	772	40	13
2023	22	91	18	0

1.2 नारकोटिक्स ड्रग्स

1.2.1 अफीम

ऐसे कई एल्कलॉइड हैं जिन्हें अफीम से निकाला जा सकता है, कुछ प्रमुख एल्कलॉइड हैं मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन, पैपावेरिन और नोस्कैपाइन, जो निष्कर्षण, नीमच (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स में निकाले जा रहे हैं।

प्रवृत्तियां

- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गुजरात राज्यों से अन्य हिस्सों में तस्करी होती है।
- म्यांमार – अफीम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
- हालाँकि खेती का क्षेत्र वर्ष 2013 में खेती की गई लगभग 58,000 हेक्टेयर के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नहीं पहुंच पाया है, म्यांमार में पॉपी की खेती का विस्तार हो रहा है और यह अधिक लाभकारी बन रही है। भारत में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की भूमि सीमाओं के माध्यम से तस्करी की जाती है।

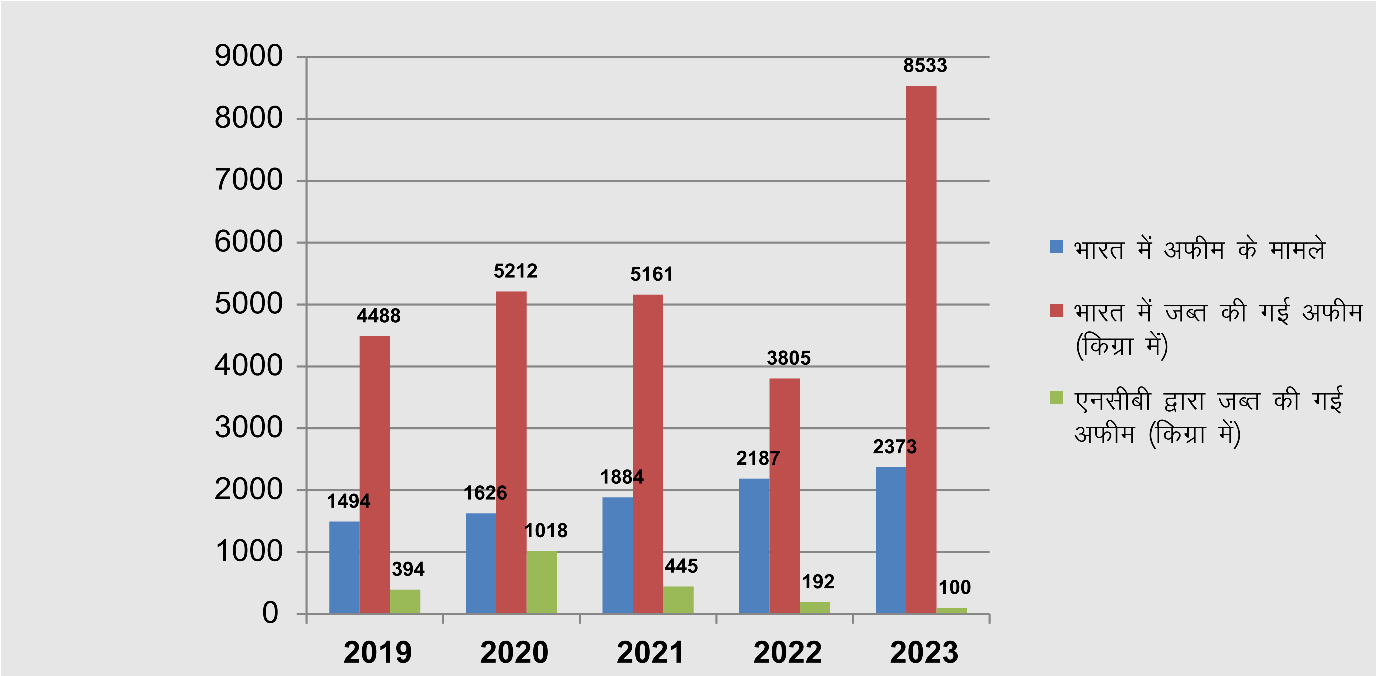

पिछले 5 वर्षों के दौरान अफीम की वर्ष-वार जब्तियां (आंकड़ें कि.ग्रा. में)

एनसीबी द्वारा अफीम की महत्वपूर्ण जब्ती:

- 21.01.2023 को, एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मुंडाली, मंदसौर, मध्य प्रदेश में 10.286 किलोग्राम अफीम और 7.220 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 21.02.2023 को, एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने भुवनेश्वर उप–क्षेत्र के समन्वय से वाणी विहार स्क्वायर, भुवनेश्वर, ओडिशा में 8.200 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 02.03.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने गोंडा, उत्तर प्रदेश में 4 किलोग्राम अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 10.03.2023 को, एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब में 2 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 11.03.2023 को एनसीबी, रांची उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने झारखंड के चतरा बस स्टैंड पर 5.500 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 15.03.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने आयुर्वेदिक अस्पताल, मथुरा रोड, बदरपुर, नई दिल्ली में 7.968 किलोग्राम अफीम और 3,37,500/– रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 17.03.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मधुबन, पूर्वी चंपारण, बिहार में 1 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 17.03.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कांटी, मुजफ्फरपुर, बिहार में 5.900 किलोग्राम अफीम जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 25.03.2023 को एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पुलिस पोस्ट आईएसबीटी सेक्टर–43 चंडीगढ़ में 2.010 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.04.2023 को एनसीबी, मंदसौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मंदसौर नीमच के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 03 किलोग्राम अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 09.06.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारिया ने ओवरसीज लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, महिपालपुर, नई दिल्ली में 1.008 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 16.06.2023 को, एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने शंभू टोल प्लाजा, अंबाला, हरियाणा में 5.529 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 08.06.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 1.334 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 17.06.2023 को, एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने हाउस परिसर, मालदा, पश्चिम बंगाल में 2.650 किलोग्राम अफीम, 70 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड, 400 ग्राम हेरोइन, 4.350 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट और 740 ग्राम एसिटाइल क्लोराइड जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 30.06.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने औरैया, उत्तर प्रदेश में 03 किलोग्राम अफीम जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03.07.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 4.5 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 06.07.2023 को एनसीबी, रांची जोनल यूनिट के अधिकारियों ने हजारीबाग में 04 किलोग्राम अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 08.07.2023 को एनसीबी, अमृतसर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने लेहरा बाघा टोल प्लाजा, भटिंडा, पंजाब में 3.860 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.07.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 1.114 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 06.09.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने यूपीएस, एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली में 896 ग्राम अफीम जब्त की।

- 15.09.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 1.009 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 07.10.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पुरसर्वकम, चेन्नई में 1.060 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 20.10.2023 को, एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने शंभू टोल प्लाजा, अंबाला, हरियाणा में 2.380 किलोग्राम अफीम जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.12.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रामपुर रेलवे स्टेशन पर 02 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 19.12.2023 को एनसीबी, अहमदाबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, वेजलपुर, अहमदाबाद में 4.574 किलोग्राम अफीम जब्त की।

केस स्टडी - 01

ड्रग्स का नाम : अफीम और पॉपी स्ट्रॉ

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : इंदौर जोनल यूनिट

जब्त की गई मात्रा : 10.286 कि.ग्रा. अफीम
7.220 कि.ग्रा. पॉपी स्ट्रॉ

कुल गिरफ्तारियाँ : 03 व्यक्ति

- 20.01.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि तीन भारतीय नागरिकों ने खालसा पंजाब ढाबा, गांव–मुंडली, मंदसौर–नीमच हाईवे, मंदसौर में अपने पास भारी मात्रा में अवैध अफीम तथा पॉपी स्ट्रॉ छिपा रखी है।
- 21.01.2023 को, एनसीबी इंदौर जोनल यूनिट ने खलासा पंजाब ढाबा, गांव–मुंडली, मंदसौर–नीमच हाईवे, मंदसौर, मध्य प्रदेश में 10.286 किलोग्राम अफीम और 7.220 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ की जब्ती की। बरामदगी और उनके इकबालिया बयानों के आधार पर सभी 03 व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (यथा संशोधित) की धारा 8/15/18/25/27 क और 29 के उल्लंघन के लिए 21.01.2023 को गिरफ्तार किया गया था।
- इसके अलावा, तत्काल पूछताछ से पता चला कि अवैध अफीम के दो पैकेट गांव–मुंडली में मुख्य आरोपी के निवास के सामने बाड़ा (प्लॉट) में छिपाए गए हैं। एनसीबी टीम की त्वरित और तत्काल कार्रवाई से अवैध अफीम के दो अन्य पैकेट बरामद हुए।
- इसके बाद, 21.01.2023 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

1.2.2 हेरोइन

हेरोइन एक अत्यधिक नशीला पदार्थ है जिसे अफीम से संश्लेषित किया जाता है। कच्ची अफीम को सुखाकर शुद्ध करके मॉर्फीन बनाई जाती है जिसे हेरोइन बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड से उपचारित किया जाता है। इसके प्रसंस्करण के आधार पर, हेरोइन सफेद से लेकर गहरे भूरे रंग तक विभिन्न रंगों में आती है। हेरोइन को पंजाब में स्थानीय स्तर पर स्मैक, ब्राउन शुगर और चिट्टा के नाम से भी जाना जाता है। हेरोइन की शुद्धता का स्तर इसके प्रसंस्करण में परिष्कार की डिग्री को दर्शाता है।

प्रवृत्तियां

- अफगानिस्तान के सभी हिस्सों में और कुछ प्रांतों में लगभग पूरी तरह से अफीम पॉपी की खेती में भारी गिरावट आई है।
- 2021 में तालिबान के सत्ता में आने से खेती का क्षेत्रफल 95% घट गया
- पंजाब, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी तट पर भूमि और समुद्री सीमाओं के माध्यम से भारत में तस्करी।
- समुद्री तस्करी में वृद्धि।

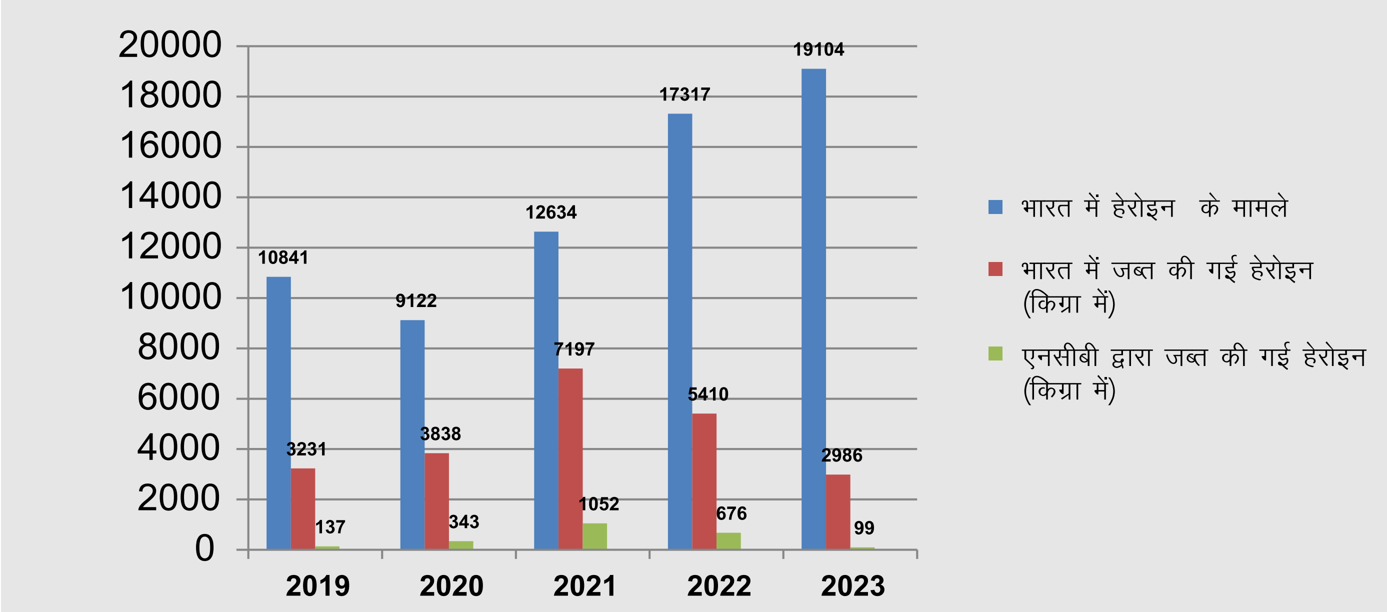

पिछले 5 वर्षों के दौरान हेरोइन की वर्ष-वार जब्ती (आंकड़ें कि.ग्राम में)

ड्रग्स की तस्करी का समुद्री मार्ग-हेरोइन

एनसीबी द्वारा हेरोइन की महत्वपूर्ण जब्तियां:

- 05.01.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी– के.एस. वाला, 34 बटालियन, बीएसएफ, रायसिंग नगर, राजस्थान में 3.248 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 06.01.2023 को, एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 1.280 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10.01.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी– सुंदर पुरा, 125 बटालियन बीएसएफ, श्री गंगा नगर, राजस्थान में 5.206 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 03.02.2023 को, एनसीबी, अमृतसर सब–जोन के अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम के समन्वय से 2.160 किलोग्राम हेरोइन और 65 ग्राम अफीम जब्त की। इसके अलावा, उसी दिन अनुवर्ती कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय की टीम के समन्वय से पंजाब के तरनतारन, नौसेरा पन्नुआन की अनाज मंडी में 13.980 किलोग्राम नारकोटिक्स पाउडर जब्त किया गया।
- 07.03.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी– केके टिब्बा, 127 बटालियन बीएसएफ, घड़साना, श्री गंगा नगर, राजस्थान में 2.505 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 27.03.2023 को, एनसीबी, अमृतसर सब–जोन के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी–फतेहपुर, 183 बटालियन बीएसएफ, अजनाला, पंजाब में 01 मोटर साइकिल के साथ 5.820 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 17.05.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारी ने बीएसएफ के समन्वय से 127 बटालियन बीओपी, नेमीचंद, घड़साना, जिला– श्री गंगा नगर, राजस्थान में 05.005 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 22.06.2023 को, एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारी ने मुख्य कार्यालय, लुधियाना, पंजाब में विदेशी पार्सल में 1.200 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 24.06.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ 140 बीएन के समन्वय से बीओपी–जगदेव, 140 बीएन, बीएसएफ, घड़साना, जिला–श्री गंगा नगर, राजस्थान में 1.970 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 01.07.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीओपी एचकेटी, 28 बीएन बीएसएफ, जिला–बाड़मेर, राजस्थान में बीएसएफ 28 बीएन के समन्वय से 11.740 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 29.07.2023 को, एनसीबी, अमृतसर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ 116 बीएन के समन्वय से बीओपी शेमके, 116 बीएन बीएसएफ फिरोजपुर में 5.955 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 04.08.2023 को, बीएसएफ के समन्वय से एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीओपी–शेख सरपाल, 77 बीएन, बीएसएफ, श्रीकरणपुर, जिला–श्री गंगा नगर, राजस्थान में 10.052 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 31.08.2023 को, एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बायपास रिजॉर्ट के निकट, बोरघाट चरियाली, नागांव में 5.264 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13.10.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी–21, 77 बीएन बीएसएफ, श्रीकर्णपुर, जिला–श्री गंगा नगर, राजस्थान में 2.123 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 12.12.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 77 बीएन बीएसएफ के समन्वय से बीओपी शेख सरपाल, जिला श्रीकरणपुर, राजस्थान में 2.458 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 16.12.2023 को, एनसीबी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 24 बीएन, बीएसएफ के समन्वय से बीओपी–भभूते की ढाणी, 24 बीएन बीएसएफ, बाड़मेर, राजस्थान में 06.248 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।

केस स्टडी - 02

ड्रग्स का नाम : हेरोइन

जब्त की गई मात्रा : 20.326 कि.ग्रा. हेरोइन

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : चंडीगढ जोनल यूनिट

कुल गिरफ्तारियाँ : 20 व्यक्ति

- गुप्त सूचना के आधार पर, 15.11.2022 को श्री अमनजीत सिंह क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी–चंडीगढ़ के नेतृत्व में एनसीबी–चंडीगढ़ टीम ने 20.326 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप 20 लोगों की गिरतारी हुई है।
- 02 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सरगना को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, उस समय वे 24/11/2022 को देश से शारजाह, यूएई भागने की कोशिश कर रहे थे।
- अब तक की जांच से पता चला है कि यह ग्रुप 03 मुख्य मार्गों अर्थात मुंद्रा पोर्ट गुजरात, आईसीपी अटारी पंजाब और जम्मू–कश्मीर के रास्ते हेरोइन की तस्करी कर रहा था। सरगना ने इन 02 कस्टम पोर्ट और जम्मू–कश्मीर से 2000 किलोग्राम से अधिक हेरोइन आयात करने की बात स्वीकार की है।
- मुंद्रा पोर्ट गुजरात, आईसीपी अटारी पंजाब में इस्तेमाल की गई कवर खेप उच्च मूल्य के कार्गो थे, ताकि कोई संदेह/ खतरा न हो। लुधियाना और मुजफरनगर, उत्तर प्रदेश में इन दूषित उत्पादों से कुल 2000 किलोग्राम हेरोइन का निर्माण किया गया था। हालांकि आयात अफगानिस्तान से किया गया था, लगभग 40 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान वेल्स फार्गो बैंक न्यूयॉर्क के खाते में किया गया था।
- एक पाकिस्तानी नागरिक विदेश में मुख्य हैंडलर/आपूर्तिकर्ता है।
- प्रारंभ में 12.05.2023 को सत्रह व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और बाद में गहन जांच और रिकॉर्ड अनुसार पर्याप्त साक्ष्यों के बाद 22.12.2023 को सभी 20 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पूरक शिकायत दर्ज की गई थी।

क्रमांक	संपत्ति	राशि भारतीय मुद्रा में
1.	53 अचल संपत्तियाँ	45.34 करोड़ (मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार)
2.	52 बैंक खाते	02.10 करोड़
3.	24 वाहन	02.64 करोड़
4.	शराब विक्रय शेयर (अर्थात 25%)	03.50 करोड़
5.	नकद जब्ती	00.23 करोड़
6.	गोल्ड बुलियन और आभूषण	01.61 करोड़
7.	विदेशी मुद्रा	00.72 करोड़
8.	जगदम्बे राइस मिल	0.50 करोड़
9.	विविध चल संपत्तियाँ	0.67 करोड़
कुल		57.31 करोड़

1.2.3 कैनबिस (गांजा)

यूएनओडीसी के अनुसार, "कैनबिस दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अवैध पदार्थ है"। कैनबिस के विशिष्ट हर्बल रूप में फूल और स्थानापन्न पत्तियाँ तथा मादा पौधों के परिपक्व स्त्रीकेसर के डंठल शामिल होते हैं। ड्रग के रालयुक्त रूप को हशीश के नाम से जाना जाता है। कैनबिस में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, हालांकि सबसे प्रमुख और एकमात्र मनो – सक्रिय पदार्थ – ट्रांस – डेल्टा 9 – टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (डेल्टा–9–टीएचसी या टीएचसी) है

प्रवृत्तियां :

- उत्तर–पूर्व भारत से पूर्वी राज्यों तक तस्करी मुख्य रूप से सतही परिवहन द्वारा होती है।
- भारत–नेपाल सीमा के पार और ओडिशा, हिमाचल प्रदेश राज्यों में काफी मात्रा में तथा मणिपुर और पश्चिम बंगाल राज्यों से थोड़ी मात्रा में तस्करी होती है।
- गांजा के लिए मुख्य पारगमन मार्ग असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं।

एनसीबी द्वारा गांजे की महत्वपूर्ण जब्तियां:

- 03.01.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया और 03 लोगों को पश्चिम बंगाल के दानकुनी में गिरफ्तार किया गया।
- 07.01.2023 को एन.सी.बी. कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी–मामाभागिना, 68 बीएन, बीएसएफ, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में कोडीन आधारित कफ सिरप की 371 बोतलें और 43 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया
- 09.01.2023 को, एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनएच–16, पश्चिम बंगाल में 88 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.01.2023 को, एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने प्लेटफार्म नंबर 9, हावड़ा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में 24 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 20.01.2023 को, एनसीबी, भुवनेश्वर सब–जोन के अधिकारियों ने डीटीडीसी कूरियर कार्यालय, बरहामपुर, ओडिशा में 28.500 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

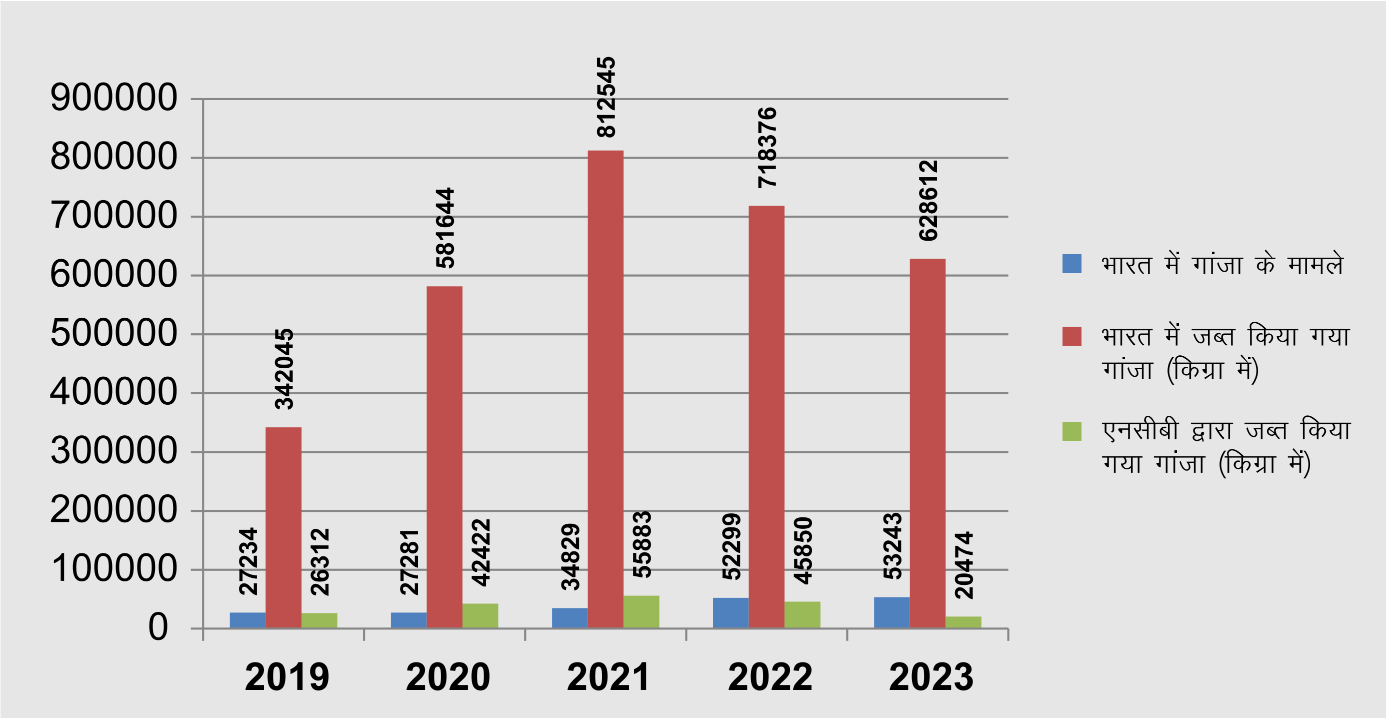

पिछले 5 वर्षों के दौरान गांजे की वर्ष-वार जब्ती (आँकड़ें किलोग्राम में)

- 09.02.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर 47.400 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 11.02.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एक वाहन से 438.400 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13.02.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर 23 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.02.2023 को एनसीबी गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनएच–47, खानापारा फ्लाई ओवर ब्रिज, कामरूप (मेट्रो), असम में 570.807 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- पटना जोनल यूनिट ने एसएसबी के सहयोग से बिहार के बेला गांव में 653.950 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 17.03.2023 को एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वेटरनरी कॉलेज फील्ड, खानापारा, गुवाहाटी, असम में 119.620 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 24.03.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मंडला, मध्य प्रदेश में 1526.09 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 26.03.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने जय शिव लाइन होटल, पिपरा खुर्द, सुपौल, बिहार में 273.700 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.03.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने सीतलकुची, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में 471.180 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.03.2023 को एनसीबी, हैदराबाद सब जोन के अधिकारियों ने राजमुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश में 541 किलोग्राम गांजा और दो वाहन जब्त किए। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 07.04.2023 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन यार्ड, बयप्पनहल्ली, बेंगलुरु में 16 किलोग्राम गांजा जब्त किया।

- 07.04.2023 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, आरपीएफ, दक्षिण पश्चिम रेलवे, बेंगलुरु में 20.640 गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 08.04.2023 को एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी कार्यालय गुवाहाटी के पास कार्बी नामघर पथ पर 682.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 10.04.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट ने झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में 152.100 किलोग्राम गांजा जब्त किया और एक भारतीय नागरिक खालिद खान पुत्र आरिफ खान निवासी मकान नंबर बी 804, पप्पू कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया।

- 11.04.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट ने वीआरएल लॉजिस्टिक हब कोरियर, ए–1/12, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, कृष्णा नगर, नई दिल्ली में 93.270 किलोग्राम गांजा बरामद किया और डीजेडयू अपराध संख्या 15/2023 (10.04.2023 को 152.100 किलोग्राम गांजा की जब्ती) की अनुवर्ती कार्रवाई में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया:–

  क) इंदल नोनिया पुत्र बिपू नोनिया निवासी मकान नंबर 25 ए, मंदिर रोड के पास, हरि विहार, काकरोला, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली।

  ख) शिव पुत्र श्री बब्लू निवासी मकान नं. जी 118, द्वारका, सेक्टर–3, फेज–2, पप्पन कला, द्वारका, नई दिल्ली।

- 11.04.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वीआरएल लॉजिस्टिक हब कोरियर, कृष्णा नगर, नई दिल्ली में 93.270 किलोग्राम गांजा जब्त किया और एनसीबी, दिल्ली अपराध संख्या 15/2023 की अनुवर्ती कार्रवाई में 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 12.04.2023 को एनसीबी, हैदराबाद सब जोनल यूनिट के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के एचपी पेट्रोल पंप के पास खुली जगह पर 1316 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 12.04.2023 को एनसीबी, हैदराबाद सब जोनल यूनिट के अधिकारीयो ने विजयवाड़ा हैदराबाद ऐन एच –65 पर रंगारेड्डी जिले, तेलंगाना में पेड्डा अंबर टोल प्लाजा कै निकट नेहरू ओ आर आर के नीचे 210 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 12.04.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से बीओपी सुतिया, 107 बीएन बीएसएफ, उत्तर –24 परगना, पश्चिम बंगाल में वाहन के साथ 172.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया।

- 25.04.2023 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एसडीएससी, आरपीएफ, केएसआर रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु में 43.200 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 26.04.2023 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एसडीएससी, आरपीएफ, केएसआर रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु में 45.700 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 30.04.2023 को एनसीबी, भुवनेश्वर उप क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने ओडिशा के केंदुझार जिले में 198.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 03.05.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के वर्दामान में वाहन के साथ 162 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 11.05.2023 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एसडीएससी, आरपीएफ, केएसआर

रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु में 33.62 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 13.05.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनएच–6, बनीतल्ला, उलुबेरिया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में 64.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 15.05.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रुपईडीहा, बहराईच, उत्तर प्रदेश में 40 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 27.05.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मुंबई में 20.500 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.05.2023 को एनसीबी, भुवनेश्वर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनएच–16, रसूलगढ़ चौक, भुवनेश्वर के पास 273.8 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 30.05.2023 को एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने गुवाहाटी में 2126.660 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 12.06.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 43 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13.06.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कर्णोदई टोल प्लाजा, चेन्नई, तमिलनाडु में 160 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 14.06.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने जलधुलागोरी टोल प्लाजा पर खड़गपुर साइड, एनएच–6, हावड़ा, पश्चिम बंगाल की ओर 30 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.06.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई में 13.06.2023 को 160 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए एनसीबी, चेन्नई की अनुवर्ती कार्रवाई में 01 भगोड़े को गिरफ्तार किया।
- 20.06.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई में 13.06.2023 को 160 किलोग्राम गांजा की जब्ती की अनुवर्ती कार्रवाई में पेडाबयालु, आंध्र प्रदेश में 1760 किलोग्राम गांजा जब्त किया।
- 23.06.2023 को एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एक ट्रक से 161.170 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.06.2023 को एनसीबी, रांची जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रांची में 103.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 07.07.2023 को एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने राजीव कॉलोनी, सेक्टर–17, पंचकुला, हरियाणा में 47.145 किलोग्राम गांजा जब्त किया।
- 08.07.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 18.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13.07.2023 को एनसीबी, रांची जोनल यूनिट के अधिकारियों ने झारखंड के डाल्टनगंज में 100 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 24.07.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कर्णोदई टोल प्लाजा, चेन्नई में 432.700 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 31.07.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 500 किलोग्राम गांजा जब्त किया।
- 12.08.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 118.110 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 13.08.2023 को, एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने असम के कामरूप, बैहाटा चरियाली के पास एनएच 15 पर 2091.04 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.08.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई में 423 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.08.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी की अनुवर्ती कार्रवाई में 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 16.08.2023 को 423 किलोग्राम गांजा जब्त किया।
- 18.08.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 320 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.08.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मथुरा, उत्तर प्रदेश में 176.8 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 26.08.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 148.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 27.08.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने इंदौर के पास लेबाड–मानपुर राजमार्ग पर 435.985 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 10.09.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने श्री मारुति कूरियर कंपनी, छत्तीसगढ़ में 130.28 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.09.2023 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पोस्ट कमांडर, आरपीएफ, केएसआर रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु के कार्यालय में 30.720 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 11.10.2023 को एनसीबी, जयपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने किशोरपुरा टोल प्लाजा, हिंडोली, जिला–बूंदी पर 23.547 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.10.2023 को एनसीबी, मदुरिया जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कन्याकुमार सलेम राजमार्ग पर थिरुमंगलम तालुक में 122.6 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03.11.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारी ने बिहार के औरंगाबाद में 544 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03.11.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने ग्राम–डेल्ची, जिला–धार, मध्य प्रदेश में 143.800 किलोग्राम गांजा नष्ट किया।
- 05.11.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मनवाड रेलवे स्टेशन पर 46.4 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.11.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के पिथोरो एनएच 53 पर साइबर अपराध शाखा, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 517 किलोग्राम गांजा जब्त किया।
- 11.12.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बिहार के औरंगाबाद में 214 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 12.12.2023 को एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 31.880 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी - 03

ड्रग्स का नाम : गांजा | **जब्त की गई मात्रा : 2126.66 कि.ग्रा. गांजा**

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : गुवाहाटी जोनल यूनिट | **कुल गिरफ्तारियाँ : 02 व्यक्ति**

- 30/5/23 को एनसीबी गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई की टीम ने गुवाहाटी मेट्रो अस्पताल, एन एच नंबर 37, खानापारा, गुवाहाटी, असम के पास टाटा ट्रक नंबर आरजे 11 जीए 6154 को रोका और 2126.66 किलोग्राम के 122 पैकेटों में पैक गांजा जब्त किया और ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया।

- **छिपाने का तरीका/कार्य–पद्धति–**

  1. अगरतला, त्रिपुरा में लेटेक्स रबर धागे की खेप ट्रक में लोड की गई थी। लगेज एरिया में रबर धागे के डिब्बों के नीचे गांजा के 84 पैकेट छिपाए गए थे।

  2. गांजा के 38 पैकेट केबिन के पीछे विशेष रूप से बनाई गई जगह में छिपाए गए थे।

- **स्रोत एवं गंतव्य**

पैकेटों की संख्या	स्रोत	गंतव्य
गांजा के 122 पैकेट	अगरतला, त्रिपुरा	कूच बिहार, पष्चिम बंगाल

- जांच के दौरान एक आपराधिक साजिशकर्ता और जब्त ट्रक को गिरफ्तार किया गया था।

1.2.4 कैनबिस (हशीश)

हशीश या चरस कैनबिस रेजिन है जो कैनबिस सैटिवा पौधे से प्राप्त होता है। आम तौर पर, हशीश को हाथों की हथेलियों के बीच या रबर शीट पर कैनबिस के पौधे के फूलों के शीर्ष भाग को रगड़कर पौधे से प्राप्त किया जाता है। कैनबिस रेजिन को 1961 के नारकोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन की अनुसूची I और IV के अंतर्गत रखा गया है।

प्रवृत्तियां:

- चरस/हशीश कश्मीर घाटी में विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में ड्रग्स के तस्करों द्वारा की जा रही कैनबिस की अवैध भांग खेती से प्राप्त होता है।
- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और गुजरात और भारत के अन्य महानगरों में चरस की तस्करी का चलन है।
- चरस की तस्करी नेपाल से भारत में भी की जाती है।

एनसीबी द्वारा हशीश की महत्वपूर्ण जब्ती:

- 05.01.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 10.750 किलोग्राम हशीश जब्त की और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 29.01.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में 20 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.03.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कल्याण–सिलफाटा, मुंबई, महाराष्ट्र में 1.100 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 20.03.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रुपईडीहा, भराइच, उत्तर प्रदेश में 17 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 20.03.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रुपईडीहा, भराइच, उत्तर प्रदेश में 1.700 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.04.2023 को एनसीबी, जम्मू जोनल यूनिट के अधिकारियों ने जम्मू के सांबा जिले के सरोर इलाके में 10 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

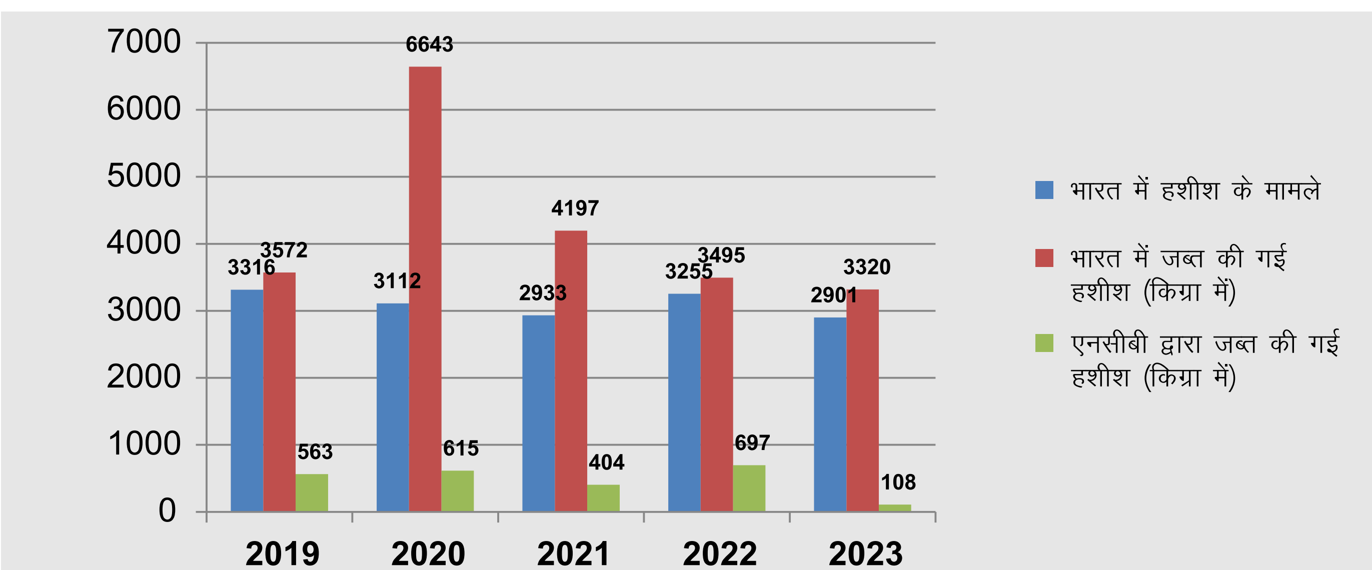

पिछले 5 वर्षों के दौरान हशीश की वर्ष-वार जब्ती (आँकड़ें किलोग्राम में)

- 17.04.2023 को एनसीबी, जम्मू जोनल यूनिट के अधिकारियों ने जम्मू के सांबा जिले के नानके चक इलाके में 09 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 04.08.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीटीडीसी कूरियर सेवा इंदौर, मध्य प्रदेश में 1.020 किलोग्राम हशीश जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 04.08.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 1.064 किलोग्राम हशीश जब्त की।

- 08.08.2023 को एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी, दिल्ली अपराध संख्या 38/2023 की अनुवर्ती कार्रवाई में दिल्ली के निरकारी कॉलोनी के पास मकान नंबर 259 ए, धीरपुर गांव में 01.479 किलोग्राम हशीश जब्त की।

- 19.08.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी, मुंबई अपराध संख्या 19/2023 की अनुवर्ती कार्रवाई में 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 65 ग्राम हशीश और 04 ग्राम गांजा भी जब्त किया।

- 25.09.2023 को एनसीबी, जम्मू जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डोमेल बाई पास जम्मू में 02 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 16.11.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई के मदुरावॉयल में मीनाक्षी डेंटल कॉलेज के पास 1.035 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 06.12.2023 को एनसीबी, जम्मू जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कुठा क्षेत्र, कठुआ, जम्मू से 3.085 किलोग्राम चरस जब्त किया और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

- 06.12.2023 को एनसीबी, जम्मू जोनल यूनिट के अधिकारियों ने नगरोटा क्षेत्र, जम्मू से 1.050 किलोग्राम चरस जब्त की और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

- 25.12.2023 को एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने सुइया भारत–नेपाल सीमा, जिला–शिरावस्ती, उत्तर प्रदेश में 3.2 किलोग्राम हशीश जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी - 04

ड्रग्स का नाम : हशीश/चरस | **जब्त की गई मात्रा : 1.170 कि.ग्रा. हशीश/चरस**

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : मुंबई जोनल यूनिट | **कुल गिरफ्तारियाँ : 02 व्यक्ति**

- सूचना के आधार पर, 1 व्यक्ति से 1.170 किलोग्राम चरस जब्त की गई।
- घर की तलाशी के दौरान 40,55,000/– रुपये नकद एवं 50,85,120/– रुपये की कीमत के 2.970 ग्राम आभूषण जब्त किए गए।
- अनुवर्ती जांच के दौरान, सरगना महिला को 130 ग्राम मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया।
- 01 दुकान, नकदी, बैंक खाते और सोने के आभूषणों की वित्तीय जांच की गई जिनका मूल्य 1,02,54,476/– रुपये था तथा पुष्टिकरण आदेश पारित किया गया।
- उसी सिंडिकेट आधारित जब्ती के परिणामस्वरूप, ओडिशा से मुंबई तक लाया गया 20.5 किलोग्राम गांजा मिला जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

1.2.5 कोकीन

कोकीन का व्यापक रूप से एक मनोरंजक ड्रग के रू‍प में प्रयोग किया जाता है जो कोका की पत्तियों से तैयार की जाती है। यह दक्षिण अमेरिकी देशों, मुख्य रूप से ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया और पेरू में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाली कोकीन की दुनिया भर में तस्करी की जाती है। भारत में इसकी तस्करी मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीकी ड्रग तस्करों द्वारा कम मात्रा में की जाती है। यह आम तौर पर, दो रूपों में सामने आता है जिनके प्रयोग का तरीका अलग है। कोकीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे सूंघा जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, और कोकीन क्षार, जो धूम्रपान करने योग्य रूप है।

प्रवृत्तियांः

- कोकीन की तस्करी अधिकांशतः भारत में रहने वाले अफ्रीकी नागरिकों द्वारा की जा रही है।
- अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका से कोकीन की तस्करी के मामले भी सामने आए हैं।
- भारत में कोकीन की बरामदगी अधिकांशतः हवाई अड्डों पर की गई है।
- सौंदर्य प्रसाधन, बर्तन, किताबें और कपड़ों जैसे सामान्य घरेलू सामानों में छिपाकर पार्सल के माध्यम से छोटी मात्रा में कोकीन की तस्करी के कई उदाहरण हैं।
- नवीनतम प्रवृत्ति तरल रूप में कोकीन की तस्करी है।

एनसीबी द्वारा कोकीन की महत्वपूर्ण जब्तीः

- 27.02.2023 को, एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कर्नाटक के बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 2. 765 किलोग्राम कोकीन जब्त की। इसके अलावा, अनुवर्ती कार्रवाई में दिल्ली में 19.642 किलोग्राम ट्रामाडोल जब्त किया गया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 11.05.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1. 530 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति (आइवरी कोस्ट नागरिक) को गिरफ्तार किया गया।
- 12.05.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 11.05.2023 को 01.530 किलोग्राम

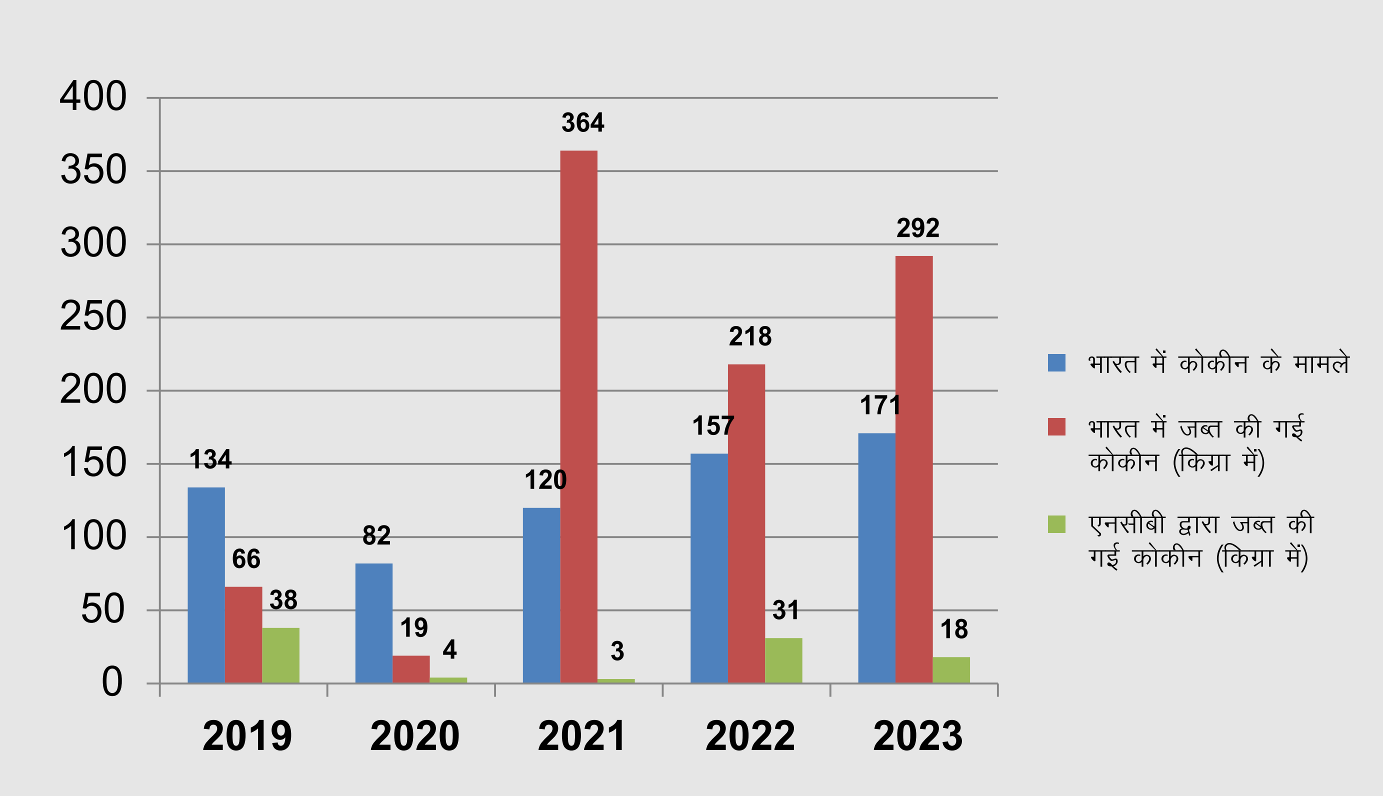

पिछले 5 वर्षों के दौरान कोकीन की वर्ष-वार जब्ती (आँकड़ें किलोग्राम में)

कोकीन की जब्ती के मामले में एनसीबी, चेन्नई की अनुवर्ती कार्रवाई में 01 (नाइजीरियाई नागरिक) भगोड़े को मुंबई से गिरफ्तार किया।

- 04.07.2023 को, एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने हेड पोस्ट ऑफिस मॉल, सोलन, हिमाचल प्रदेश में 63.3 ग्राम कोकीन जब्त की।
- 17.07.2023 को एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी, चंडीगढ़ अपराध संख्या 16/2023 की अनुवर्ती कार्रवाई में प्रधान डाकघर, सोलन में 04.365 ग्राम कोकीन जब्त की।
- 18.07.2023 को, एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र में एनसीबी, बेंगलुरु अपराध संख्या, 05/2023 की अनुवर्ती कार्रवाई में 16.1 ग्राम कोकीन और 26.1 ग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 01.09.2023 से 05.09.2023 तक, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रोयापेट्टा, चेन्नई में 7.45 ग्राम कोकीन, 1.008 किलोग्राम एम्फेटामाइन और 310 ग्राम एमडीएमए जब्त किया। कुल 07 व्यक्तियों (एक भारतीय और 06 नाइजीरियाई नागरिक) को गिरफ्तार किया गया।
- 02.09.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने खारघर क्षेत्र, मुंबई, महाराष्ट्र में 2 किलोग्राम कोकीन जब्त की।
- 11.09.2023 को, एनसीबी, बेंगलुरु जोनल यूनिट के अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु में 1.195 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 12.10.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 02 विदेशी नागरिक महिलाओं से 05 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.11.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मुंबई में 02 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी - 05

ड्रग्स का नाम : कोकीन **जब्त की गई मात्रा : 5 कि.ग्रा. कोकीन**

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : मुंबई जोनल यूनिट **कुल गिरफ्तारियाँ : 02 व्यक्ति**

- अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स की तस्करी के संबंध में सक्रिय खुफिया अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसरण में, विशेष जानकारी के आधार पर, X नाम की एक बोलिवियाई महिला की पहचान की गई जो ड्रग्स की खेप के साथ 12.10. 2023 को एतिहाद एयरलाइंस द्वारा दुबई के रास्ते साओ पाओलो से मुंबई पहुंची थी और मुंबई के खेतवाड़ी में पहले से बुक किए गए एक होटल में ठहरी हुई थी। तुरंत, एक टीम का गठन किया गया जो होटल के लिए रवाना हुई और एक गुप्त तलाशी अभियान चलाया गया।
- महिला की उपस्थिति की पुष्टि होने पर, टीम ने उसे रोका जो बोलिवियाई नागरिक Y नामक एक अन्य महिला के साथ थी। प्रारंभिक पूछताछ पर, दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनके सामान की तलाशी ली गई, जिसके दौरान सामान से 05 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई।
- ड्रग्स को धोखे से अंडरगारमेंट्स, कपड़े, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक ट्यूब, साबुन, जूते, मेकअप किट जैसी गैर–संदिग्ध वस्तुओं के बीच छिपाया हुआ था। ड्रग्स को सावधानी से पाउडर, तरल और पेस्ट जिसे आसानी से नियमित वस्तुओं के बीच रखा जा सकता था के रूप में छिपाया हुआ था।
- पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपने हैंडलर के बारे में जानकारी का खुलासा किया और कहा कि ड्रग विरोधी एजेंसियों के संदेह को कम करने के लिए, उन्होंने एतिहाद एयरवेज द्वारा दुबई से मुंबई तक यात्रा करने का विकल्प चुना। उन्होंने खुलासा किया कि वे ब्राजील गए और खेप प्राप्त की और यात्रा के लिए अपने रास्ते अलग कर लिये। काफी चतुराई से उन्होंने ब्राजील के विभिन्न शहरों से हवाई जहाज से यात्रा की। दोनों मुंबई पहुंच गई थीं और बार–बार अपनी लोकेशन बदल रही थीं। जब एनसीबी की टीम ने उन्हें रोका तो वे होटल से चेकआउट करने की तैयारी में थे।

1.3 नारकोटिक फसलें

1.3.1 अफीम पॉपी की वैध खेती

भारत एकमात्र देश है, जिसे यूनाइटिड नेशन्स सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स (1961) द्वारा गम (गोंद) अफीम का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन, हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की और चेक गणराज्य जैसे देश भी अफीम का उत्पादन करते हैं लेकिन यह उत्पादन कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ (सीपीएस) विधि के माध्यम से किया जाता है ।

भारत में अफीम पॉपी की वैध खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित चयनित क्षेत्रों में की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित सामान्य शर्तों के अनुसार उपरोक्त तीन राज्यों में पात्र कृषकों को सीबीएन द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

1.3.2 अफीम पॉपी की अवैध खेती

अफीम पॉपी की अवैध खेती की सीमा का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए उन्मूलन, इस तरह की खेती की संभावना वाले क्षेत्रों का संकेत है। भारत सरकार ने ऐसी अवैध खेती की उपग्रह इमेजिंग शुरू की है और इसके परिणामस्वरूप, अवैध फसल के उन्मूलन के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है ।

2023 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर राज्यों में अफीम पॉपी की अवैध खेती पाई गई। एनसीबी ने अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके अवैध अफीम की कुल 31785 एकड़ खेती को नष्ट कर दिया है।

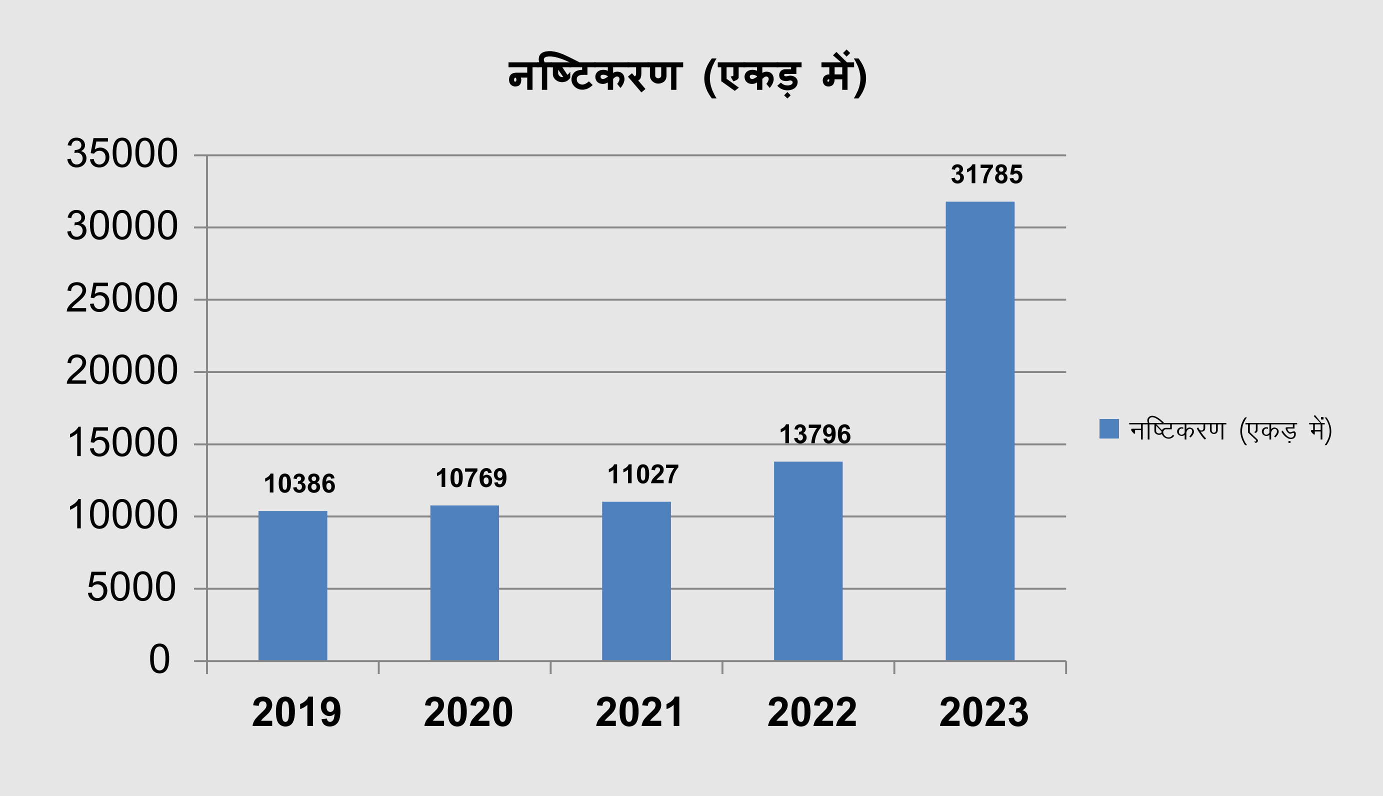

पिछले 5 वर्षों में भारत में अवैध पॉपी की खेती का वर्ष-वार नष्टिकरण (आंकड़े एकड़ में)

•भारत में अवैध अफीम पोस्त की खेती

अवैध अफीम पॉपी की खेती को नष्ट करना

- 03.01.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के समन्वय से 37.06 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया गया।
- 04.01.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के समन्वय से 31.02 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया गया।
- 07.01.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के समन्वय से 37.7 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 08.01.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के समन्वय से 39.7 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 09.01.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के समन्वय से 43.4 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 12.01.2023 को एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के समन्वय से 39.04 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 13.01.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 48.1 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 18.01.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 34.04 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।

- 22.01.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 34.30 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 24.01.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 42.30 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 29.01.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 20.10 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 31.01.2023 को, एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क विभाग, स्थानीय पुलिस और हितधारकों के समन्वय से देबग्राम, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में 70 एकड़ भूमि और पूर्वांथर देबग्राम, पश्चिम बंगाल में 50 एकड़ भूमि पर फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 03.02.2023 को, एनसीबी, कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में पश्चिम बंगाल के बाकुरा में 110 एकड़ भूमि पर फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 03.02.2023 को, एनसीबी, इंफाल उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने 33 असम राइफल्स के समन्वय से 32 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 04.02.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 40.81 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 12.02.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से 19.10 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 13.02.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग, गया, बिहार के समन्वय से गया जिला, बिहार के दो अलग–अलग न्यायक्षेत्रों में 32.20 एकड़ और 26.7 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।

- 21.02.2023 को, एनसीबी, पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस, एसएसबी और उत्पाद शुल्क विभाग के समन्वय से गया, बिहार के दो अलग–अलग क्षेत्राधिकार में 18.03 एकड़ और 26.7 एकड़ भूमि में फैली अफीम पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया।

1.3.3 कैनबिस की अवैध खेती

एनडीपीएस अधिनियम के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों के तहत, कैनबिस की खेती अवैध है। एनसीबी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रत्युपायों में से एक इस पौधे की अवैध खेती की पहचान करना और उसे नष्ट करना है। 2023 के दौरान ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 22507 एकड़ में अवैध कैनबिस की खेती का पता चला, जिसे बाद में, विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा नष्ट किया गया।

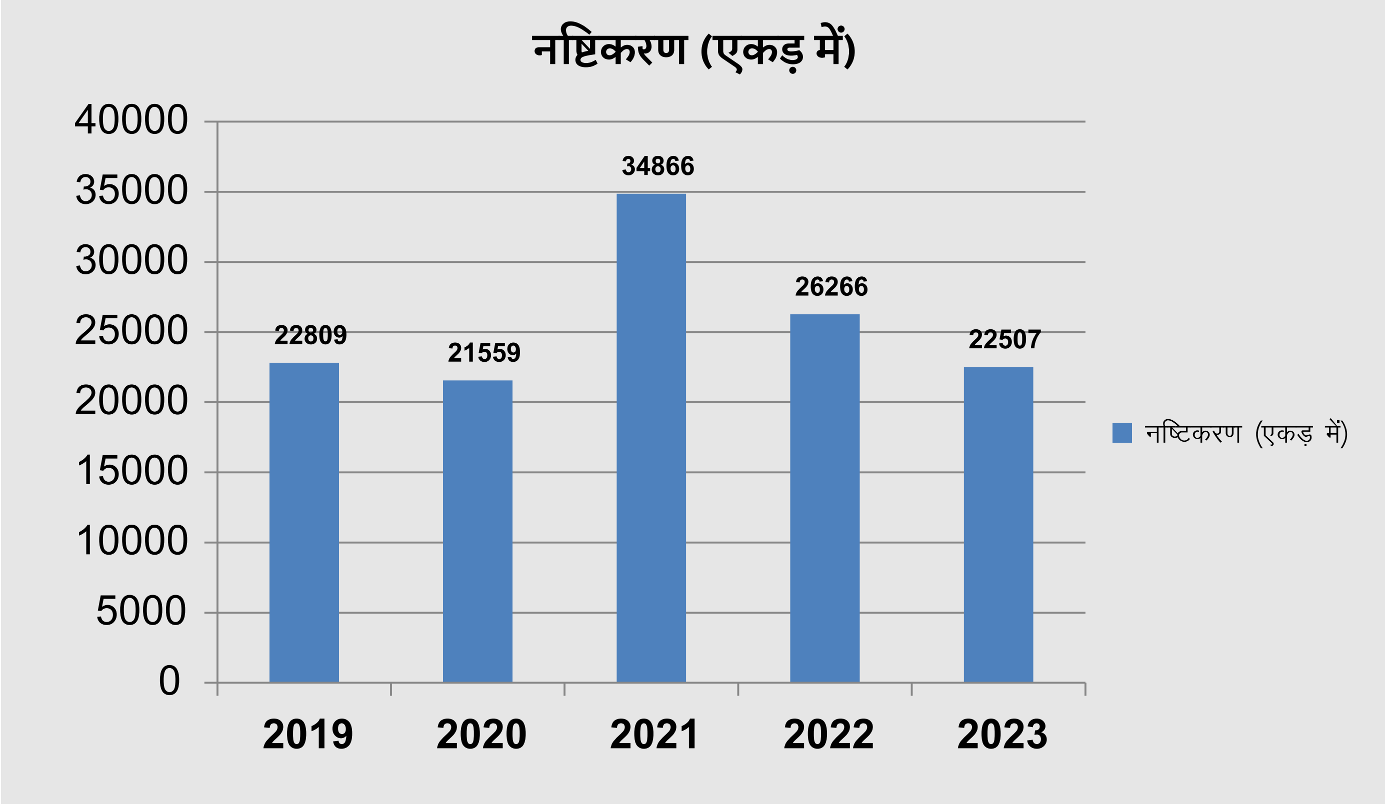

पिछले 5 वर्षों में भारत में अवैध कैनबिस की खेती का वर्ष-वार नष्टिकरण (आंकड़े एकड़ में)

भारत में कैनबिस की अवैध खेती

कैनबिस की अवैध खेती का नष्टिकरण

- 24.12.2022 को, एनसीबी, भुवनेश्वर उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क और स्थानीय पुलिस के समन्वय से गुडारी, ओडिशा में 40 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 27.12.2022 को, एनसीबी, भुवनेश्वर उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क और स्थानीय पुलिस के समन्वय से गुडारी, ओडिशा में 41 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 28.12.2022 को, एनसीबी, भुवनेश्वर उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में गुडारी, ओडिशा में 40 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 29.12.2022 को, एनसीबी, भुवनेश्वर उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में गुडारी, ओडिशा में 80 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 28.02.2023 को, एनसीबी, कोलकाता उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने बीएसएफ के समन्वय से पश्चिम बंगाल के दक्षिण सिंगामारी में 23 एकड़ भूमि पर फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- एनसीबी, देहरादून उप–क्षेत्र के अधिकारियों ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में फेली कैनबिस पौधे की अवैध खेती, 6.103 हेक्टेयर भूमि को नष्ट किया।

1.4 मनः प्रभावी पदार्थ

मनः प्रभावी पदार्थ, (अर्थात कोई भी साइकोएक्टिव ड्रग) ऐसे रासायनिक एजेंट हैं जो दिमाग या मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1971, ऐसे पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करता है। कन्वेंशन ने दुरुपयोग किए जाने वाले ड्रग्स के स्पेक्ट्रम के विविधीकरण और विस्तार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक ओर उनकी दुरुपयोग क्षमता और दूसरी ओर उनके चिकित्सीय मूल्य के अनुसार कई सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण शुरू किया।

1.4.1 संश्लेषित ड्रग्स

एम्फैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट्स (एटीएस) जैसी सिंथेटिक ड्रग्स दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका में पसंद की जाने वाली ड्रग बन गई हैं। भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में एटीएस का उत्पादन करने के लिए गुप्त विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए अतीत में, कई प्रयास किए गए हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने इन गलत प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है।

प्रवृत्तियां:

- म्यांमार से उत्तर–पूर्वी राज्यों की सीमा पर भारत में एटीएस की तस्करी।
- ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और थाईलैंड, भारत से एटीएस की तस्करी के दृष्टिकोण से प्रमुख गंतव्य देश हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका भारत से प्राप्त मेथाक्वालोन/मैन्ड्रेक्स के प्रमुख गंतव्य देश हैं।
- नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के हवाई अड्डों पर काफी मात्रा में मेथाक्वालोन/ मैन्ड्रेक्स की जब्ती होती है।

एनसीबी द्वारा मेफेड्रोन की महत्वपूर्ण जब्ती:

- 05.01.2023 को एनसीबी, अहमदाबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 1.478 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 13.03.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल कूरियर, मुंबई, महाराष्ट्र में 1 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया।
- 30.04.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने भिवंडी, महाराष्ट्र में 02 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.06.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डोंगरी, मुंबई में 20 किलोग्राम मेफेड्रोन, रु. 1,10,24,000/– और 186.6 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 04.08.2023 को, एनसीबी, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एसटीएफ वाराणसी के साथ मिलकर शिवपुर, वाराणसी में डुप्लेक्स हाउस में संचालित मेफेड्रोन की एक गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और 1.3 किलोग्राम मेफेड्रोन के साथ–साथ गोपनीय प्रयोगशाला उपकरण जैसे बीकर, जार, ग्लास कंटेनर, केमिकल, गैस सिलेंडर व गैस ओवन आदि, 01 पिस्टल, 01 मैगजीन व 04 जिंदा कारतूस व 40,000/– नकद रुपये भी बरामद किए।

केस स्टडी - 06

ड्रग्स का नाम : मेफेड्रोन | **जब्त की गई मात्रा : 20 कि.ग्रा. मेफेड्रोन**

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : मुंबई जोनल यूनिट | **कुल गिरफ्तारियाँ : 06 व्यक्ति**

- मेफेड्रोन की तेजी से बढ़ रही तस्करी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, एनसीबी–मुंबई ने अपने खुफिया स्रोतों को बढ़ाया, जिससे डोंगरी, मुंबई स्थित एक सिंडिकेट की पहचान की गई। यह क्षेत्र देश के संगठित अपराध सिंडिकेट (अंडरवर्ल्ड) के केंद्र के रूप में जाना जाता है। धीरे–धीरे, जानकारी का पता लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप X नामक सरगना का पता चला। उसकी पत्नी Y और अन्य व्यक्ति Z उसका भरपूर साथ दे रहे थे।

- विशिष्ट जानकारी का विश्लेषण किया गया, जिसमें X के इशारे पर डोंगरी में A को खेप पहुंचाई जानी थी। एनसीबी–मुंबई की एक टीम गठित की गई, जिसने डोंगरी में एक अचूक जाल बिछाया। बाद में, दिनांक 09.06.2023 को विशेष सूचना के आधार पर, A के एक करीबी सहयोगी B को डोंगरी में 3 किलोग्राम मेफेड्रोन के साथ पकड़ा गया। तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, A को मुंबई के डोंगरी में उसके परिसर से 2 किलोग्राम मेफेड्रोन के साथ पकड़ा गया। हालांकि बाद में क्षेत्रीय जानकारी का विश्लेषण किया गया, जिसमें संकेत मिला कि मेफेड्रोन की भारी मात्रा में ड्रग्स पास में ही संग्रहीत की गई थी।

- परिणास्वरूप, X के घर पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई, जिसमें 15 और किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद की गई, जिसे उसकी पत्नी Y ने कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। आगे की विस्तारित तलाशी में, 1,10,24,000/– रुपये की नकदी और 186.6 ग्राम वजन के सोने के आभूषण बरामद हुए।

- वित्तीय जांच के दौरान, 03 फ्लैट, सोना, नकदी सहित कई संपत्तियों जिनका मूल्य 4.90 करोड़ रुपये है, को फ्रीज किया गया। आरोपियों द्वारा बुक किए गए 70 लाख रुपये के दो निर्माणाधीन फ्लैटों की पहचान की गई और इसकी वित्तीय जांच की जा रही है। यह पाया गया कि ड्रग से भारी मात्रा में मुनाफे से प्राप्त काले धन को वैध बनाने के लिए विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। इस प्रकार, इस काले धन को संपत्तियों, सोने और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था।

एनसीबी द्वारा एम्फेटामाइन टाइप स्टिमूलैंट्स (एटीएस) की महत्वपूर्ण जब्ती:

- 10.03.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने आईजीआई हवाई अड्डे, टर्मिनल– 3, नई दिल्ली में 2.396 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 03.04.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 1.016 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया।
- 13.05.2023 को, एनसीबी, कोचीन जोनल यूनिट के अधिकारियों ने भारतीय नौसेना के समन्वय से दक्षिण जेट्टी, नेवलबेस, कोचीन में 2525.675 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति (पाकिस्तानी नागरिक) को गिरफ्तार किया गया।
- 13.05.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई में 02 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10.06.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने दिल्ली अपराध संख्या 30/2023 एनसीबी की अनुवर्ती कार्रवाई में मकान नं. 2/22, दूसरी मंजिल, गुरुनानक विहार, निलोठी एक्सटेंशन, दिल्ली में 1.717 किलोग्राम एम्फेटामाइन और 745 ग्राम कोकीन जब्त की । 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 17.11.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एग्मोर रेलवे स्टेशन, चेन्नई में 3.056 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 24.11.2023 को, एनसीबी चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 3.056 किलोग्राम एम्फेटामाइन की जब्ती के संबंध में 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 28.11.2023 को, एनसीबी गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से कुल 9.669 किलोग्राम मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त कीं और 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- 10.12.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चेन्नई में 2 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.12.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी, चेन्नई की 10.12.2023 को 02 किलोग्राम एम्फेटामाइन की जब्ती की अनुवर्ती कार्रवाई में 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 15.12.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 10.12.2023 को 02 किलोग्राम एम्फेटामाइन की जब्ती के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 19.12.2023 को एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 10.12.2023 को एनसीबी चेन्नई की 02 किलोग्राम एम्फेटामाइन की जब्ती की अनुवर्ती कार्रवाई में 54.600 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया ।
- 20.12.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मुंबई में 9.877 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया और आगे की कार्रवाई में, आरोपियों के घर की तलाशी के दौरान 9800 गोलियां जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 21.12.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एनसीबी, दिल्ली अपराध संख्या 55/2023 की अनुवर्ती कार्रवाई में मकान नंबर–203, सी–ब्लॉक, दूसरी मंजिल, दयालबाग कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा में 16.718 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया।
- 21.12.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने रेड हिल्स, चेन्नई में आवासीय परिसर में 1.823 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.12.2023 को, एनसीबी, गुवाहाटी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने गुवाहाटी, असम के सोनपुर क्षेत्र में 7.198 किलोग्राम मेथाफेटामाइन गोलियां जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 23.12.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 21.12.2023 को 1.823 किलोग्राम एम्फेटामाइन की जब्ती के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में 2. 978 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 31.12.2023 को, एनसीबी, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 28.12.2023 को एनसीबी, चेन्नई द्वारा 11 किलोग्राम एम्फेटामाइन की जब्ती के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

केस स्टडी - 07

ड्रग्स का नाम : मेथमफेटामाइन

जब्त की गई मात्रा : 2525.675 कि.ग्रा. मेथमफेटामाइन

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : कोचीन जोनल यूनिट

कुल गिरफ्तारियाँ : 06 व्यक्ति

- एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, भारतीय नौसेना ने मेथमफेटामाइन (2525.675 किलोग्राम) जिसे अरब सागर में एक गैर एआईएस जहाज से बरामद किया गया था, के साथ एक विदेशी नागरिक (ईरानी/पाकिस्तानी) को पकड़ा।
- प्रतिबंधित सामग्री सहित विदेशी को भारतीय नौसेना ने 13.05.2023 को एनसीबी कोचीन को सौंप दिया था। एनसीबी कोचीन ने प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया और विदेशी नागरिक को उसकी जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया।
- ऐसा माना जाता है कि प्रतिबंधित पदार्थ पाकिस्तान से आया था और ईरान के चाबहार बंदरगाह तक समुद्री मार्ग से ले जाया गया था। यह प्रतिबंधित पदार्थ X नाम के पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर का है। X द्वारा अपने सहयोगी Y एक पाकिस्तानी, जो ईरान से संचालन कर रहा था और वाहक Z (गिरफ्तार आरोपी) के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी की गई थी।

1.5 प्रीकर्सर रसायन

प्रीकर्सर केमिकल्स दोहरे उपयोग वाले रसायन हैं जिनका वैध उपयोग होता है, और इसका उपयोग अवैध नारकोटिक ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों को बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

प्रवृत्तियांः

- एफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी मुख्य रूप से दिल्ली, चेन्नई, कोचीन और हवाई अड्डों के माध्यम से की जाती है।
- कूरियर/पार्सल के उपयोग के भी उदाहरण हैं।

एफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन/एसिटिक एनहाइड्राइड की महत्वपूर्ण जब्तियाँ

- 31.03.2023 से 03.04.2023 तक, एनसीबी, अहमदाबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एस–3 गोडवान, पोर्ट सीएफएस, एपीएम टर्मिनल, पिपावाव पोर्ट, जिला–अमरेली, गुजरात में स्यूडोफेड्रिन के 39,60,000 कैप्सूल (475.2 किलोग्राम) जब्त किए।
- 25.04.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 4.927 किलोग्राम स्यूडोफेड्रिन जब्त किया।
- 04.07.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने अरामैक्स कोरियर्स, अंधेरी, मुंबई में 3. 87 किलोग्राम स्यूडोफेड्रिन जब्त किया।
- 25.09.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मुंबई में 49.880 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन जब्त किया।

केस स्टडी - 08

ड्रग्स का नाम : स्यूडोएफेड्रिन

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : अहमदाबाद जोनल यूनिट

जब्त की गई मात्रा : 39,60,000 कैप्सूल स्यूडोएफेड्रिन

कुल गिरफ्तारियाँ : 02 व्यक्ति

- एक विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद के अधिकारियों की एक टीम ने पीपावाव बंदरगाह पर एक कंटेनर नंबर TCLU5702630 की तलाशी ली थी स्यूडोएफेड्रिन युक्त होने का दावा/संदिग्ध दवाओं के बैच–वार नमूने (तिपाई में) लिये। प्रत्येक बैच का पहला नमूना रासायनिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर (एनएफएसयू) को भेजा गया था।
- एनएफएसयू रिपोर्ट के अनुसार स्यूडोएफेड्रिन के डायवर्जन के बारे में खुफिया जानकारी सही पाई गई, इसलिए एनसीबी अहमदाबाद की एक टीम ने उक्त कंटेनर नंबर TCLU5702630 में निहित दवाओं की जब्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया तथा स्यूडोएफेड्रिन के कुल 3960000 नकली कैप्सूल जब्त किए। घोषणा के अनुसार, प्रत्येक कैप्सूल में 120 मिलीग्राम स्यूडोएफेड्रिन एचसीएल होना चाहिए और इस तरह इस ऑपरेशन में प्रथम दृष्टया में स्यूडोएफेड्रिन एचसीएल 475.2 किलोग्राम का डायवर्जन होने का पता चला है।
- जांच के दौरान, यह पाया गया कि उक्त दवाएं मैसर्स X द्वारा निर्मित और दक्षिण सूडान को निर्यात की जा रही थीं। इस संबंध में, मेसर्स X के निदेशक, अधिकृत मुख्य रसायनज्ञ और स्टोर प्रभारी को अपराध में शामिल पाए जाने तथा एनडीपीस अधिनियम की धारा 9क, 25क, 26, 29 और 38 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था।

1.6 फार्मास्युटिकल ड्रग्स

भारत सबसे बड़े फार्मास्युटिकल औद्योगिक अड्डों में से एक है और फार्मास्युटिकल पदार्थों के डायवर्जन के परिणामस्वरूप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है। देश के उत्तर–पूर्व और उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में समस्या गंभीर होती दिख रही है। जिन फार्मास्युटिकल उत्पादों का दुरुपयोग किया जाता है उनमें ब्यूप्रेनोर्फिन, कोडीन–आधारित कफ सिरप, अल्प्राजोलम, डायजेपाम और अन्य शामक शामिल हैं। ऐसी सामग्री की आसान उपलब्धता, उनके दुरुपयोग को बढ़ावा देने में प्रमुख कारक है। एक धारणा यह भी है कि ये फार्मास्युटिकल ड्रग्स, हेरोइन, कोकीन आदि जैसे हार्ड ड्रग्स की तुलना में कम हानिकारक हैं। हालांकि, यह एक गलत धारणा है, क्योंकि ये नशे की लत का रूप ले सकती हैं और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती हैं। नारकोटिक/ मनः प्रभावी पदार्थों वाली फार्मास्युटिकल सामग्री भारत में औषध और प्रसाधन अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट) तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के दायरे में हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम टैबलेट, जोलपिडेम, ट्रामाडोल टैबलेट, स्टिडोनाफिल टैबलेट आदि भी जब्त किए हैं।

फार्मास्युटिकल ड्रग्स और अन्य ड्रग्स की गोलियों की महत्वपूर्ण जब्ती:

- 02.02.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने वीआरएल लॉजिस्टिक्स, कलंबोली, नवी मुंबई में अल्प्राजोलम की 19.800 किलोग्राम (1,32,000 गोलियां) और मानखुर्द, मुंबई में वाहन से कोडीन आधारित कफ सिरप की 2,400 बोतलें जब्त कीं। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 09.03.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने अरमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंदोली, द्वारका, सेक्टर– 28, नई दिल्ली लिमिटेड से डायजेपाम की 530 गोलियां, अल्प्राजोलम की 1650 गोलियां, लोराजेपम की 1890 गोलियां, क्लोनाजेपम की 465 गोलियां और जोलपिडेम की 495 गोलियां जब्त कीं।
- 01.05.2023 को एनसीबी, देहरादून सब–जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मधु मेडिकोज, प्रेम नगर, देहरादून में अल्प्राजोलम की 1010 गोलियां और ट्रामाडोल की 32 गोलियां जब्त कीं। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 02.05.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने द प्रोफेशनल कूरियर, पुणे, महाराष्ट्र में नाइट्राजेपम की 5,970 गोलियां जब्त कीं। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 08.05.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने गरुड़वेगा इंटरनेशनल कोरियर, ग्राउंड फ्लोर, ग्रैंड शोभा होटल के पास, महिपालपुर, नई दिल्ली में अल्प्राजोलम की 14,700 गोलियां और ट्रामाडोल की 10,030 गोलियां जब्त कीं।
- 07.07.2023 को एनसीबी, देहरादून जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कौलागढ़, देहरादून में अल्प्राजोलम की 20,700 गोलियां जब्त कीं। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 28.07.2023 को, एनसीबी, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में जोलपिडेम की 1000 गोलियां जब्त कीं।
- 02.07.2023 को, एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने दादर रेलवे स्टेशन, मुंबई में अल्प्राजोलम की 25,000 गोलियां जब्त कीं। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 07.07.2023 को एनसीबी, देहरादून जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कौलागढ़, देहरादून में अल्प्राजोलम की 20,700 गोलियां जब्त कीं। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 06.09.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने अल्प्राजोलम की 15,000 गोलियां जब्त कीं।
- 07.10.2023 को एनसीबी, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पुणे से अवैध ड्रग निर्माण प्रयोगशाला से 199.25 किलोग्राम अल्प्राजोलम जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 26.10.2023 को एनसीबी, इंदौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से बेला बाजार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में अल्प्राजोलम की 12000 गोलियां और ट्रामाडोल की 240 गोलियां जब्त कीं। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 15.11.2023 को एनसीबी, जयपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने ट्रामाडोल/अल्प्राजोलम की 13,810 गोलियां और सीबीसीएस की 06 बोतलें जब्त कीं। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी - 09

ड्रग्स का नाम : अल्प्राजोलम

जब्त की गई मात्रा : 199.3 कि.ग्रा. अल्प्राजोलम

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : मुंबई जोनल यूनिट

कुल गिरफ्तारियाँ : 02 व्यक्ति

- मुंबई जोनल यूनिट ने पुणे, महाराष्ट्र में दो स्थानों पर स्थित दो गोपनीय प्रयोगशालाओं से भारी मात्रा में कच्चे माल के साथ 199.3 किलोग्राम अल्प्राजोलम जब्त किया।
- हैदराबाद, तेलंगाना से एक व्यक्ति सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस सिंडिकेट के कई राज्यों में लिंक थे।

केस स्टडी - 10

ड्रग्स का नाम : सीबीसी सिरप

जब्त की गई मात्रा : 1019.64 कि.ग्रा. सीबीसी सिरप

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : अहमदाबाद जोनल यूनिट

कुल गिरफ्तारियाँ : 02 व्यक्ति

- सूचना के आधार पर, अहमदाबाद जोनल यूनिट ने कूरियर सार्विस से 1019.64 किलोग्राम सीबीसी जब्त किया है और एक सरकारी अधिकारी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
- यह कूरियर गुजरात से मंगवाया गया था। एनसीबी के कई मामलों में, सरगना की संलिप्तता के साथ इस मामले में कई राज्यों के साथ इनके संबंध पाए गए।
- दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच चल रही है।

केस स्टडी - 11

ड्रग्स का नाम : ट्रामाडोल

जब्त की गई मात्रा : 540.980 कि.ग्रा. ट्रामाडोल

एनसीबी क्षेत्रीय इकाई : अहमदाबाद जोनल यूनिट

कुल गिरफ्तारियाँ : 01 व्यक्ति

- 21.06.2023 को, एनसीबी, अहमदाबाद जोन को एक विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई थी कि "एक फार्मास्युटिकल कंपनी मेसर्स X लगभग 400 ड्रमों में एक उत्पाद जिसे उन्होंने ''सिल्डेनाफिल माइक्रो ग्रैन्यूल्स बीपी 90%'' घोषित किया है, का निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं । उक्त उत्पाद को PONU0047066 नंबर वाले कंटेनर में भरा गया है और आईसीडी, साणंद के माध्यम से कांगो, अफ्रीका के लिए भेजा गया है। हालाँकि, 400 ड्रमों में से 25 में ट्रामाडोल है, जो पाउडर के रूप में एक मनः प्रभावी पदार्थ है, और सिल्डेनाफिल माइक्रो ग्रैन्यूल्स बीपी 90% घोषित नहीं किया गया। आईसीडी साणंद में पड़े उक्त कंटेनर की जांच और परीक्षण किया जाना है क्योंकि ट्रामाडोल एनडीपीएस अधिनियम 1985 (यथा संशोधित) के तहत आने वाला एक निषिद्ध/प्रतिबंधित मनः प्रभावी पदार्थ है।
- 22.06.2023 को विशिष्ट इनपुट के आधार पर, एनसीबी, अहमदाबाद ने आईसीडी साणंद में पड़े एक कंटेनर की जांच की और उसे जब्त कर लिया। रोके जाने पर, उपरोक्त कंटेनर से पाउडर के रूप में 540.980 किलोग्राम (सकल वजन) ट्रामाडोल जब्त किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- उक्त कंटेनर में पड़े ड्रमों की गहन जांच करने पर यह देखा गया कि औचक रूप में खोले गए ड्रमों में वजन और बनावट, गंध और रंग जैसी अन्य भौतिक विशेषताओं में कुछ प्रत्यक्ष अंतर दिखाई दे रहा था। तब Y ने पंचों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बताया कि ड्रमों में मौजूद सफेद पाउडर वाला पदार्थ ट्रामाडोल है और वही 25 ड्रमों में भरा हुआ है।
- तत्पश्चात, एनसीबी टीम ने गोदाम में उपलब्ध वजन मशीन का उपयोग करके उपरोक्त 25 ड्रम (ड्रम संख्या 77 से 101) का एक–एक करके वजन किया, कुल 540.980 किलोग्राम (सकल वजन) ट्रामाडोल जब्त किया गया था।
- उसके बाद, Y की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत आने वाले ट्रामाडोल की तस्करी में वह सक्रिय रूप से शामिल था, उसे 01/07/2023 को गिरफ्तार कर लिया गया।

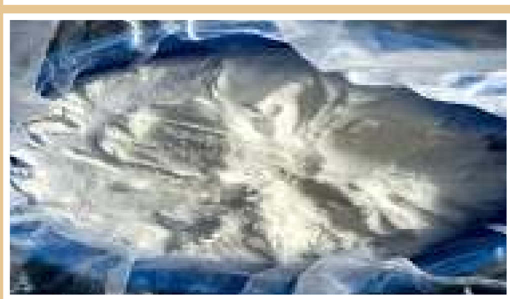

1.7 अवैध प्रयोगशालाओ का पर्दाफाश

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 02 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (मई 2023)

- 17.05.2023 को, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और 46.2 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और अन्य विनिर्माण उपकरण और 01 कार जब्त की और 10 व्यक्तियों (09 नाइजीरियाई और 01 सेनेगल) को गिरफ्तार किया। अनुवर्ती कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अन्य प्रयोगशाला का भी पर्दाफाश किया और ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 30.9 किलोग्राम मेथमफेटामाइन के साथ अन्य विनिर्माण उपकरण और 02 कार जब्त की और 03 व्यक्तियों (02 नाइजीरियाई और 01 किर्गिजियन) को गिरफ्तार किया।

मापुसा, गोवा में 01 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (मई 2023)

- 01.05.2023 को, एनसीबी गोवा के अधिकारियों ने एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और मापुसा, गोवा में 2466 एलएसडी ब्लॉट्स, 5 ग्राम साइलोसाइबिन, 10. 470 ग्राम एमडीएमए, 60.50 ग्राम गांजा, 80 ग्राम हशीश और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

हैदराबाद में 01 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (मई 2023)

- 07.05.2023 को, एनसीबी हैदराबाद के अधिकारियों ने एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और हैदराबाद में 3.9 किलोग्राम अल्प्राजोलम और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

हैदराबाद में 01 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (जून 2023)

- 05.06.2023 को, एनसीबी हैदराबाद के अधिकारियों ने एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और हैदराबाद में 119.5 किलोग्राम अल्प्राजोलम और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और 04 लोगों को गिरफ्तार किया।

कोलकाता में 01 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (जून 2023)

- 17.06.2023 को, एनसीबी कोलकाता के अधिकारियों ने एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और हैदराबाद में 2.65 किलोग्राम अफीम, 0.07 एए, 0.4 किलोग्राम हेरोइन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

वाराणसी में 01 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (अगस्त 2023)

- 04.08.2023 को, एनसीबी लखनऊ/एसटीएफ वाराणसी के अधिकारियों ने एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और शिवपुर वाराणसी में 1.3 किलोग्राम मेफेड्रोन, 01 पिस्तौल, 01 मैगजीन, 04 कारतूस, भारतीय मुद्रा 40,000/– रु. और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और 05 लोगों को गिरफ्तार किया।

पुणे में 01 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (अक्टूबर 2023)

- 06.10.2023 को, एनसीबी मुंबई के अधिकारियों ने पुणे में एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और 199.3 किलोग्राम अल्प्राजोलम और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में 02 गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश (अक्टूबर 2023)

- 20.10.2023 को, डीआरआई मुंबई के अधिकारियों ने एक प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया और छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में 23.32 किलोग्राम कोकीन, 2.96 किलोग्राम मेफेड्रोन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए और अनुवर्ती कार्रवाई में 4.5 किलोग्राम मेफेड्रोन, 4.3 किलोग्राम केटामाइन, मेफेड्रोन / केटामाइन का 9.3 किलोग्राम मिश्रण जब्त किया। आगे की कार्रवाई में 28.10.2023 को 107 लीटर तरल मेफेड्रोन जब्त किया और 31,00,000/– रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की और 04 लोगों को गिरफ्तार किया।

1.8 नियंत्रित डिलीवरी

नियंत्रित डिलीवरी एक ऐसी तकनीक है जो नारकोटिक्स ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या उनके स्थान पर प्रतिस्थापित पदार्थों की अवैध या संदिग्ध खेप को इसके लिए अधिकार–प्राप्त अधिकारी या इस अधिनियम के तहत अपराध करने में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से धारा 50क के अधीन विधिवत अधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत भारत से बाहर या उसके माध्यम से या भारत के क्षेत्र में जाने की अनुमति देती है।

धारा 4 की उप–धारा (3) के तहत गठित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी खेप की नियंत्रित डिलीवरी का कार्य निम्नलिखित स्थानों के लिए करने हेतु अधिकृत हैं–

- भारत में किसी भी गंतव्य में
- किसी विदेशी देश में, जहां ऐसी खेप भेजी जानी है, उस विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।

वर्ष 2023 के दौरान, एनसीबी और अन्य एजेंसियों द्वारा कुल 51 नियंत्रित डिलीवरी ऑपरेशन भी किए गए।

वर्ष 2021–2023 के दौरान नियंत्रित सुपुर्दगियों की कुल संख्या

वर्ष	2021	2022	2023
कुल मामले	07	21	51

1.9 ड्रग्स का निपटान

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चोरी, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की कमी के कारण कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न ड्रग्स या मनः प्रभावी पदार्थों का निपटान किया।

वर्ष 2023 के दौरान एनसीबी की विभिन्न जोनल इकाइयों द्वारा जब्त की गई ड्रग्स की कुल मात्रा का निपटान किया गया

क्र.सं.	जोन	कुल मामलों की संख्या	ड्रग का प्रकार	निपटाई गई ड्रग की मात्रा	
				कि.ग्रा. में	संख्या में
1	अहमदाबाद	13	सीबीसीएस		1585
			चरस	0-689	
			गांजा	78-39	
			हेरोइन	2-915	
			पॉपी स्ट्रॉ	218-715	
			मेफेड्रोन	12-051	
			मेथामफेटामाइन	0-079	
			गोलियाँ		9344
2	अजमेर	3	पॉपी स्ट्रॉ	226-76	
3	बेंगलौर	29	एम्फैटेमिन	0-112	
			कोकीन	2-495	
			चरस	3-075	
			गांजा	90-236	
			हशीश	0-026	
			एलएसडी	0-036	
			एमडीएमए	0-077	
			मेथाक्वालोन	4-99	
			मेथामफेटामाइन	4-965	
			स्यूडोएफेड्रीन	16-042	
			साइलोसाइबिन	0-007	
			गोलियाँ	0-971	

क्र.सं.	जोन	कुल मामलों की संख्या	ड्रग का प्रकार	निपटाई गई ड्रग की मात्रा	
				कि.ग्रा. में	संख्या में
5	चंडीगढ़	24	चरस	8-35	
			हेरोइन	31-085	
			पॉपी स्ट्रॉ	209-045	
			गोलियाँ		5880
			अन्य ड्रग	0-765	
6	चेन्नई	3	कोकीन	1-81	
			एफेड्रीन	25-845	
			हशीश	0-192	
			मेथामफेटामाइन	3-209	
			स्यूडोएफेड्रीन	10-024	
7	कोचीन	2	हेरोइन	339-1	
			हशीश तेल	3-6335	
8	दिल्ली	89	एसिटिक एनहाईड्राइड	2-626	
			एम्फैटेमिन	9-352	
			सीबीसीएस		50
			चरस	0-684	
			कोकीन	21-145	
			गांजा	0-815	
			हेरोइन	146-817	
			अन्य ड्रग्स	1-141	
			एमडीएमए	1-209	
			मेफेड्रोन	0-036	
			मेथामफेटामाइन	3-164	
			स्यूडोएफेड्रीन	39-982	
			गोलियाँ	3-277	231630
9	गुवाहाटी	10	गांजा	4123	
			हेरोइन	16-297	
10	हैदराबाद	3	गांजा	6084	
11	इंदौर	28	चरस	16-91	
			गांजा	4141	
			हेरोइन	24-321	
			मेफेड्रोन	0-21	
			अन्य ड्रग्स	0-35	
			अफीम	63-15	
			गोलियाँ	5-757	
12	इम्फाल	25	गांजा	73-35	
			हेरोइन	5-812	
			मेथामफेटामाइन	46-053	1456
			मॉर्फिन	64-67	
			अफीम	169-37	
			स्यूडोएफेड्रिन गोलियाँ	44-6	
			गोलियाँ		3394

क्र.सं.	जोन	कुल मामलों की संख्या	ड्रग का प्रकार	निपटाई गई ड्रग की मात्रा	
				कि.ग्रा. में	संख्या में
13	जम्मू	16	चरस	280	
			सीबीसीएस		1866
			हेरोइन	155-88	
			पॉपी स्ट्रॉ	244-678	
			गोलियाँ		28728
14	जोधपुर	16	सीबीसीएस		2255
			हेरोइन	5-94	
			अफीम	86-35	
			पॉपी स्ट्रॉ	2342-4	
			अफीम	83-47	
			गोलियाँ	1215610	
15	कोलकाता	22	कोकीन	0-467	
			गांजा	1268-62	
			मेथामफेटामाइन	1156-08	
			पॉपी स्ट्रॉ	399	
16	लखनऊ	50	चरस	88-603	
			कोकीन	2-985	
			गांजा	13023	
			इंजेक्शन		500
			हेरोइन	3-06	
			अफीम	132-637	
			मॉर्फिन	0-07	
			पॉपी स्ट्रॉ	1082-75	
			गोलियाँ	2-91	
17	मुंबई	18	एम्फैटेमिन	0-96	
			चरस	1	
			एफेड्रीन	4-415	
			गांजा	1914	
			हेरोइन	3-97	
			मेथाक्वालोन	4-94	
			गोलियाँ	2-24	
			गांजा	1076	
18	पटना	13	चरस	42-64	
			सीबीसीएस		32463
			डायसिटाइल मॉर्फिन	0-605	
			गांजा	6746	
			हेरोइन	0-195	
			मोनोएसिटाइल मॉर्फिन	1-115	
			मॉर्फिन	0-105	
			अन्य ड्रग्स	1-42	
19	रांची	3	गांजा	2144	
कुल		377		1267970	319151

एनसीबी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जब्त की गई ड्रग निपटान की कुछ झलकियाँ

1.10 पीआईटी–एनडीपीएस

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोक थाम

पिछले कुछ वर्षों में देश के कुछ भागों में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस खतरे को रोकने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का उपयोग करें। एक बहुत ही शक्तिशाली कानून जिसका बहुत कम उपयोग किया गया है वह है पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम। एक बार जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत निवारक निरोध आदेश जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की जा सकती है। एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय V क के अनुसार अर्ध–न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जब्ती की जाती है। यह नोट इसे संक्षेप में समझाता है।

पीआईटी–एनडीपीएस अधिनियम क्या है?

यह एक ऐसा अधिनियम है जो मादक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने को रोकने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निवारक निरोध आदेश प्रदान करता है।

प्रक्रियाः

प्रायोजक प्राधिकरण जैसे पुलिस, सीबीएन, एनसीबी, सीमा शुल्क, आदि निवारक निरोध के लिए राज्य सरकार के तहत काम करने वाले प्रायोजक प्राधिकरण के निरोध प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजें जैसे कि पुलिस अपने राज्य में निरोध प्राधिकरण या केंद्र में निरोध प्राधिकरण को प्रस्ताव भेज सकती है। इसी तरह, केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले प्रायोजक प्राधिकरण जैसे एनसीबी या सीमा शुल्क या तो केंद्र सरकार के तहत निरोध प्राधिकरण या राज्य सरकार के तहत निरोध प्राधिकरण को प्रस्ताव भेज सकते हैं।

निवारक निरोध क्यों?

एनसीबी, सीबीएन, डीआरआई, सीमा शुल्क, राज्य पुलिस आदि के अधिकारी ड्रग्स की खोज, जब्ती, गिरफ्तारी और अपराधों की जांच करते हैं और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत तस्करों पर मुकदमा चलाते हैं। हालांकि, यदि तस्कर एक आदतन अपराधी हैं, जिनकी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाया जाना आवश्यक है तो पीआईटी–एनडीपीएस अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू किया जाए जो एक वर्ष के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करते हैं। यह अभियोजन का विकल्प नहीं है, बल्कि ड्रग्स की संगठित तस्करी से लड़ने के लिए एक अतिरिक्त हथियार है। इससे अपराध के गठजोड/नेटवर्क को तोड़ने के लिए लागू किया गया है।

पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम का मूल उद्देश्य ऐसे आयोजकों फाइनेंसरों और उनके एजेंटों जैसे व्यक्तियों, जो पर्दे के पीछे से चीजों को व्यवस्थित करते हैं, आदतन या संगठित अवैध तस्करों को मादक पदार्थ/मनः प्रभावी पदार्थ/ नियंत्रित पदार्थ के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और अभियोजन तक निरोध में रखा जाता है, को लक्षित करना है। लाइसेंसधारी किसान अफीम की हेराफेरी में लिप्त हैं या अतिरिक्त खेती कर रहे हैं और व्यक्ति अवैध रूप से अफीम पोस्त/कैनबिस की खेती कर रहे हैं।

पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोध आदेश कौन जारी कर सकता है?

i) केंद्र सरकार का अधिकारी जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का न हो

ii) राज्य सरकार का अधिकारी जो सचिव स्तर से नीचे का न हो

यदि राज्य सरकार निरोध आदेश जारी करती है, तो उसे निरोध आदेश की तारीख से 10 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होगी और निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधार के बारे में 5 दिनों में या 15 दिनों (आपवादिक परिस्थितियों) के भीतर सूचित करना होगा [धारा 3 (3)].

पीआईटी एनडीपीएस के मामले

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	कुल
1	एनसीबी द्वारा प्रस्तावित मामलों की संख्या	10	20	27	31	11	99
2	राज्यों द्वारा प्रस्तावित मामलों की संख्या	149	320	680	688	171	2008

पीआईटी एनडीपीएस मामले

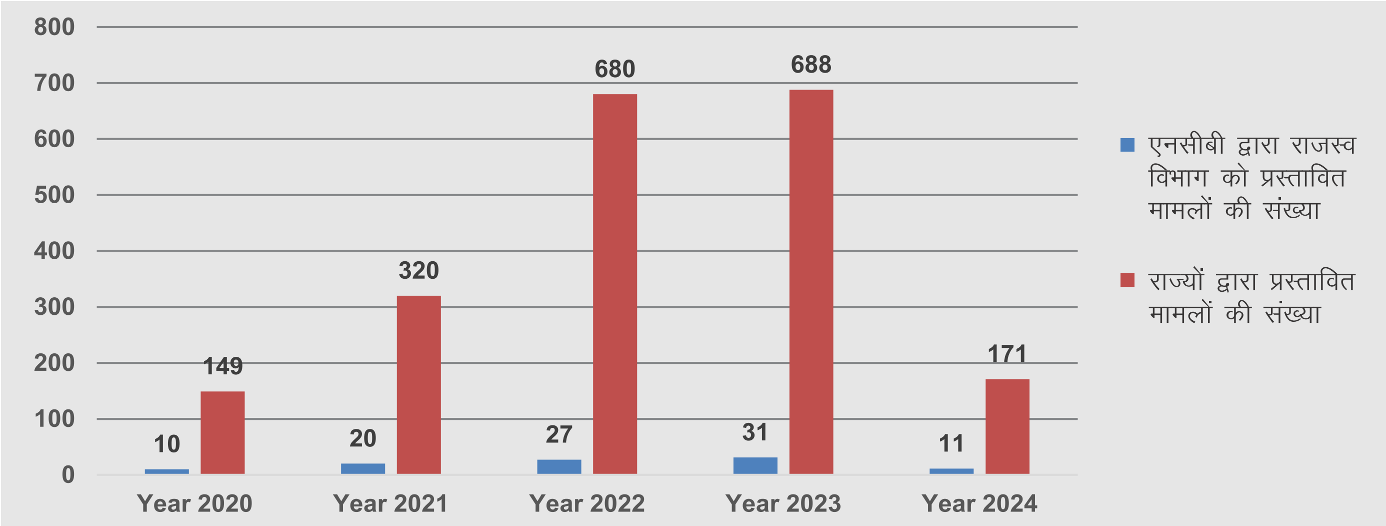

स्रोत : एनसीबी मुख्यालय नई दिल्ली

1.11 मनी लॉन्ड्रिंग

इस निदेशालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करके अवैध धन को वैध बनाए जाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के खतरे से निपटने के लिए सतर्क कदम उठाए हैं, जिसमें उन मामलों जिनमें स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 15–24, 25 क, 27 क एवं 29 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं, में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।

पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2023 तक की अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों का विवरण।

वर्ष	कुल मामलों की संख्या (एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दर्ज मामले)	कुल मामलों की संख्या जिनमें संपत्ति जब्त/कुर्क की गई	कुल कुर्क/जब्त संपत्ति (करोड़ रुपये में)
2019	5	4	979-87
2020	64	3	0-86
2021	88	7	15-38
2022	57	0	0
2023	19	1	8-28
कुल	233	15	1004-39

स्रोतः प्रवर्तन निदेशालय

एनडीपीएस मामले के संबंध में केस स्टडी

एनसीबी को सूचना मिली कि मेसर्स एबीसी के मिस्टर एक्स एक इंटरनेट आधारित फार्मेसी से जुड़े थे, जो एक अन्य फर्म मेसर्स डीईएफ की ओर से संदिग्ध रूप से स्वापक औषधि/ मनः प्रभावी पदार्थ–आधारित दवाइयों वाले पार्सलध्कूरियर भेजती थी। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि मिस्टर एक्स गुरुग्राम में अपने घर सहित विभिन्न पतों से काम करता था।

इस सूचना के आधार पर, एनसीबी ने मिस्टर एक्स के परिसरों की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप मनः प्रभावी पदार्थ जब्त किए गए। इसके बाद, मिस्टर एक्स, मेसर्स एबीसी, मेसर्स डीईएफ और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।

ईडी ने एमएल जांच शुरू की और अपराध की आय का पता लगाने के लिए, विभिन्न संस्थाओं के बैंक खाता विवरणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण से पता चला कि मेसर्स एबीसी को यूएसए में एक कंपनी मेसर्स एक्सवाईजेड

से धनराशि प्राप्त हो रही थी। हालांकि, यह पाया गया कि मेसर्स एक्सवाईजेड समझौते में दिए गए पते पर मौजूद नहीं था, जिससे पता चलता है कि मेसर्स एबीसी द्वारा मेसर्स एक्सवाईजेड से प्राप्त धन अवैध ड्रग की बिक्री से प्राप्त आय थी।

मुख्य आरोपी, श्री एक्स और उसके दो साथी सुश्री वाई और श्री जेड को अपराधी घोषित किया गया और जांच के दौरान वे फरार रहे। बहरहाल, तीन स्थानों पर तलाशी ली गई और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत कई अन्य संदिग्धों/आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए।

जांच के परिणामस्वरूप, अपराध की आय से खरीदी गई 6. 57 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान और कुर्की की गई, जिससे उन्हें जब्त करने के लिए उपलब्ध कराया गया।

आगे की जांच के दौरान, 23.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय की पहचान की गई। ये संपत्तियां श्री एक्स, मेसर्स एबीसी और उनके सहयोगियों द्वारा प्राप्त की गई थीं।

गुरुग्राम में पीएमएलए, 2002 के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.02.2022 को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। यह मामला फिलहाल नोटिस स्तर पर है।

इस केस स्टडी से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के बीच सफल सहयोग का पता चलता है। यह ड्रग्स की अवैध बिक्री के माध्यम से अर्जित आय के वित्तीय मार्ग और संपत्ति की कुर्की और अभियोजन सहित इस मामले को हल करने के लिए की गई कानूनी कार्रवाइयों को दर्शाता है।

1.12 वित्तीय जांच पर नोट

वित्तीय जांच: वित्तीय जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे वर्ष 1989 में अधिनियम में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ड्रग से अर्जित राशि से उत्पन्न तस्करों की संपत्तियों को बिना किसी देरी के फ्रीज/ जब्त किया जा सके। इसलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होने के पश्चात ड्रग तस्करी के नेटवर्क के आधार को तोड़ने के लिए, अपराध होने के तुरंत बाद ड्रग्स से प्राप्त धन से उत्पन्न उनकी वास्तविक/ अवास्तविक और चल/ अचल संपत्तियों का पता लगाना, पहचानना, फ्रीज और जब्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

वित्तीय जांच निम्नलिखित के संबंध में की जा सकती है:

क. प्रत्येक व्यक्ति जिसे अधिनियम के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

ख. प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर समान अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

ग. प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध पीआईटीएनडीपीएस निरोध आदेश जारी किया गया हो (बशर्ते इसे रद्द न किया गया हो)।

घ. प्रत्येक व्यक्ति जिसे या तो गिरफ्तार किया गया हो या जिसके खिलाफ भारत या किसी अन्य देश के संबंधित कानून में 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो।

पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संपत्ति की जब्ती/फ्रीजिंग का विवरण

वर्ष	जब्त/फ्रीज की गई संपत्ति के मामलों की संख्या	फ्रीज/सीज की गई संपत्तियों का मूल्य करोड़ में		मामलों की संख्या जिसमें संपत्ति जब्त की गई	जब्त की गई संपत्तियों का मूल्य करोड़ में
		अचल	चल		
2019	110	65.95	12.92	11	8.42
2020	188	123.80	17.62	19	299.75
2021	258	125.81	38.20	01	1.50
2022	158	55.51	31.52	03	0.13
2023	587	201.61	74.70	02	0.14
कुल	**1301**	**572.68**	**174.97**	**36**	**309.94**

स्रोतः सक्षम प्राधिकारी / एसएएफईएमए इंडिया

ङ. उपरोक्त व्यक्तियों के रिश्तेदार और सहयोगी/ड्रग से प्राप्त राशि से अर्जित संपत्तियों के धारक।

सक्षम प्राधिकारी की भूमिका

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 5 (यथासंशोधित) में अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान है। अधिनियम के तहत शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आवश्यक आय के स्रोतों को बताने के लिए संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करता है। सक्षम प्राधिकारी, व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, अंत में संपत्ति को जब्त कर लेता है, या जब्ती के बदले जुर्माना लगाता है।

जब्ती आदेश को अंतिम रूप देने के बाद, जब्त की गई संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की जाती है और सार्वजनिक नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की कीमतों की आय को तदनुसार भारत सरकार के नामित कोष में जमा किया जाता है।

1.13 नार्को आंतकवाद

आतंक का वित्तपोषण

आतंकवाद, ड्रग्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की समस्याएँ हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। ये समस्याएँ अधिकतर सीमावर्ती राज्यों विशेषकर पंजाब और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे विश्व और प्रत्येक क्षेत्र में आतंकवादी मुख्य रूप से अपने आतंकवादी अभियानों के लिए वित्तपोषण के स्रोत के रूप में अवैध ड्रग्स की तस्करी में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं ।

नार्को–आतंकवादी मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों की खेती, निर्माण, परिवहन और/या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कई आतंकवादी समूह आतंकवादी संगठनों या उनके समर्थकों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के माध्यम से अपने उत्पादों को ले जाने वाले मादक पदार्थों के तस्करों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

एनसीबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समग्र जब्ती (हथियार/गोला–बारूद/एफआईसीएन के साथ ड्रग्स की जब्ती) प्रभावित हुई है। इनमें से अधिकतर जब्ती पंजाब, राजस्थान और जम्मू–कश्मीर राज्यों में भारत–पाक सीमा से की गई हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, म.प्र., उ.प्र., मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में कुछ जब्ती की गई है।

पंजाब की सीमा सबसे महत्वपूर्ण रही है जहां राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ड्रग्स, एफआईसीएन और हथियार और गोला–बारूद की अधिकतम समग्र जब्ती की गई है। इन जब्तियों में भारी मात्रा में हेरोइन, अफीम, चरस और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में एके–47/56 राइफल, आरडीएक्स, विदेशी निर्मित पिस्तौल और एफआईसीएन जैसे अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए।

भांग की अवैध खेती आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और ओडिशा के मलकानगिरी, गजपति, रायगढ़, संबलपुर, कंधमाल, कोरापुट, सुंदरगढ़, कालाहांडी और देवगढ़ जिलों में पाई जाती है। ये सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, जहां भांग की अवैध खेती की खबरें हैं और वामपंथी उग्रवादी समूह अधिक सक्रिय हैं। यह माना जा सकता है कि वामपंथी उग्रवाद समूह भांग की इस अवैध खेती से जुड़े हो सकते हैं, हालाँकि अवैध खेती में वामपंथी उग्रवादी समूहों की भागीदारी के बारे में पुष्ट रिपोर्ट एनसीबी के पास उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2009–2023 के दौरान एनसीबी मुख्यालय को कुल 190 समग्र जब्तियों की सूचना दी गई है। पिछले 05 वर्षों के दौरान समग्र जब्ती का विवरण इस प्रकार है।

2019–2023 के दौरान समग्र जब्ती का विवरण

जब्ती विवरण	2019	2020	2021	2022	2023
ड्रग + हथियार	5	9	8	9	1
ड्रग + मुद्रा + एफ आई सी एन	-	18	20	10	12
ड्रग + हथियार + मुद्रा + एफ आई सी एन	1	4	3	1	2
कुल	**6**	**31**	**31**	**20**	**15**

स्रोतः एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली

2 क्षमता निर्माण

2.1 प्रशिक्षण

एनसीबी का अधिदेश इसको देश में ड्रग कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए भी जिम्मेदारी बनाती है। राज्य सहायता योजना के माध्यम से उन्हें भौतिकवादी सहायता प्रदान करने के अलावा, उनके कर्मियों/ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों में प्रवर्तन कौशल विकसित करना और बढ़ाना भी अनिवार्य है।

भारत में, ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए काम करने वाले अधिकारियों में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल है।

- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
- सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- राजस्व खुफिया विभाग
- सीमा सुरक्षा बल
- राज्य पुलिस
- राज्य उत्पाद शुल्क
- राज्य ड्रग नियंत्रक, आदि।

उपर्युक्त एजेंसियों की सामान्य प्रशिक्षण आवश्यकताओं में, प्रमुख कानून जैसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम, 1988, नियंत्रित पदार्थों का विनियमन आदेश (आरसीएस आदेश), 2013, परिपत्र/अधिसूचनाएं, दस्तावेजीकरण प्रक्रियाएं, नए मनःसक्रिय पदार्थों का उद्‌भव (एनपीएस), प्रिकर्सर नियंत्रण तंत्र, आसूचना जानकारी का संग्रह, ड्रग तस्करी में राष्ट्रीय /अंतरराष्ट्रीय प्रवृतियों, मामलों से बरी होने के कारणों का अध्ययन शामिल हैं

एनसीबी तो स्वयं या अन्य प्राधिकरणों जैसे राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन), आसूचना ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस), केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), सीमा रक्षक बल, राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, आदि के साथ समन्वय में, ऐसे क्षेत्र के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

ये कार्यक्रम एजेंसियों की क्षमता के अपने संबंधित क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धतियों जैसे ड्रग कानून प्रवर्तन के ज्ञान में वृद्धि, खुफिया जानकारी संग्रह में वृद्धि के साथ–साथ जांच, ड्रग्स की तस्करी की नई प्रवृतियों और पैटर्न को जानना, निष्पादन को समझना "नियंत्रित वितरण" संचालन, गोपनीय प्रयोगशालाओं का पर्दाफाश आदि को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं ।

एनसीबी ड्रग कानून प्रवर्तन में विशेष प्रशिक्षण के लिए एनएसीआईएन, सीबीआई अकादमी, एनआईसीएफएस, बीएसएफ, एसएसबी, एनपीए और राज्य पुलिस अकादमियों जैसे अन्य सहयोगी संगठनों को 'संसाधन व्यक्ति' और प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार सहयोग करता है। वर्ष 2023 के दौरान देश भर में ऐसे कुल 320 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और विभिन्न राज्य पुलिस, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क विभागों, सीमा शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तट रक्षक और कूरियर एजेंसियों के लगभग 16724 कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल था।

उपरोक्त प्रयासों के अलावा, यह ब्यूरो ड्रग तस्करी संगठनों (डीटीओ) द्वारा अपनाई गई उभरती रणनीति, विशेष रूप से

उन्नत साइबर प्रौद्योगिकी के उनके कुशल उपयोग को मान्यता देता है। परिणामस्वरूप, ब्यूरो अपने अधिकारियों के साथ–साथ अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों की तकनीकी दक्षता और क्षमताओं को बढ़ाने में सक्रिय रहा है। इसे हासिल करने के लिए, ब्यूरो ने डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर और मोबाइल फोरेंसिक, खुफिया जानकारी एकत्र करना, सीसीटीवी फुटेज, ओपन सोस/सोशल मीडिया से साक्ष्य प्राप्त करना और डार्क नेट की जांच तथा क्रिप्टो मुद्राओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला की सुविधा प्रदान की है।

वर्ष 2023 के दौरान सभी डीएलईए द्वारा आयोजित किए गए कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षित कार्मिक

माह	डीएलई प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
जनवरी	24	1,387
फरवरी	32	1,449
मार्च	31	1,834
अप्रैल	17	1,099
मई	29	1,330
जून	31	2,180
जुलाई	26	1,739
अगस्त	21	714
सितम्बर	28	1,732
अक्टूबर	25	975
नवंबर	18	692
दिसंबर	38	1,593
कुल	320	16,724

एनसीबी के अधिकारियों और अन्य डीएलईए के लिए आयोजित पाठ्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी का नाम	अवधि	निम्न द्वारा आयोजित	स्थान	प्रशिक्षुओं की संख्या	निम्न के द्वारा भाग लिया गया
1.	"क्लैन लैब और के. मिकल डायवर्सन प्रोग्राम" पर पाठ्यक्रम	(02 सप्ताह) 09.01.2023 से 20.01.2023	संयुक्त राज्य अमेरिका ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (यूएस–डीईए) के सहयोग से एनसीबी	नई दिल्ली	30	एनसीबी अधिकारी
		(02 सप्ताह) 23.03.2023 से 03.02.2023			30	
2.	''बीआईएसएजी (एन) के मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल का इष्टतम उपयोग'' पर प्रशिक्षण	(04 दिन) 31. 01.2023 और 01.02.2023 से 03.02.2023	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू–सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी–एन) के सहयोग से एनसीबी	ऑनलाइन	678	राज्य पुलिस
3.	''हवाला और अन्य समान सेवा प्रदाता (एचओएसएसपी)'' पर पाठ्यक्रम	(01 दिन) 05.04.2023	यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी), रिजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया (आरओएसए) के सहयोग से एनसीबी	नई दिल्ली	44	एनसीबी अधिकारी

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम/ कार्यशाला/संगोष्ठी का नाम	अवधि	निम्न द्वारा आयोजित	स्थान	प्रशिक्षुओं की संख्या	निम्न के द्वारा भाग लिया गया
4.	''डार्क वेब अन्वेषण तकनीक कार्यशाला'' पर पाठ्यक्रम	(05 दिन) 24.04.2023 से 28.04.2023	यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स (यूएस–एचएसआई) और एनसीबी	बैंगलौर	24	एनसीबी अधिकारी
5.	''डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक'' पर पाठ्यक्रम	(02 दिन) 03.05.2023 से 04.05.2023	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन)	फरीदाबाद	01	एनसीबी अधिकारी
6.	''अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)'' पर प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण	(05 दिन) 15.05.2023 से 19.05.2023	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) मुख्यालय	नई दिल्ली	02	एनसीबी अधिकारी
7.	''क्लैन लैब और केमिकल डायवर्जन कार्यक्रम'' पर पाठ्यक्रम	(12 दिन) 12.06.2023 से 23.06.2023	यूनाइटेड स्टेट्स ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस–डीईए) के सहयोग से एनसीबी	नई दिल्ली	26	राज्य पुलिस, एनडीआरएफ, एवं एन.सी.बी
8.	एसओ, सहायक, स्टेनो ग्रेड–II] यूडीसी और एलडीसी के लिए प्री–प्रमोशनल कोर्स/ अनिवार्य प्रेरण पाठ्यक्रम	(03 सप्ताह) 31.07.2023 से 18.08.2023	एनसीबी	नई दिल्ली	22	एनसीबी अधिकारी
		(03 सप्ताह) 18.09.2023 से 06.10.2023			37	
9.	''क्रिप्टो–मुद्राएं और डार्कनेट जांच'' पर पाठ्यक्रम	(05 दिन) 07.08.2023 से 11.08.2023	एनसीबी और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएन–डीओसी) रिजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया (आर ओ एस ए)	नई दिल्ली	04	एनसीबी अधिकारी
10.	''एनकॉर्ड– प्रभावी एनडीपीएस प्रवर्तन के लिए पुलिस क्षमताओं को बढ़ाने वाले प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' पर पाठ्यक्रम	(06 दिन) 09.10.2023 से 14.10.2023	केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सी ए पी टी)	भोपाल	01	एनसीबी अधिकारी
11.	एनसीबी में नवनियुक्त सिपाहियों का प्रेरण पाठ्यक्रम	(06 सप्ताह) 23.10.2023 से 01.12.2023	दिल्ली पुलिस अकादमी, (डीपीए) वजीराबाद	नई दिल्ली	145	सिपाही एनसीबी
12.	एनसीबी में नव नियुक्त कनिष्ठ आसूचना अधिकारी / उप–नि. रीक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	(21 सप्ताह) 30.10.2023 से 29.03.2023	केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल के सहयोग से एनसीबी	भोपाल, मध्य प्रदेश	98	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी एनसीबी
13.	जांच एजेंसियों के लिए प्रशिक्षकों का पहला आवासीय प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रम।	(05 दिन) 11.12.2023 से 15.12.2023	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	एनएचआ. रसी आइ. एनए दिल्ली	02	एनसीबी अधिकारी

एनसीबी मुख्यालय द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- दिनांक 11.03.2023 को श्री. ज्ञानेश्वर सिंह (भा.पु.से.), उप महानिदेशक (उ.क्षे.) ने एसवीपीएनपीए, हैदराबाद द्वारा आयोजित ''नारकोटिक्स सीनेरिओ इन इंडिया एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसिस'' विषय पर 44वें इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स को संबोधित किया।

- दिनांक 05.04.2023 को, यूएनओडीसी (आरओएसए) ने हाइब्रिड मोड में एनसीबी के अधिकारियों के लिए ''हवाला या अन्य समान सेवा प्रदाता (एचओएसएसपी)'' पर एक कार्यशाला आयोजित की ।

- दिनांक 01.05.2023 से 03.05.2023 तक श्री. हिमांशु कुमार, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी , एनसीबी चंडीगढ़ और श्री बिजय आनंद प्रधान, आसूचना अधिकारी, एनसीबी जम्मू ने सीडीटीआई, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित ''एनडीपीएस मामलों की जांच'' पाठ्यक्रम में भाग लिया।

- 02.05.2023 को, भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' विषय पर भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों के लिए आईआईएमसी में एक ''प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम'' का आयोजन किया गया।

- दिनांक 03.05.2023 से 04.05.2023 तक श्री. बृजेंद्र चौधरी (भा.रा.से.), क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने एनएसीआईएन, फरीदाबाद में एनएसीआईएन द्वारा आयोजित ''डिजिटल एविडेंसेस एंड फोरेंसिक'' पाठ्यक्रम में भाग लिया।

- दिनांक 03.05.2023 से 04.05.2023 तक श्री. एस.डी. जंबोटकर (भा.रा.से.), क्षेत्रीय निदेशक , जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने एनएसीआईएन, मुंबई में ''आर्थिक अपराधों का प्रभावः राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा'' विषय पर एमडीएसईआई–संगोष्ठी में भाग लिया।

- दिनांक 04.05.2023 से 05.05.2023 तक श्री. रितेश रंजन, उप निदेशक, एनसीबी मुख्यालय ने एनएफएसयू, दिल्ली परिसर में दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु–नटाल विश्वविद्यालय के सहयोग से ''ब्रिक्स

देशों के बीच शांति और सुरक्षा'' विषय पर ब्रिक्स संगोष्ठी में विशेषज्ञ वार्ता पर व्याख्यान दिया।

- दिनांक 15.05.2023 से 19.05.2023 तक श्री. संजीव कुमार, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, एनसीबी जम्मू और हेमंत कुकरेती, आसूचना अधिकारी, एनसीबी चंडीगढ़ ने सीडीटीआई, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित ''इंवेस्टिगेटिंग नारकोटिक्स क्राइम्स इन द डिजिटल एज एक्जामीनिंग द यूज ऑफ डार्कनेट एंड क्रिप्टो करेंसी'' विषय पर पाठ्यक्रम में भाग लिया ।
- दिनांक 15.05.2023 से 19.05.2023 तक, यूएनओडीसी ने एनएसीआईएन के सहयोग से कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया था जिसमें श्री. नितेन कुमार चौबे, सहायक निदेशक, जोधपुर, श्री. रणजीत कुमार बरनवाल, अधीक्षक, देहरादून और सुश्री मीरा कुमारी मीना, अधीक्षक, चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा नारकोटिक्स अकादमी , (एनएसीआईएन), जेडटीआई, जयपुर में उक्त प्रशिक्षण में भाग लिया।
- दिनांक 22.05.2023 से 25.05.2023 तक श्री. धनंजय सोम , अधीक्षक, दिल्ली क्षेत्रीय यूनिट, एनसीबी ने एलएनजेएन, एनएफएसयू दिल्ली परिसर में केंद्रीय/राज्य न्यायपालिका, पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों के लिए ''नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की जांच में आधुनिकता'' पर एक व्याख्यान दिया ।
- दिनांक 22.05.2023 से 25.05.2023 तक, महानिदेशक, एनसीबी और श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन),के पर्यवेक्षण में यूएस–डीईए ने यूएस–ओपीडीएटी (न्याय विभाग, विदेशी अभियोजन विकास, सहायता और प्रशिक्षण कार्यालय) के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक ''यू.एस.'' न्याय विभाग क्षेत्रीय काउंटर– नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग कार्यक्रम" शांगरी–ला, नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें श्री अमनजीत सिंह, क्षेत्रीय निदेशक चंडीगढ़ और श्री अरमंथ, अधीक्षक रांची और श्री. जीतेंद्र रंजन, अधीक्षक, चेन्नई ने भाग लिया।
- दिनांक 24.05.2023 को श्री. विकास कुमार, सहायक निदेशक (ए एंड सी) और श्री प्रदीप परमार, आसूचना अधिकारी (विधि) ने सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (आरएसएससी) में भाग लिया।
- दिनांक 27.05.2023 को, ''पीपी /एसएसपी के लिए ड्रग्स अपराधों के लिए एनकॉर्ड अभियोजन रणनीतियों'' पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में श्री रितु राज बैश्य और श्री संजीव डेका (गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई) और श्री एन. ब्रोजेंद्रो सिंह और श्री पॉसिंग कामेई (इम्फाल क्षेत्रीय इकाई) ने भाग लिया।
- दिनांक 30.05.2023 को, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के आधुनिकीकरण प्रभाग ने फिजिकल मोड में बीपीआर एंड डी मुख्यालय, एनएच–48, महिपालपुर, नई दिल्ली में ड्रोन फोरेंसिक

और ड्रोन विनियमों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- दिनांक 10.06.2023 से 08.09.2023 तक श्री. हृदय नारायण, डीईओ, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने आईएसटीएम, ओल्ड जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित 178वें बेसिक फाइनेंस और अकाउंट्स कोर्स (नया नाम कैश एंड अकाउंट्स कोर्स) में भाग लिया।
- दिनांक 17.07.2023 से 19.07.2023 तक श्री. कृष्ण कुमार, सहायक ने आईएसटीएम द्वारा सरकार में बिग डेटा एनालिटिक्स (बेसिक्स) पर आयोजित पाठ्यक्रम / कार्यशाला में भाग लिया।
- दिनांक 07.08.2023 से 11.08.2023 तक, आईटीसी मौर्या डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में अयोजित यूएनओडीसी ''क्रिप्टो–करेंसी एंड डार्कनेट इंवेस्टिगेशंस'' नामक प्रशिक्षण में श्री धनंजय सोम, अधीक्षक, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई, श्री अरविंद एम आर, अधीक्षक, एनसीबी मुख्यालय, श्री अमित कुमार भगत, आसूचना अधिकारी, रांची क्षेत्रीय इकाइ और श्री रतन के, आसूचना अधिकारी , बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने भाग लिया।
- दिनांक 29.08.2023 को श्री. सचिन जैन (भा.रा.से.), उप महानिदेशक (उ.क्षे.) और श्री भूमेश अग्रवाल, अधीक्षक ने 74वें बैच के भा.रा.से. (सी एवं आईटी) के ओटी को संबोधित किया।
- दिनांक 11.09.2023 से 16.09.2023 तक श्री. नितिन कुमार चौबे, सहायक निदेशक, एनसीबी जोधपुर क्षेत्रीय इकाई और श्री राजन कुमार, अधीक्षक, एनसीबी पटना क्षेत्रीय इकाई ने सीएपीटी, भोपाल द्वारा ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए ''इंवेस्टिगेटिंग नारकोटिक्स क्राइम्स इन द डिजिटल एज एक्जामीनिंग द यूस ऑफ डार्कनेट एंड क्रिप्टो करेंसी'' विषय पर ऑफलाइन पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- दिनांक 11.12.2023 से 15.12.2023 तक श्रीमती. मोनिका बत्रा, भा.रा.से. (उप महानिदेशक, एनसीबी मुख्यालय) ने एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आयोजित ''एडवांस डिजिटल फोरेंसिक'' पर पांच दिवसीय पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- दिनांक 11.12.2023 से 15.12.2023 तक श्री. हरदीप, अधीक्षक, एनसीबी दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने एनएफएसयू, दिल्ली परिसर में ''आपराधिक न्याय और डिजिटल फोरेंसिक'' पर 05 दिवसीय विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- दिनांक 11.12.2023 से 15.12.2023 तक, एनएचआरसी ने सीएपीएफ और अन्य जांच एजेंसियों से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसमें श्री. शांतनु आइच, सहायक निदेशक, एनसीबी मुंबई क्षेत्रीय इकाई और श्री. जितेंद्र रंजन, अधीक्षक एनसीबी चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने भाग लिया।
- दिनांक 12.12.2023 को श्री. घनश्याम सोनी, क्षेत्रीय निदेशक जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने सीबीआईसी के ग्रुप–ए अधिकारियों के लिए ''न्यू मीडिया के युग में शासन (सिविल सेवक, आचार संहिता और सरकार की सार्वजनिक छवि)'' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।

- दिनांक 06.01.2023 को श्री. संजय कुमार सिंह (भा.पु. से.), उप महानिदेशक (ओईसी) ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीडीटीआई), जयपुर, राजस्थान में ''ड्रग एंफोर्समेंट रेजाइमः रोल ऑफ इंवेस्टिगेटिंग एजेंसिस'' विषय पर जांच एजेंसियों के अध्यक्षों/प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के एक सत्र लिया।
- दिनांक 01.02.2023 से 04.02.2023 तक, एनएफएसयू ने फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के सहयोग से फोरेंसिक हैकथॉन 2023 का आयोजन किया, जिसके बाद 25वें अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन (एआईएफएससी) का आयोजन किया गया, जिसमें श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, क्षे. नि., एनसीबी, अहमदाबाद, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर कैंपस, गुजरात ने भाग लिया।
- दिनांक 27.02.2023 से 28.02.2023 तक श्री. अमित तिवारी, अधीक्षक, एनसीबी दिल्ली क्षेत्रीय यूनिट, श्री. अतुल कुमार द्विवेदी, अधीक्षक, एनसीबी इंदौर क्षेत्रीय इकाई और श्री जितेंद्र रंजन, अधीक्षक, एनसीबी चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने सीएपीटी, भोपाल में उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- दिनांक 12.06.2023 से 23.06.2023 तक, एनसीबी ने यूएस–डीईए के सहयोग से राज्य पुलिस, एनडीआरएफ, सीबीएन और एनसीबी क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारियों के लिए ''क्लैन लैब और केमिकल डायवर्जन प्रोग्राम'' पर मुख्यालय, नई दिल्ली में दो सप्ताह के सेमिनार/ कार्यशाला का आयोजन किया।

वर्ष 2023 के दौरान आयोजित किए गए बेसिक इंडक्शन कार्यक्रम

(कांस्टेबलों/सिपाहियों के लिए–दिनांक 16.10.2023 से 01.12.2023 तक)

- दिनांक 16.10.2023 से 01.12.2023 तक, एनसीबी के 145 नवनियुक्त कांस्टेबलों/सिपाहियों के लिए 06 सप्ताह का बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम वजीराबाद परिसर, दिल्ली पुलिस अकादमी में आयोजित किया गया।

(क.आ.अ./उप निरीक्षक के लिए–दिनांक 31.10.2023 से 29.03.2023 तक)

- दिनांक 30.10.2023 से 29.03.2024 तक, एनसीबी द्वारा सीएपीटी, भोपाल के सहयोग से एनसीबी के नव नियुक्त कनिष्ठ आसूचना अधिकारियों /उप निरीक्षकों के लिए 21 सप्ताह का बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम सीएपीटी, भोपाल में शुरू किया गया।

2.1.1 वर्ष 2023 में एनसीबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलक

2.2 राज्यों को सहायता

ड्रग्स के खतरे को खत्म करने को ध्यान में रखते हुए , भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नारकोटिक्स ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्त पोषित करने के लिए 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए सहायता' नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्यों की ड्रग कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर, 2004 को 05 वर्षों के लिए शुरू की गई थी और बाद में जिसे मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत समय–समय पर बढ़ाया गया । योजना की समय–सीमा का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वैधता अवधि	प्रारंभ में आवंटित बजट	टिप्पणी
01	24.12.2004 से 31.03.2009	10 करोड़	योजना 24.12.2004 को शुरू की गई
02	01.04.2009 से 31.03.2014	15 करोड़	2009–14 तक 05 साल के लिए बढ़ाया गया
03	01.04.2014 से 31.03.2017	15 करोड़	2014–17 तक 03 साल के लिए बढ़ाया गया
04	01.04.2017 से 31.03.2020	21 करोड़	2017–20 तक 03 साल के लिए बढ़ाया गया
05	01.04.2020 से 31.03.2021	07 करोड़	2020–21 तक 01 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
06	01.04.2021 से 31.03.2026	50 करोड़	2021–26 तक 05 साल के लिए बढ़ाया गया

ड्रग्स के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होने के नाते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स के खतरे की आपूर्ति पक्ष से निपटने में प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार के लिए केंद्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को संसाधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्ष 2017 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 24,79,39,830/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। योजना के तहत 31.12.2023 तक (वित वर्ष 2023–24, अब तक के लिए निधि अभी रिलीज की जानी है) जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र सं	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2017–'18	2018–'19	2019–'20	2020–'21	2021–'22	2022–'23	कुल (2017–'23)
1	आंध्र प्रदेश	3904361	7189750	0	0	0	0	11094111
2	असम	0	115000	0	0	3571750	0	3686750
3	अरुणाचल प्रदेश	2194390	6318410	6180910	0	0	0	14693710
4	बिहार	2583772	4713686	0	0	42212	0	7339670
5	छत्तीसगढ	2662000	0	0	0	0	0	2662000
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा		1234897	0	0	0	0	1234897
8	गुजरात		188998	0	1400000	0	0	1588998
9	हरियाणा	1644900	4500000	0	5157387	0	0	11302287
10	हिमाचल प्रदेश	1400509	5997214	6274200	282711	0	440000	14394634
11	जम्मू और कश्मीर		2771045	0	0	0	0	2771045
12	झारखंड		0	0	0	3768638	0	3768638
13	कर्नाटक	1419800	1328809	796699	0	0	17315589	20860897
14	केरल	0	1004357	0	0	0	0	1004357
15	मध्य प्रदेश	0	2831000	0	0	0	0	2831000
16	महाराष्ट्र		5286700	4590000	0	0	0	9876700
17	मेघालय	1065000	3064966	0	0	0	0	4129966
18	मिजोरम	3972000	3559000	11176000	12307000	0	3736000	34750000

क्र सं	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2017–'18	2018–'19	2019–'20	2020–'21	2021–'22	2022–'23	कुल (2017–'23)
19	मणिपुर	3080773	0	0	0	0	0	3080773
20	नागालैंड	1894950	0	5700000	0	0	0	7594950
21	ओडिशा	2148286	0	4165000	0	978987	0	7292273
22	पंजाब	4243500	0	0	0	0	0	4243500
23	राजस्थान		1823552	0	0	3574227	0	5397779
24	सिक्किम	2199738	6499995	86000	0	0	0	8785733
25	तमिलनाडु	3298685	2418940	0	2120000	0	0	7837625
26	तेलंगाना	4562700	5159910	4284920	0	0	11350000	25357530
27	त्रिपुरा		2147385	4478000	4125000	0	0	10750385
28	उत्तर प्रदेश	3400000	3725000	0	0	0	0	7125000
29	उत्तराखंड		3077448	0	0	0	0	3077448
30	पश्चिम बंगाल	4363587	5043587	0	0	0	0	9407174
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
34	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	5,00,38,951	7,99,99,649	4,77,31,729	2,53,92,098	1,19,35,814	3,28,41,589	24,79,39,830

2.3 ड्रग डिटेक्शन किट

एनसीबी देश भर में ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ड्रग डिटेक्शन किट खरीदता है और प्रदान करता है। ये डीडी किट गैर–तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी संदिग्ध सामग्री के मौके पर' परीक्षण के लिए सरल, सही और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीका प्रदान करते हैं। ये डीडी किट तीन प्रकार के होते हैं:

क) नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट,

ख) प्रिकिर्सर केमिकल डिटेक्शन किट और

ग) केटामाइन डिटेक्शन किट।

1989 से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे से डीडी किटें एनसीबी मुख्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से खरीदी जाती हैं और एनसीबी की क्षेत्रीय इकाइयों को वितरित की जाती हैं। क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्राप्त डीडी किटों को आगे उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वितरित किया जाता है।

वर्ष 2023–'24 के दौरान एनसीबी जोन द्वारा राज्य पुलिस और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निम्नानुसार ड्रग डिटेक्शन किट वितरित की गई :

क) मानक आकार के नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन किट–1826

ख) प्रीकर्सर केमिकल डिटेक्शन किट– 535

ग) केटामाइन डिटेक्शन किट– 243

नारकोटिक्स ड्रग

Opium, Morphine,Codine, Heroin, Amphetamines, Mescaline, Marijuna, Hashish and Hashish oil, Cocaine and Methaquaione

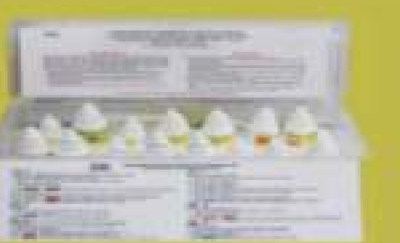

केटामाइन

Modified Standard Ketamine Drugs Detection Kit

प्रीकर्सर केमिकल डिटेक्शन किट

Isosafrole 3, 4-methelenedoxyphenyl-2-Propanone Phenylacetic Acid 1-Phenyl- 2-Propanone Piperonal, Safrole,Tolune,Pipendrine, N-Acetylanthranilic Acid, Ergometrine, Ergotamine, Lysergic Acid, Emphedrine, Pseudoephedrine, Acetone,Methyl Ethyl Ketone

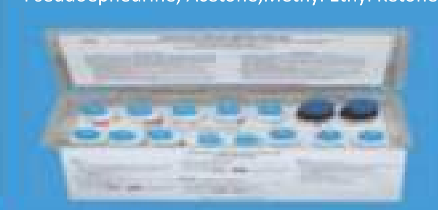

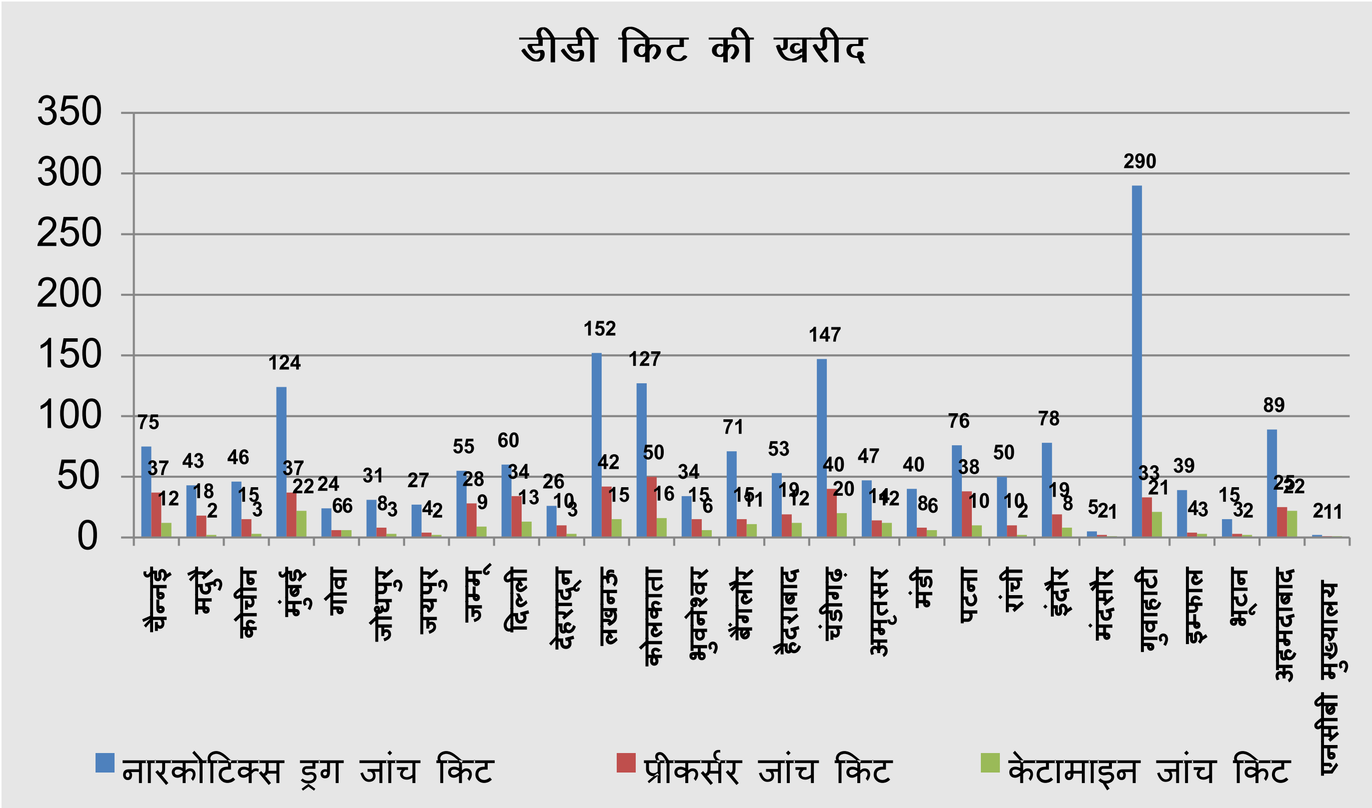

वित्तीय वर्ष 2023/24 में डीडी किट की खरीद

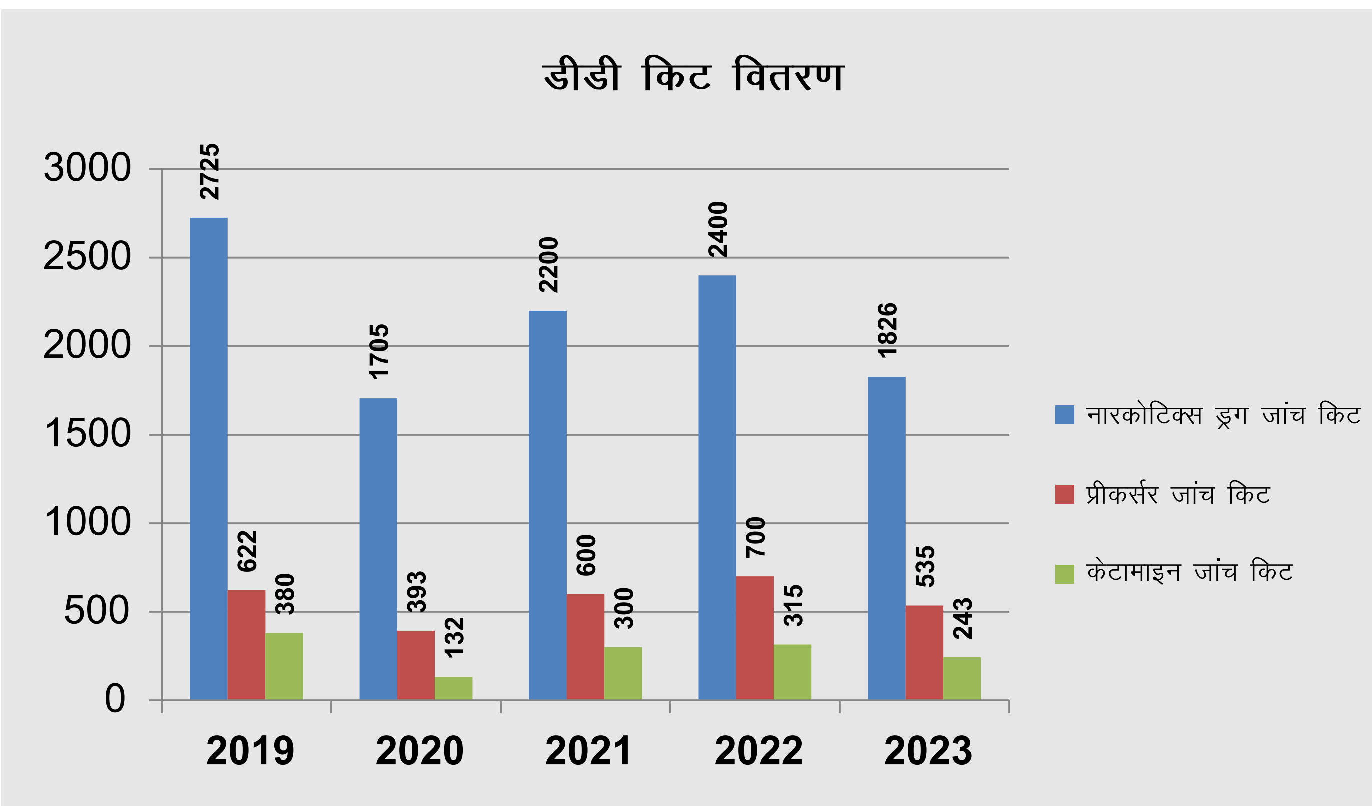

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनसीबी द्वारा वर्ष वार डीडी किट वितरण (आंकड़ें संख्या में)

2.4 ड्रग की मांग में कमी

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर, 1987 में पारित एक प्रस्ताव में प्रत्येक वर्ष 26 जून को ''ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस'' के रूप में घोषित किया। इस घोषणा के अनुसरण में, ड्रग्स के खतरे के खिलाफ सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। जनता, विशेषकर छात्रों को ड्रग्स के दुरुपयोग की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए, एनसीबी मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां, विभिन्न राज्यीय एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स, राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

वर्ष 2023 के दौरान एनसीबी क्षेत्रीय इकाई द्वारा आयोजित कुल जागरूकता कार्यक्रम

माह	जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
जनवरी	30	3,380
फरवरी	42	20,657
मार्च	53	28,386
अप्रैल	32	6,560
मई	41	11,275
जून	312	221,604
जुलाई	35	15,515
अगस्त	31	6,736
सितंबर	21	7,580
अक्टूबर	34	5,826
नवंबर		5,720
दिसंबर	55	14,864
कुल	**721**	**3,48,103**

एनसीबी द्वारा आयोजित मांग की कमी कार्यक्रम

ड्रग्स के निषेध के क्षेत्र में अपने नियमित काम के अलावा, एनसीबी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- मिशन 'ड्रग मुक्त कैंपस'
- नशा मुक्त भारत अभियान
- नुक्कड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम
- ड्रग्स के दुरुपयोग के खिलाफ दौड़
- पब, बार और हवाई अड्डे आदि में जागरूकता बोर्ड का प्रदर्शन।
- चित्रकला एवं नारा लेखन प्रतियोगिता
- शपथ ग्रहण समारोह
- प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना
- प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन
- रेडियो चैनल के माध्यम से नशा विरोधी संदेश का प्रसारण
- ड्रग्स के प्रति जागरूकता के बारे में एसएमएस अलर्ट
- जागरूकता पैदा करने के लिए 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाना

वर्ष 2023 के दौरान, एनसीबी ने देश भर में ड्रग्स की मांग में कमी लाने की गतिविधियों के हिस्से के रूप में देश भर के विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में 721 जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण अर्थात 'नशा मुक्त भारत'' को पूरा करने के लिए लगभग 3,48,103 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।

वर्ष 2023 में दिनांक 12.06.2023 से 26.06.2023 तक **''नशा मुक्त भारत''** पखवाड़ा के रूप में एक विशेष जागरूकता अभियान मनाया गया, जिसमें नशा विरोधी जागरूकता अभियान, ई–प्रतिज्ञा, नशा विरोधी जागरूकता प्रतियोगिताएं, हस्ताक्षर अभियान, सेमिनार / कार्यशाला / प्रशिक्षण, साइक्लेथॉन / मैराथन / बाइक रैली, नाटक / नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता और ड्रग्स के निपटान आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गये। 26 जून (ड्रग्स दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस) के आयोजन में निम्नलिखित कार्यक्रम हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें ड्रग्स के दुष्प्रभावों से दूर करने के लिए एनसीबी के आधिकारिक चैनल/हैंडल से यूट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी शुरु किया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलीविजन चैनलों का उपयोग एनसीबी और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों और इसके अधिकारियों द्वारा आम जनता तक ड्रग्स के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए भी किया गया।

ड्रग्स के खिलाफ मांग में कमी के लिए ई-शपथ लेने की नई पहल

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक प्रमुख ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के अलावा, राज्य अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में ड्रग्स के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

ई-शपथ अभियान:- https://mygov.in वेबसाइट पर 'जीवन को हाँ कहें, नशे को ना कहें' शीर्षक से एक ई-शपथ दिलाई जा रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य नागरिकों के बीच ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में संदेश फैलाना है ताकि वे भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प दिखा सकें। ई-प्रतिज्ञा का लिंक नीचे दिया गया है:- https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/

- अभी तक पूरे देश में 41 लाख से अधिक लोगों ने शपथ ग्रहण की।

शपथ कैसे लें (चरण)

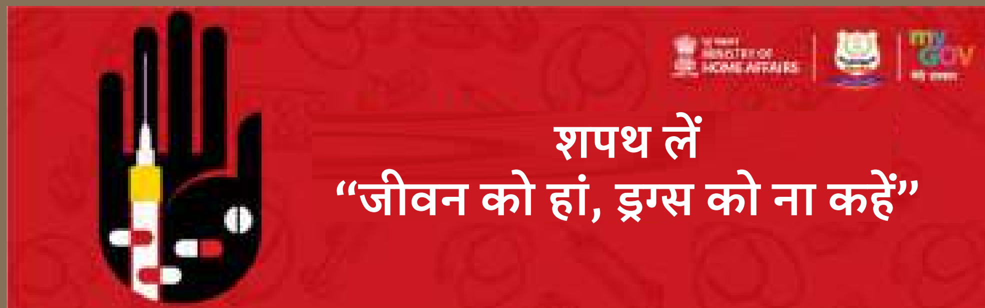

https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/

शपथ लें पर क्लिक करें

मूल विवरण भरें

भाषा चयन के लिए बढ़ें

शपथ पढ़िये

हमें अहसास है कि हमारे देश में, विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरूपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है. हम शपथ लेते है कि हम नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते है कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थो का सेवन नहीं करेंगे।

हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशामुक्त जीवन-यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके।

आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन-यापन करेंगे।

मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी भरें

प्रमाण पत्र प्राप्त होगा

- प्रमाणपत्र अपने मोबाइल पर भेजें / Send certificate to your mobile
- प्रमाणपत्र | शपथ अपने ई-मेल पर भेजें / Send certificate | Pledge to your email
- छाप | डाउनलोड प्रमाणपत्र / Print | Download Certificate
- फेसबुक के साथ साझा करें / Share with Facebook
- ट्विटर के साथ साझा करें / Share with Twitter

एनसीबी क्षेत्रीय, इकाइयों द्वार ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन

एनसीबी के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा आयोजित रैलियाँ और जागरूकता अभियान

1 NATION
RIDE
CAUSE
SAY NO TO DRUGS
YES TO LIFE

WÜRTH
1 NATION
RIDE
CAUSE

26th June INTERNATIONAL DAY
AGAINST DRUG ABUSE & ILLICIT TRAFFICKING
SAY YES TO LIFE
NO TO DRUGS
NARCOTICS CONTROL BUREAU, DEHRADUN
MHA, GOVT OF INDIA

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau

Indore, MP, India

FRISKING POINT
NO Drugs

NO Drugs

2.5 राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार–के9)

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 30-31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित 'ड्रग्सकी तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार- के9) का प्रमोचन किया गया। उक्त सम्मेलन के दौरान नार- के9 पूल के प्रतीक चिन्ह (लोगो) को भी प्रदर्शित किया गया।

प्रारम्भ मे बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स द्वारा दिल्ली, जम्मू, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, इंफाल और चंडीगढ़ में एनसीबी को डॉग हैंडलर/सहायक डॉग हैंडलर के साथ नार- कैनाइन प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय उप महानिदेशक के मार्गदर्शन में एनसीबी क्षेत्रीय निदेशकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थापित कैनाइन स्क्वॉड के संबंध में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बेहतर निगरानी और इष्टतम उपयोग के लिए उप महानिदेशक (OEC), एनसीबी मुख्यालय को तैनात कैनाइन दस्ते के संबंध में क्षेत्रीय निदेशक को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महानिदेशक-एनसीबी द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीएलईए और एनडीपीएस अधिनियम से अधिकार प्राप्त सीएपीएफ से प्राप्त नार- कैनाइन की मांगों को संबंधित एनसीबी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा आवश्यकता के आधार पर पूरा किया जा सकता है। डीएलई द्वारा एनकॉर्ड पोर्टल पर ही आवश्यक मांग पत्र भरा और ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे संबन्धित फीडबैक रिपोर्ट का प्रोफार्मा एनकॉर्ड पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है।

बेंगलुरू में दिनांक 23–24 फरवरी 2023 को आयोजित गृह मंत्रालय राष्ट्रीय पुलिस के–9 का चौथा सेमिनार

नेशनल नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार-के9) के पहले फेज के रूप में एनसीबी के विभिन्न स्थानों पर तैनात डॉग के साथ-साथ हैंडलर की स्थिति

क्र. सं.	स्थान (एनसीबी जोन/ सब जोन)	कैनाइन दस्ते की उपलब्धता
		एसएसबी से
1	दिल्ली क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
2	जम्मू क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
3	कोलकाता क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
4.	गुवहाटी क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 12.01.2023 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
		असम राइफल्स से
5	इंफाल उप- क्षेत्रीय इकाई	असम राइफल्स के पत्र दिनांक 25.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
		बीएसएफ से
6	अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 10.10.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
7	बैंगलुरु क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 10.10.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
8	चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 25.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
9	चेन्नई क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 13.03.2023 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर।
10	मुंबई क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 03.10.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर।

चरण- II: दूसरे चरण में, एनसीबी के शेष 20 स्थानों पर सिएपीएफ से पिल्लों की खरीद, ड्रग्स की खोज का प्रशिक्षण, CAPFs से डॉग हैंडलर की प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति तथा आवास के साथ-साथ कामकाज के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार-के9) की स्थापना का प्रस्ताव है।

Ministry of Home Affairs
NAR-K9
National Narcotics Canine Pool

2.6 मानस हेल्पलाइन

मानस

24X7 राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन (प्रस्तावित)

मानस

मादक-पदार्थ निषेृध आसचना-केन्द्र

- दिनांक 27.12.2021 को आयोजित एनकॉर्ड की तीसरी शीर्ष समिति की बैठक के दौरान , माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा एक समर्पित 24X7 टोल फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर के लिए **राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन** स्थापित करने का निर्देश दिया गया था ताकि ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स के दुरुपयोग या एनसीबी की ड्रग्स और नीतियों के संबंध में कोई भी सूचना दी जा सके।

- मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चौट बोर्ड, ई मेल तथा वेब लिंक जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों से लॉग इन, पंजीकरण, ट्रैक तथा ड्रग से संबन्धित मामलों / समस्याओं को हल करने के लिए एकल मंच प्रदान करता है।

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (डीआईसी) के सहयोग से एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस **(मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र)** विकसित कर रहा है, विकास प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा इसे शीघ्र ही प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

2.7 एनसीबी की झांकी

गणतंत्र दिवस परेड, 2023
के लिए कर्तव्य पथ पर

थीम : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:संकल्प @75 - नशा मुक्त भारत

एनसीबी के लिए यह गर्व का क्षण था जब रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कई दौर के चयन बैठकों के पश्चात गणतंत्र दिवस परेड, 2023 के लिए एनसीबी की झांकी के अंतिम चयन की जानकारी दी, और तदनुसार, इतिहास में पहली बार, एनसीबी की झांकी गणतंत्र दिवस परेड, 2023 में माननीय गणमान्य व्यक्तियों और लाखों लोगों के सामने प्रदर्शित हुई ।

थीम :

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), गृह मंत्रालय की झांकी '' संकल्प /75–नशा मुक्त भारत '' थीम के साथ, भारत को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को दर्शाती है।

झांकी के आगे के हिस्से में एक वृहत मानव सदृश मूर्तिकला को दर्शाता गया है जो कैक्टस के बगीचे संरूप नशे के दुष्परिणामों को दमन करता हुआ एवं अपने हाथों को क्रॉस किए हुए व सिर को दाई ओर लहराते हुए ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत संकेत दे रहा है ।

झांकी के पिछले हिस्से में पर्वतमय भूभाग से उभरती हुई भारत के विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और लिंग निर्विशेष प्रतिनिधित्व करती हुई वृहत आकार के हाथ अपने संयुक्त श्रम एवं उद्देश्य से "नशा मुक्त भारत" के सपने को जन जन तक विस्तार हेतु प्रयासरत है । झांकी के दोनों तरफ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को "टुगेदर वी कैन डू इट" संदेश के साथ ड्रग्स से लड़ने का संकल्प लेते हुए सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों को जन आंदोलन स्वरूप दर्शाता है ।

झांकी के निचले हिस्से पर उच्च समोच्च में दो हाथों का मिलाप नशे के विरुद्ध सभी हितधारकों की सहभागिता, समर्पण और एकजुटता को दर्शाता है।

झांकी के समीप राष्ट्र को नशा मुक्त करने के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित, एनसीबी के कार्मिक एनएआरके–9 दस्ते के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने अधिदेशित कार्य को पूर्ण करने हेतु सतत एवं सजग रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

एनसीबी के निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी एनसीबी झांकी की तैयारी से लेकर 26 जनवरी, 2023 को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली पर इसके अंतिम प्रदर्शन तक सक्रिय रूप से शामिल रहे:

श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी	**मुख्य मार्गदर्शक**
श्रीमती मोनिका आ बत्रा, उपमहानिदेशक (का. एवं प्रशा.)	**झांकी परियोजना की समग्र प्रभारी**

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम भूमिका	निभाई गई
1	श्री विकास कुमार, सहायक निदेशक	नोडल अधिकारी
2	श्री प्रणीत सरमा, अधीक्षक	सहायक नोडल अधिकारी
3	श्री सूरज प्रकाश जयसवाल अनुभाग सहायक	अधिकारी टीम सहायक
	कर्तव्य पथ पर झांकी में भाग लेते एनसीबी दल के अधिकारी	
1	श्री अवधेश कुमार, आसूचना अधिकारी	टीम लीडर एवं सदस्य
2	श्रीमती सरिता कटारिया, आसूचना अधिकारी	टीम लीडर
3	श्रीमती पूर्णिमा जी.एन., आसूचना अधिकारी	टीम लीडर
4	श्री दीपक कौशिक, आसूचना अधिकारी	टीम लीडर
5	श्री सुधीर कुमार, आसूचना अधिकारी	टीम लीडर
6	श्री रामभरोसे, सिपाही	टीम लीडर
7	श्री अजय कुमार, सिपाही	टीम लीडर
8	श्री संजीव कुमार, सिपाही	टीम लीडर
9	श्री दलबीर सिंह, सिपाही	टीम लीडर
10	श्री अरविंद सिंह, कांस्टेबल (सी.सु.ब.) के–9 "जेली" के साथ	टीम लीडर
11	श्री अजय कुमार यादव, कांस्टेबल (सी.सु.ब.) के–9 "लिम्बो" के साथ	टीम लीडर

झांकी के साथ एनसीबी की टीम

3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय

3.1 अंतरराष्ट्रीय बैठकें / सम्मेलन

3.1.1 द्विपक्षीय बैठकें / सहयोग

- दिनांक 12.01.2023 को श्री. संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (प्रचालन), एनसीबी और श्री. पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (प्रवर्तन) ने वर्चुअल मोड में भारत–अमेरिका सीएनडब्ल्यूजी बहुपक्षीय और नियामक मामलों के संचालन समूह की बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 03.02.2023 को श्री. पंकज कुमार द्विवेदी, सहायक निदेशक (प्रचा) ने नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म (जेडब्ल्यूजी–सीटी) पर भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 16.02.2023 को श्री. रितेश रंजन, उप निदेशक (समन्वय) ने नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म (जेडब्ल्यूजी–सीटी) पर तीसरे भारत–मिस्र संयुक्त कार्य समूह में भाग लिया।

- दिनांक 03.03.2023 को श्री. पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (प्रवर्तन) ने वर्चुअल मोड में आयोजित भारत–यूएस सीएनडब्ल्यूजी ड्रग डिमांड रिडक्शन स्टीयरिंग ग्रुप मीटिंग में भाग लिया। बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी ।

- दिनांक 19.07.2023 व 20.07.2023 को श्री. सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने वाशिंगटन डीसी, यूएसए में चौथी यूएस–इंडिया काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग (सीएनडब्ल्यूजी) के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने नियामक मुद्दों पर समन्वय, कानून प्रवर्तन सहयोग और समन्वय, बहुपक्षीय मंचों और अंतरराष्ट्रीय नीति कार्यक्रमों पर समन्वय, ड्रग्स की मांग में कमी के प्रयासों पर सहयोग और 21वीं सदी के लिए अमेरिकी–भारत ड्रग नीति ढांचे के मामलों पर चर्चा की।

- 14.09.2023 को श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्‌घाटन किया और यह पीडीआई, चिली के लिए आयोजित की गई थी । कार्यशाला में दोनों पक्षों ने देश में मादक पदार्थों की तस्करी के परिदृश्य, खुफिया जानकारी संग्रह और जांच तकनीकों, क्षमता निर्माण और ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, भविष्य में समन्वय और सहयोग पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

- दिनांक 06.10.2023 को श्री. एस.डी. जम्बोटकर, उप निदेशक (प्रचालन) ने नई दिल्ली में चौथे इंडिया इटली जाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेरेरिज्म (जेडब्ल्यूजी–सीटी) में भाग लिया।

- दिनांक 07.12.2023 को श्री. सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक ने वर्चुअल मोड में बीएनएन, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित एनसीबी, भारत और बीएनएन, इंडोनेशिया के बीच छठे महानिदेशक स्तरीय संयुक्त कार्य समूह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- दिनांक 20.12.2023 को श्री. पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आईसीसी) ने नई दिल्ली में भारत–ईरान जेसीसीएम/ कांसुलर वार्ता के 13वें दौर में भाग लिया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीपीवी) विदेश मंत्रालय ने किया।

3.1.2 बहुपक्षीय बैठकें /सहयोग

- 12.01.2023 व 13.01.2023 को श्री. रितेश रंजन उप निदेशक (समन्वय) ने नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम (जेडब्लूजी–सीटीटीसी) पर बिम्सटेक संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 18.01.2023 को श्री. सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने वर्चुअली एनसीबी, भारत द्वारा आयोजित प्रीकर्सर नियंत्रण पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- दिनांक 15.02.2023 को श्री. सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने वर्चुअली एनसीबी, भारत द्वारा कानून प्रवर्तन और ड्रग अपराध पर आयोजित एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- दिनांक 21.02.2023 से 23.02.2023, श्री. अमित घावटे क्षेत्रीय, निदेशक, एनसीबी मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने वर्चुअल मोड में खतरनाक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए सरकारों और माल अग्रेषण सेवाओं के बीच

स्वैच्छिक सहयोग पर आईएनसीबी के हितधारक परामर्श में भाग लिया।

- दिनांक 22.02.2023 को श्री. पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (प्रवर्तन) ने वर्चुअल मोड में आयोजित ड्रग्स से संबंधित अपराध से निपटने के लिए कानूनी ढांचे पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। बैठक वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा आयोजित की गई थी ।

- दिनांक 28.02.2023 को, एनसीबी, भारत ने एससीओ सदस्य देशों के लिए ''बी2बी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी और इसकी रोकथाम के उपाय'' पर एक सेमिनार का आयोजन किया ।

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने वियना, ऑस्ट्रिया में 13 से 17 मार्च 2023 तक नारकोटिक ड्रग्स (सीएनडी) पर आयोग के 66 वें सत्र में भाग लिया।

- दिनांक 15.03.2023 को श्री. सचिन जैन, उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने वियना, ऑस्ट्रिया में एनपीएस और प्रीकर्सर्स की आईएनसीबी टास्क फोर्स की बैठकों में भाग लिया।

- दिनांक 07.04.2023 को श्री. पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (प्रवर्तन) ने वर्चुअल मोड में आयोजित ड्रग डिमांड रिडक्शन पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी ।

- दिनांक 11.04.2023 व 12.04.2023 को, एनसीबी, भारत ने भारत की ओर से एससीओ अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों की ड्रग विरोधी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की थी। बैठक का उद्घाटन श्री. सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, द्वारा किया गया और श्री. संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (प्रचालन), एनसीबी द्वारा अध्यक्षता की गई ।

- दिनांक 13.04.2023 को, एनसीबी, भारत ने भारत की ओर से एससीओ की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली, भारत में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की ड्रग्स की विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता श्री. सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी द्वारा की गई । बैठक के दौरान, सदस्य देशों ने एससीओ देशों में ड्रग्स की स्थिति, ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं और एससीओ सदस्य राज्यों की ड्रग्स की विरोधी एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर जानकारी का आदान–प्रदान किया।

- दिनांक 10.05.2023 व 11.05.2023 को, श्री शांतनु आइच, अधीक्षक, एनसीबी मुख्यालय, ने नई दिल्ली में आपराधिक नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को समझने और बाधित करने पर यूएनओडीसी ईजीएम में भाग लिया।

- दिनांक 22.05.2023 व 23.05.2023 को श्रीमती. मोनिका ए बत्रा, उप महानिदेशक, एनसीबी और श्रीमती चंदा, अधीक्षक, एनसीबी मंदसौर सब जोन ने देनपसार, इंडोनेशिया में यूएसडीओज/आईसीआईटीएपी एम्पॉवर महिला नेतृत्व सम्मेलन 2023 में भाग लिया।

- दिनांक 24.05.2023 को श्री. रितेश रंजन उप निदेशक (समन्वय) ने वर्चुअल मोड में काउंटर टेरेरिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम पर 19वीं आसियान क्षेत्रीय फोरम इंटरसेशनल बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 29.05.2023 से 02.06.2023 तक, श्री अरविंदन पी, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी चेन्नई क्षेत्रीय इकाई, ने वियना, ऑस्ट्रिया में प्रीकर्सर रसायनों से संबंधित संदिग्ध इंटरनेट पोस्टिंग (सरफेस वेब) की जांच संबंधी प्रशिक्षण में भाग लिया।

- दिनांक 30.05.2023 व 31.05.2023 को, श्री कुमार मनीष, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी पटना क्षेत्रीय इकाई ने एंटानानारिवो, मेडागास्कर में दक्षिणी रूट पार्टनरशिप की ड्रग और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 13.06.2023 व 14.06.2023 को श्री.अमित घावटे, क्षेत्रीय, निदेशक, एनसीबी मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने वर्चुअल माध्यम से प्रीकर्सर्स (पिलर ्प्) पर पेरिस पैक्ट ईडब्ल्यूजी बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 23.06.2023 को श्री. प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने योग्यकार्ता, इंडोनेशिया में 10वें एसओएमटीसी. भारत परामर्श में भाग लिया।

- दिनांक 07.07.2023 को श्री. सुधांशु कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने वर्चुअल मोड में छठे एएसओडी़ इंडिया परामर्श में भाग लिया।

- दिनांक 29.08.2023 से 31.08.2023, श्री. अमित घावटे, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने मनीला, फिलीपींस में यूएनओडीसी ग्लोबल स्मार्ट प्रोग्राम क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

- दिनांक 11.09.2023 से 15.09.2023, श्री. सचिन जैन, उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने वियना, ऑस्ट्रिया में डाक, एक्सप्रेस कूरियर और एयर कार्गो सेवाओं के माध्यम से सिंथेटिक ओपिओइड, खतरनाक पदार्थों और रसायनों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए छठी आईएनसीबी परिचालन बैठक में भाग लिया।

- दिनांक 18.09.2023 से 22.09.2023, श्री. ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र) ने वियना, ऑस्ट्रिया में गलत तरीके से निर्मित या अवैध रूप से निर्मित फार्मास्यूटिकल्स में उनकी पहचान के लिए खतरनाक पदार्थों और नए दृष्टिकोण जिनके वैध उपयोग की जानकारी नहीं है , की आईएनसीबी सूची के विस्तार पर तीसरी अंतरराष्ट्रीय ईजीएम में भाग लिया।
- दिनांक 11.10.2023 से 13.10.2023 तक, एनसीबी, भारत ने नई दिल्ली में आईएनसीबी प्रीकर्सर्स टास्क फोर्स की बैठक की मेजबानी की। बैठक में 16 देशों और यूएनओडीसी, आईएनसीबी और यूरोपीय आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।
- दिनांक 18.10.2023 व 19.10.2023 को श्री. रितेश रंजन, क्षेत्रीय निदेशक, इंदौर क्षेत्रीय इकाई एनसीबी ने मैड्रिड, स्पेन में आईएनसीबी एनपीएस टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 25.10.2023 को श्री. पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने सिंथेटिक ड्रग्स के समाधान के लिए वैश्विक गठबंधनः उप कार्य समूह– 1.1,1.2,2.1,2.2 बैठक में वर्चुअल मोड में भाग लिया।
- दिनांक 07.11.2023 व 8.11.2023 को श्री. शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक, बैंगलोर ने बुसान, कोरिया गणराज्य में एंटी ड्रग लाइजन ओफिशियल्स मीटिंग फॉर इंटेरनेशनल कॉपरेशन (ADLOMICO) में भाग लिया।
- 14.11.2023 से 16.11.2023, श्रीमती. मोनिका ए बत्रा, उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), एनसीबी और श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई एनसीबी ने मनीला, फिलीपींस में कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम (सीपीडीएपी) राष्ट्रीय सचिवालय बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 21.11.2023 को श्रीमती. मोनिका ए बत्रा, उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), ने सिंथेटिक ड्रग गठबंधन उप–कार्य समूह 1.1 की बैठक में भाग लिया और श्री. ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी) ने वर्चुअल मोड में सिंथेटिक ड्रग गठबंधन उप–कार्य समूह 1.1 और 2.2 बैठकों में भाग लिया।
- दिनांक 04.12.2023 से 8.12.2023, श्री एस. डी. जम्बोटकर, उप निदेशक (प्रचालन), एनसीबी मुख्यालय ने नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग की दूसरी अंतरसत्रीय बैठक (2019 मंत्रालयी घोषणा पर विषयगत चर्चा) और सीएनडी के 66वें पुनः आयोजित सत्र और सीसीपीसीजे के 32वें पुनः आयोजित सत्र में वर्चुअली भाग लिया।
- दिनांक 08.12.2023 को श्रीमती. मोनिका ए बत्रा, उप महानिदेशक (पी एंड ए), एनसीबी और श्रीमती चंदा, अधीक्षक, एनसीबी मंदसौर क्षेत्रीय इकाई ने वर्चुअली आईएनसीबी ग्रिड कार्यक्रम के माध्यम से अगली पीढ़ी

की महिला कानून और नियामक अधिकारियों को सशक्त बनाने में भाग लिया।

- दिनांक 12.12.2023 को, श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी) ने "मादक ड्रग्स और एनपीएस की तस्करी से निपटने में सहयोग का विस्तार" विषय पर एससीओ सदस्य राज्यों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन किर्गिज गणराज्य द्वारा किया गया था।

- दिनांक 13.12.2023 को श्रीमती. मोनिका ए बत्रा, उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) और श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी) ने सिंथेटिक ड्रग ग्लोबल गठबंधन – उप–कार्य समूह 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2 बैठक में वर्चुअली भाग लिया।

3.1.3 अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- दिनांक 09.01.2023 से 13.01.2023, एनसीबी , भारत ने एनएसीआईएन, फरीदाबाद के सहयोग से 25 बांग्लादेशी ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एनएसीआईएन, फरीदाबाद में 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

- दिनांक 06.02.2023 से 10.02.2023, एनसीबी, भारत ने एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में कोलंबो सिक्युरिटी कांक्लेव (सीएससी) सदस्य देश के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजनकिया ।

- आईएनसीबी ने एनसीबी, भारत के सहयोग से 28–30 नवंबर, 2023 तक बांग्लादेश पुलिस के साथ ट्विनिंग कार्यक्रम, 4–6 दिसंबर, 2023 तक मालदीव सीमा शुल्क के साथ ट्विनिंग कार्यक्रम और 12–14 दिसंबर, 2023 को श्रीलंका सीमा शुल्क के साथ ट्विनिंग कार्यक्रम का आयोजन एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में किया । श्री अरविंद एम. आर., अधीक्षक, एनसीबी मुख्यालय, श्री हरकेश, निरीक्षक, एनसीबी मुख्यालय और श्रीमती पूर्णिमा जी.एन.,निरीक्षक, दिल्ली क्षेत्रीय यूनिट, एनसीबी ने इन ट्विनिंग कार्यक्रमों में भाग लिया।

3.1.4 द्विपक्षीय समझौता / समझौता ज्ञापन

- दिनांक 14.06.2023 को नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रीकर्सर केमिकल्स और संबंधित वस्तुओं में अवैध तस्करी की रोकथाम पर एनसीबी, भारत और एनडीएलईए, नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

3.1.5 आईएनसीबी / यूएनओडीसी रिपोर्टिंग

- नारकोटिक्स ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत संयुक्त राष्ट्र ड्रग अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) और अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। एनसीबी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए नोडल / केंद्रीय एजेंसी है।

- **अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (आईएन सीबी)**

नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1961, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों , 1988 में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशनके तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, एनसीबी निर्धारित प्रारूपों नामतः फॉर्म ए बी, सी, डी, पी, ए / पी और बी / पी से आईएनसीबी वियना में सात रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्रमशः नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के आयात और निर्यात से संबंधित फॉर्म ए और ए / पी, क्रमशः तिमाही आधार पर आईएनसीबी को जमा किए जा रहे हैं।

अन्य फॉर्म अर्थात बी, सी, डी और पी को वार्षिक आधार पर आईएनसीबी को जमा किए जा रहे हैं। ये फॉर्म विभिन्न क्षेत्रों में नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के वार्षिक मूल्यांकन / अनुमान से संबंधित हैं। जबकि फॉर्म बी / पी तीन साल में एक बार जमा किया जा रहा है, जो अनुसूचित पदार्थों की चिकित्सा और वैज्ञानिक आवश्यकता के वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित है। विभिन्न प्रपत्रों पर इनपुट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अतिरिक्त सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज (सीसीएफ), ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) के अतिरिक्त जैसी एजेंसियों से मिलते हैं।

- **ड्रग्स और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी)**

प्रत्येक सदस्य देश को यूएनओडीसी को अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों की कार्यपद्धति के संबंध में प्रति वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली (एआरक्यू) में इनपुट प्रदान करना होता है। वर्ष 2021 से पहले, एआरक्यू

को ऑफलाइन जमा करना होता था और इसमें 04 भाग शामिल थे :

भाग I विधायी और संस्थागत ढांचा

भाग II ड्रग की मांग में कमी और आपूर्ति के लिए व्यापक दृष्टिकोण

भाग III ड्रग्स के उपयोग की सीमा और पैटर्न

भाग IV ड्रग्स फसल की खेती और ड्रग्स के निर्माण और तस्करी का विस्तार और पैटर्न और प्रवृतियाँ

हालाँकि, 2021 से, वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली (एआरक्यू) आधिकारिक तौर पर नियुक्त फोकल प्वाइंट द्वारा ऑनलाइन भरी जानी है। 2020 के लिए एआरक्यू को 14 वार्षिक मॉड्यूल (ए01–ए14) और 06 रोटेटिंग मॉड्यूल (आर06,आर07, आर09, आर11, आर12, आर13) में विभाजित किया गया है।

नये एआरक्यू के मॉड्यूल का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	मॉड्यूल संख्या	मोड्यूल का नाम
1	A01	ड्रग्स के प्रयोग की व्यापकता और सीमा
2	A02	ड्रग्स के प्रयोक्ताओं का पंजीकरण
3	A03	ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोग
4	A04	ऐसे लोग जिनमें ड्रग के सेवन से विकार होता है
5	A05	ड्रग्स से संबंधित मृत्यु दर
6	A06	ड्रग्स से संबंधित उपचार
7	A07	जब्ती और तस्करी
8	A08	गोपनीय प्रयोगशालाएँ
9	A09	अवैध खेती और फसलों का उन्मूलन
10	A10	कीमतें और शुद्धता
11	A11	इंटरनेट और संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ड्रग्स की बिक्री
12	A12	ड्रग्स से संबंधित आपराधिक न्याय प्रक्रिया
13	A13	विधायी, संस्थागत और रणनीतिक ढांचा
14	A14	डेटा संग्रह के लिए नवीन तरीके
15	आर06	मादक पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के अन्य रूपों के बीच संबंध
16	आर07	आपूर्ति में कमी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
17	आर09	दोषसिद्धि या सजा के विकल्प
18	आर11	अवैध वित्तीय प्रवाह और मनी–लॉन्ड्रिंग
19	आर12	राष्ट्रीय ढाँचा
20	आर13	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित ड्रग्स तक पहुंच

एनसीबी एआरक्यू को यूएनओडीसी को प्रस्तुत करता है जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली विश्व ड्रग रिपोर्ट का हिस्सा बन जाती है।

3.2 एनकॉर्ड बैठकें

नार्को–समन्वय (एनकॉर्ड) एक 4–स्तरीय समन्वय तंत्र है जिसे नीतिगत मामलों में बेहतर समन्वय के साथ–साथ क्षेत्र स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। विभिन्न एनकॉर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

2019 और 2023 के बीच आयोजित एनकॉर्ड समिति की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	शीर्ष स्तरीय बैठक (2019-23)	कार्यकारी समिति की बैठक (2019-23)	मासिक बैठक (2019-23) (हाइब्रिड मोड)	राज्य स्तरीय बैठक			जिला स्तरीय बैठक	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-23	2023	2019-23	2023
1	प्रथम शीर्ष 19.11.2019	प्रथम कार्यकारी 26.02.2021	11वी, 29.01.2019	अंडमान और निकोबार द्वीप	06	03	09	09
2	द्वितीय शीर्ष 21.10.2020	द्वितीय कार्यकारी 29.10.2021	12वी, 27.03.2019	आंध्र प्रदेश	01	01	101	97
3	तृतीय शीर्ष 27.12.2021	तृतीय कार्यकारी 23.09.2022	13वी, 07.01.2020	अरुणाचल प्रदेश	02	02	18	17
4	चौथी शीर्ष 05.05.2022	चौथी कार्यकारी 24.01.2023	14वी, 19.08.2020	असम	05	01	296	252
5	पाँचवी शीर्ष 01.12.2022	पाँचवी कार्यकारी 22.08.2023	15वी, 16.12.2020	बिहार	04	01	34	21
6	छठी शीर्ष 09.10.2023		16वी, 15.02.2021	चंडीगढ़	01	01	07	04
7			17वी, 06.07.2021	छतीसगढ़	01	Nil	35	20
8			18वी, 22.10.2021	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	05	04	14	10
9			19वी, 28.01.2022	दिल्ली	06	03	106	79
10			20वी, 09.03.2022	गोवा	02	Nil	03	02
11			21वी, 15.06.2022	गुजरात	05	02	198	118
12			22वी, 08.09.2022	हरियाणा	05	02	361	191
13			23वी, 14.12.2022	हिमाचल प्रदेश	02	01	50	45
14			24वी, 14.02.2023	जम्मू और कश्मीर		07	04	326
15			25वी, 28.06.2023	झारखंड	04	01	36	25
16			26वी, 15.09.2023	कर्नाटक	03	01	36	60
17			27वी, 10.11.2023	केरल	04	Nil	16	04
18				लद्दाख	05	03	21	12
19				लक्षद्वीप	01	Nil	Nil	Nil
20				मध्य प्रदेश	02	01	70	23
21				महाराष्ट्र	05	01	365	256
22				मणिपुर	05	Nil	16	08
23				मेघालय	02	Nil	04	04
24				मिजोरम	05	02	109	70

क्र.सं.	शीर्ष स्तरीय बैठक (2019-23)	कार्यकारी समिति की बैठक (2019-23)	मासिक बैठक (2019-23) (हाइब्रिड मोड)	राज्य स्तरीय बैठक			जिला स्तरीय बैठक	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-23	2023	2019-23	2023
26				ओडिशा	04	01	12	10
27				पुदुचेरी	05	01	05	02
28				पंजाब	02	Nil	138	133
29				राजस्थान	05	Nil	18	Nil
30				सिक्किम	02	Nil	34	23
31				तमिलनाडु	06	01	181	124
32				तेलंगाना	02	02	46	46
33				त्रिपुरा	05	04	57	54
34				उत्तर प्रदेश	07	04	623	491
35				उत्तराखंड	03	Nil	91	58
36				पश्चिम बंगाल	03	01	36	08

शीर्ष स्तरीय बैठकों की कुल संख्या	कुल कार्यकारी समितियों की बैठक	कुल मासिक बैठकें	कुल राज्य स्तरीय बैठकें		कुल राज्य स्तरीय बैठकें	
			2019–23	2023	2019–23	2023
06	05	17	133	49	3569	2584

स्रोत :– एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली और एनकॉर्ड पोर्टल

वर्ष 2023 में आयोजित मासिक एनकॉर्ड बैठकों का विवरण

- दिनांक 14.02.2023 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 24वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई। उत्तर पूर्वी राज्यों– असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम के लिए मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा, केंद्रीय एजेंसियां (डीआरआई, ईडी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आदि) और सीएपीएफ (बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, एसएसबी और भारतीय तटरक्षक आदि) को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया।
- दिनांक 28.06.2023 को, महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 25वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा, पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया ।
- दिनांक 15.09.2023 को, महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 26वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा,

दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया।

- दिनांक 10.11.2023 को, महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 27वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया। इस बैठक में मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों – गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वर्ष 2023 में आयोजित शीर्ष एनकॉर्ड समिति की बैठकों का विवरण

- **छठी शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक:**

दिनांक 09.10.2023 को, एनकॉर्ड (नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर) की शीर्ष स्तरीय समिति की छठी बैठक नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय में (हाइब्रिड मोड में) आयोजित की गई और जिसकी अध्यक्षता श्री अजय भल्ला. केंद्रीय गृह सचिव ने की। बैठक में एनसीबी के अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागा/ एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। उपरोक्त के अलावा, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों या उनके प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड में बैठक में भाग लिया।

छठी शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक के एजेंडा बिंदु इस प्रकार थे:

- 27.12.2021 को आयोजित तीसरी शीर्ष एनकॉर्ड समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।
- समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय।
- अफीम और भांग की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए प्रभावी तंत्र का विकास।
- एनडीपीएस मामलों के कानूनी पहलुओं से निपटने में प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया में सुधार।
- ड्रग्स की मांग में कमी लाने की पहल– 'नशा मुक्त भारत अभियान'।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि ड्रग्स के दुरुपयोग का खतरा एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री के ''नशा मुक्त भारत'' दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सभी विभागों/मंत्रालयों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। बैठक के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

- तीसरे शीर्ष एनकॉर्ड के दौरान दिए गए निर्देशों से संबंधित लंबित मुद्दों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्य सचिवों से बेहतर कार्यान्वयन और बेहतर परिणामों के लिए अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनकॉर्ड बैठकों में स्थिति की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था।

- इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों का संज्ञान लेंने तथा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जब्त किए गए ड्रग्स के निपटान के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- डीएलईए की सक्रिय भागीदारी के साथ भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और बंदरगाह प्राधिकरण जैसे तटीय सुरक्षा से जुड़े संबंधित अधिकारियों को समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की संभावना की जांच करने के लिए एक 'विशेष अध्ययन समूह' बनाना चाहिए।

- यह प्रस्ताव किया गया था कि यदि आवश्यक हो तो राजस्व विभाग नियमों में उचित संशोधन कर सकता है, अफीम/गाँजा की अवैध खेती को नष्ट करने के साथ-साथ विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां ऐसी खेती परंपरा का हिस्सा है, में शामिल किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका स्रोत प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है।

वर्ष 2023 में आयोजित एनकॉर्ड की कार्यकारी बैठकों का विवरण

- एनकॉर्ड कार्यकारी की चौथी बैठकः

  दिनांक 24.01.2023 को, तीसरी, चौथी शीर्ष और पांचवीं शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठकों में दिए गए निर्णयों/निर्देशों पर की गई कार्रवाइयों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए एनकॉर्ड समिति की चौथी कार्यकारी बैठक विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

- एनकॉर्ड कार्यकारी की 5वीं बैठकः

  दिनांक 22.08.2023 को तीसरी, चौथी शीर्ष और पांचवीं शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठकों , जिसमें लिए गए निर्णयों/निर्देशों पर की गई कार्रवाइयों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए एनकॉर्ड समिति की 5वीं कार्यकारी बैठक विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

2019-23 में आयोजित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मेलन/एएनटीएफ प्रमुख सम्मेलन का विवरण

क्र. सं.	सम्मेलन का नाम	सम्मेलन की तारीख	प्रतिभागी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1	चंडीगढ़ में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन	30.01.2022 व 31.07.2022	केंद्रीय एजेंसियों (डीएलईए) के साथ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि	केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह की अध्यक्षता में।
2	गुवाहाटी में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन	08.10.2022	उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम	केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह की अध्यक्षता में।
3	गांधीनगर में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन	26.10.2022	पश्चिम मध्य राज्य (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश)	केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह की अध्यक्षता में।
4	बेंगलुरु में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन	24.03.2023	दक्षिणी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी)	केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह की अध्यक्षता में।
5	दिल्ली में आयोजित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन	19.04.2023 व 20.04.2023	सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह की अध्यक्षता में।
6	दिल्ली में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन	17.07.2023	उत्तरी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख और इसके अतिरिक्त ओडिशा	केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह की अध्यक्षता में।

3.3 राष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन

2023 में आयोजित सम्मेलनों का विवरण

दक्षिणी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी) के लिए बेंगलुरु में ''मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन

सम्मेलन का एजेंडा

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के साथ क्षेत्र में ड्रग्स की तस्करी का परिदृश्य।
- एनकॉर्ड तंत्र।
- क्षेत्र में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन।
- विशेष एनडीपीएस अदालतों/फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना।
- दक्षिणी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नशामुक्ति और उपचार सुविधाएं।
- भारत सरकार (एनसीबी)द्वारा की गई पहल।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 19/20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन का एजेंडा:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्तमान ड्रग परिदृश्य
- फोरेंसिक विज्ञान: वर्तमान स्थिति और उन्नयन के लिए प्रस्ताव
- विशेष एनडीपीएस/फास्ट ट्रैक अदालतें: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनडीपीएस मुकदमे के लंबित मामले और अदालतों की स्थिति

- पिछले वर्ष में राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनकॉर्ड बैठकों की स्थिति
- क्षमता निर्माण पहलः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों में नए प्रशिक्षण मॉड्यूल के कार्यान्वयन की स्थिति
- ड्रग की मांग/आपूति/नुकसान में कमी के क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियाँ

दिल्ली उत्तरी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़) के लिए –मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन दिल्ली।

दिनांक 17.07.2023 को, नई दिल्ली में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर चौथे क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय श्री अमित शाह ने की और इसमें उप राज्यपाल, नई दिल्ली, उत्तरी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़) के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे। केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक, एनसीबी और भारत सरकार की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं और बिंदुओं पर चर्चा की गईः

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में, देश के विभिन्न हिस्सों में 2,378 करोड़ रुपये मूल्य के 1.40 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया और यह एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में इतने नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया ।
- प्रतिभागियों को बताया गया कि भारत के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में लगभग 12,000 करोड़ रु. मूल्य के 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ को पिछले एक साल में नष्ट किया गया ।
- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी से बेहतर समन्वय के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनकॉर्ड बैठकों के संचालन की निरंतरता पर जोर देने की अपील की।

4 संगठन

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत ड्रग्स के दुरुपयोग और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने और मुकाबला करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। एनसीबी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों और राज्य/केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ 1961, 1971 और 1988 (जिस के लिए भारत हस्ताक्षरकर्ता है) के विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में हैं, इसके सात क्षेत्रीय उप महानिदेशक कार्यालय हैं, अर्थात उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली), दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई), पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता), उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (अमृतसर) , पश्चिमी क्षेत्र (अहमदाबाद), दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई), उत्तर पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी) और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बैंगलोर, पटना, कोचीन, हैदराबाद, गोवा, भोपाल, अमृतसर, जयपुर, रांची, श्रीनगर, विशाखापत्तनम, इंफाल, देहरादून, भुवनेश्वर, गोरखपुर, अगरतला, ईटानगर, सिलीगुड़ी और रायपुर 30 क्षेत्रीय इकाईयाँ हैं। वर्तमान में, एनसीबी का स्वीकृत कार्यबल 1497 है।

अवधि (01.01.2023 से 31.12.2023 तक) के दौरान एनसीबी ने संगठनों की प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित आधारभूत संरचना के अधिग्रहण/निर्माण के संबंध में कार्रवाई शुरू की। कार्य प्रगति पर हैः गुवाहाटी, असम में कार्यालय–सह–आवासीय (ओसीआर), अमृतसर, पंजाब में कार्यालय परिसर (ओसी) और दिल्ली में कार्यालय परिसर (ओसी)।

दिनांक 18.04.2023 को इंदौर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने नवनिर्मित कार्यालय परिसर और दिनांक 17.07.2023 को भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया।

गोरखपुर और रायपुर क्षेत्र में नए जॉन और अमृतसर में उप महानिदेशक/क्षेत्र के लिए भूमि का निर्धारण कर लिया गया और प्रस्ताव गृह मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

4.1 एनसीबी चार्टर

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 मार्च, 1986 से दिल्ली में मुख्यालय के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो' का गठन किया गया था। केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन ब्यूरो द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करने के लिए प्रयोग किया जाता हैः

- एन.डी.पी.एस. अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन प्रावधानों के संबंध में फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई का समन्वय।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल जो वर्तमान में लागू हैं या जिन्हें भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार किया जा सकता है, के तहत अवैध यातायात के खिलाफ प्रत्युपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन ।
- ड्रग्स और मादक पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई

को सुचारु बनाने के लिए विदेशों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में संबंधित अधिकारियों को सहायता।

- ड्रग्स के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाइयों का समन्वय।

- राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिश पर, एनसीबी को राजस्व विभाग (डीओआर) से 18.02.2003 को गृह मंत्रालय (एमएचए) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

4.2 एनसीबी संगठन

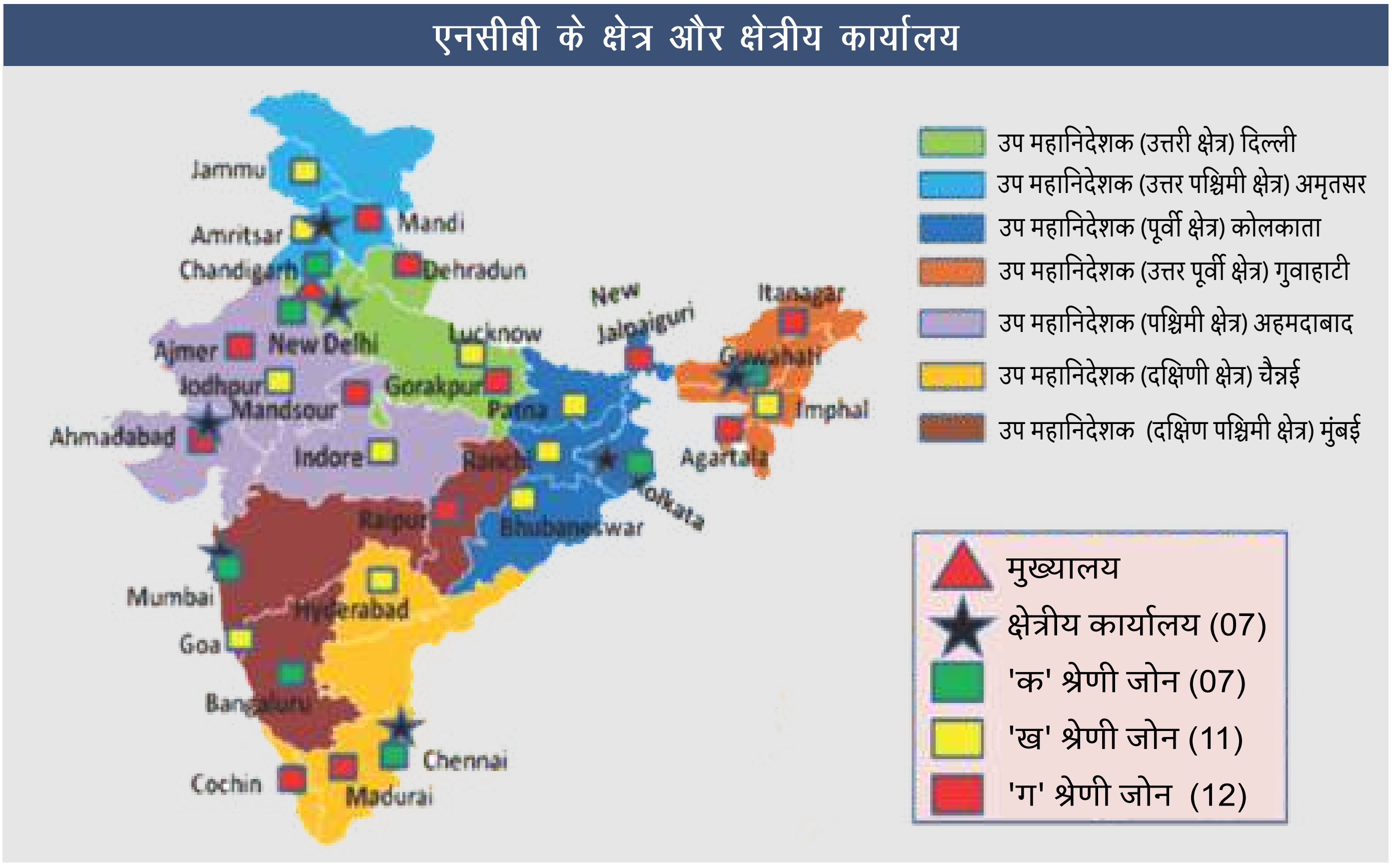

4.2.1 2023 के दौरान आधारभूत सरंचना / परियोजनाएं

- इंदौर में कार्यालय परिसर (ओसी) का निर्माण कार्य :

  इंदौर में कार्यालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 18.04.2023 को इंदौर में नवनिर्मित कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। जोनल कार्यालय, एनसीबी इंदौर ने नवनिर्मित भवन से कार्यालयीन कार्य शुरू कर दिया है।

- भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर का निर्माण कार्य :

  भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री. अमित शाह ने 17.07.2023 को भुवनेश्वर में नवनिर्मित कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया और भुवनेश्वर जोनल कार्यालय, एनसीबी ने नवनिर्मित भवन से कार्यालयीन कार्य शुरू कर दिया है।

- गृह मंत्रालय ने पत्र दिनांक 01/03/2023 और 09/02/2023 के माध्यम से. अमृतसर और दिल्ली में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए क्रमश: 12,52,03,000/– रु एवं 25,63,21,000/– रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय मंजूरी प्रदान की है

2023 में एनसीबी द्वारा भरे गए पदों का विवरण

क्र.सं.	पद	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए पदों की संख्या	पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों की संख्या
1	उप. महानिदेशक	03	-	-
2	उप. निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक	02	-	-
3	सहायक निदेशक	-	09	-
4	अधीक्षक	-	19	-
5	कार्यालय अधीक्षक	-	02	-
6	अनुभाग अधिकारी	-	12	-
7	आसूचना अधिकारी	38	05	-
8	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	06	11	103
9	सहायक	01	-	12
10	आशुलिपिक (ग्रेड– I)	-	-	07
11	उच्च श्रेणी लिपिक	-	01	04
12	स्टाफ कार चालक	07	03	-
13	निगरानी सहायक	02	-	-
14	हवलदार	04	-	-
15	सिपाही	14	-	149
16	एमटीएस	-	-	01
	कुल	**77**	**62**	**276**

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने 17.07.2023 को अमृतसर और दिल्ली में कार्यालय परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी। दोनों स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
- गुवाहाटी में कार्यालय–सह–आवासीय (ओसीआर) परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4.2.2

वर्ष 2023 में एनसीबी मुख्यालय द्वारा आयोजित 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ कार्यक्रमों की झलक

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

4.3 पदक / पुरस्कार

एनसीबी के अधिकारियों को पदक / पुरस्कार द्वारा सम्मान

विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)

श्री पीयूष कुमार सिंह

सहायक निदेशक

एनसीबी मुख्यालय (नई दिल्ली)

प्रतिभाशाली सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम) द्वारा सम्मानित किया गया

"केंद्रीय गृह मंत्री का असाधारण आसूचना कुशलता पदक" पुरस्कार–वर्ष–2023

क्रम संख्या	नाम	रैंक	तैनाती का स्थान
01	रोहित श्रीवास्तव	अधीक्षक	अमृतसर जोन

एनसीबी के 02 अधिकारियों को वर्ष 2023 के लिए ''जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक'' द्वारा सम्मानित किया गया है।

क्र.संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति का स्थान
01	श्री ई शंकर सुब्रमण्यम	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चेन्नई
02	श्री राकेश कुमार	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, पटना

वर्ष.2023 के लिए ''केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदक'' का पुरस्कार

क्र. सं.	नाम	रैंक	नियुक्ति का स्थान
01	ज्ञानेश्वर सिंह	उप. महानिदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
02	अमनजीत सिंह	क्षेत्रीय निदशक	एनसीबी जोनल यूनिट, चंडीगढ़
03	मोहिंदर जीत सिंह बोपारी	सहायक निदशक	बीएसएफ मुख्यालय, नई दिल्ली
04	अमर शंकर प्रसाद	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
05	करमवीर सिंह	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
06	कुलदीप तोमर	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
07	सैयद शारिक उमर	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, रांची
08	राहुल सैनी	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
09	प्रिंस कुमार	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
10	परमजीत	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
11	सुमित सैनी	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
12	संजीव कुमार	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
13	ललित कुमार	निगरानी सहायक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
14	मिलन सिंह	चालक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़

महानिदेशक, एनसीबी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई प्रशंसनीय सेवा/कार्य के लिए महानिदेशक डिस्क और महानिदेशक प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किए गए (वर्ष 2023 के लिए)

महानिदेशक की प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र

क्र. सं.	नाम	रैंक	नियुक्ति का स्थान
01	रीतेश रंजन	उप निदेशक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, इंदौर
02	विकास कुमार	सहायक निदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
03	तूलिका मोरंग	अधीक्षक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवाहाटी
04	आशीष कुमार ओझा	अधीक्षक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोचीन
05	चेतन शर्मा	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, दिल्ली
06	संजीत कुमार	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
07	प्रेम नारायण झा	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवाहाटी
08	कमलेश कुमार	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, बेंगलोर
09	विजेंदर सिंह	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, दिल्ली
10	सुमित सैनी	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
11	श्याम प्रसाद के.के	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, बैंगलोर
12	मंजीश कुमार	निगरानी सहायक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवाहाटी
13	नवनीत कुमार	निगरानी सहायक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
14	भूपेश स्वामी	हवलदार	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, अहमदाबाद
15	संतु साहा	सिपाही	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
16	गिरीश के	सिपाही	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, बैंगलोर
17	कृष्ण नारायण पानीगढ़ी	सिपाही	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, मुंबई
18	जीबी. राजा कुमार	चालक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली

महानिदेशक प्रशस्ति पत्र

क्र. सं.	नाम	रैंक	नियुक्ति का स्थान
01	सुस्मिता भट्टाचार्य	निजी सचिव	कार्यालय उप महानिदेश्क (पू. क्षे.)
02	अमोल त्रिम्बक मोरे	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, मुंबई
03	हरेंदर कुमार डागर	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, दिल्ली
04	परमजीत	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
05	एकता श्रीवास्तव	सहायक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
06	जीत गोस्वामी	आशुलिपिक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई,कोलकाता
07	मोनोहरम पी	सिपाही	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चेन्नई
08	बाबू लाल	चालक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली

4.4 राजभाषा हिंदी

उल्लेखनीय प्रयास

संघ की राजभाषा नीति के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का ब्यूरो मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन कार्य किया जा रहा है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय, उप महानिदेशक के कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इस संगठन में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के निम्नांकित सार्थक प्रयास किए गएः–

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुख्यालय में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों (OLIC) का प्रत्येक तिमाही में आयोजन किया गया। बैठकों में हिंदी में कार्य करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई तथा इस संबंध में कार्य नीतियां बनाकर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया।

तिमाही, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का संकलन

ब्यूरो मुख्यालय की प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन करने के लिए मुख्यालय के सभी अनुभागों से आंकड़े मंगवाए गए और ब्यूरो मुख्यालय की समेकित रिपोर्ट गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग को भी भिजवाई गई। ब्यूरो मुख्यालय की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट भी समेकित कर तैयार करके भेजी गई।

ब्यूरो मुख्यालय के सभी उप महानिदेशक के कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों से राजभाषा प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से मँगवाई गई। सभी उप महानिदेशक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्ष 2023 में सभी तिमाहियों की राजभाषायी रिपोर्टों की मदवार विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा पाई गई कमियों को दूर करने हेतु सुझाव दिए गए।

हिंदी प्रशिक्षण

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए ब्यूरो मुख्यालय से श्री दशरथ सिंह, हवलदार को नामित किया गया। नामित कार्मिक ने हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त करके जनवरी, 2024 में हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 12 माह के लिए वैयक्तिक वेतन वृद्धि एवं नकद पुरस्कार प्राप्त किया।

राजभाषायी निरीक्षण

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुख्यालय की ओर से उप निदेशक (राजभाषा) तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 24.07.2023 को राजभाषा नीति कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक ओर संबंधित कार्यालय में हिंदी में हो रहे कार्यों की सराहना की तो दूसरी ओर पाई गई कमियों को दूर करने के सुझाव देते हुए सरकारी कामकाज को अधिकाधिक हिंदी भाषा में किये जाने के लिए प्रेरित भी किया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय, एनसीबी का दिनांक 13.01.2023, कोलकात्ता क्षेत्रीय कार्यालय का 28.04.2023, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 15.07.2023, इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 21.8.2023 तथा बैंगलौर क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 19.10.2023 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया जिसमें ब्यूरो की ओर से उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), उप महानिदेशक (दक्षिण पश्चिम क्षेत्र), सहायक निदेशक (अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई) तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया। उक्त निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

गृह मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

गृह मंत्रालय द्वारा गोवा, लखनऊ, मदुरैई क्षेत्रीय कार्यालय, का क्रमशः दिनांक 16.10.2023, 19.10.2023 तथा 21.11.2023 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में ब्यूरो मुख्यालय की ओर से आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।

मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण आलेखन हेतु नकद पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ब्यूरो, मुख्यालय में लागू उक्त प्रोत्साहन योजना– वर्ष 2022–23 के लिए ब्यूरो मुख्यालय से 10 (दस) कार्मिकों को पुरस्कार हेतु नामित किया गया। इनमें से दो कार्मिकों को प्रथम पुरस्कार अर्थात् 5000×2=10,000/-(दस हजार रुपये) तथा तीन कार्मिकों को द्वितीय पुरस्कार अर्थात् 3000×3=9000/- (नौ हजार रुपये) तथा पांच कार्मिकों को तृतीय पुरस्कार अर्थात 2000×5=10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि प्रदान की गई तथा ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू उक्त प्रोत्साहन योजना में 06 क्षेत्रीय कार्यालयों के 14 कार्मिकों ने भाग लिया तथा पात्रता–अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद

ब्यूरो मुख्यालय के पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित 50% का लक्ष्य प्राप्त करते हुए वर्ष 2022 में निर्धारित लक्ष्य के तहत पुस्तकों की खरीद की गई।

हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस

ब्यूरो, मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। ब्यूरो, मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा, 2023 के दौरान पांच प्रतियोगिताओं (हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण–आलेखन, राजभाषा हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी अनुवाद तथा हिंदी श्रुतलेखन प्रतियागिता) का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा कुल 25 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को महानिदेशक महोदय द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

हिंदी कार्यशालाएं

ब्यूरो मुख्यालय में दिनांक 15.02.2023, 16.06.2023, 25.09.2023 तथा 12.12.2023 को हिंदी कार्याशालाओं का आयोजन किया गया। दिनांक 25.09.2023 को आयोजित हिंदी कार्यशाला में ब्यूरो मुख्यालय के कार्मिकों ने ऑफलाइन रूप से तथा ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारियों/कर्मचारियों ने ऑनलाइन रूप से भाग लिया। इन कार्यशालाओं में ब्यूरो मुख्यालय के कार्मिकों सहित उप महानिदेशक, उत्तरी क्षेत्र तथा क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिकों ने भी भाग लिया।

इन कार्यशालाओं में सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किए जाने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया एवं इस संबंध में राजभाषा नीति के संबंध में सरल व रोचक ढ़ंग से व्याख्यान हुआ। कार्याशालाओं के आयोजन में यह ध्यान रखा जाता है कि हिंदी कार्यशालाओं में बुलाए जाने वाले वक्ता तथा उनको दिया जा रहा विषय दोनों ही प्रतिभागियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली–2) की बैठक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31 मई, 2023 एवं 07.11.2023 को अध्यक्ष कार्यालय भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठकों में ब्यूरो मुख्यालय की ओर से उप निदेशक (राजभाषा) व सहायक निदेशक

(राजभाषा) द्वारा भाग लिया गया। नराकास की इस बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की गई तथा अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट समयबद्ध प्रेषित की गई।

दिनांक 14 एवं 15 सितंबर, 2023 को महाराष्ट्र (पुणे) में

आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 06 जून, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु द्वितीय तकनीकी संगोष्ठी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग से अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के हिंदी–अंग्रेजी अनुवाद संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत यथापेक्षित द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले कागजातों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाया गया।

ब्यूरो के विभिन्न पदों के भर्ती नियमों, कार्यालय आदेशों, मानक प्रपत्रों आदि का हिंदी रूपांतर उपलब्ध कराया गया। गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया गया।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में ब्यूरो मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वयन तथा अनुवाद संबंधी सभी अपेक्षित कार्यों को समयबद्ध संपन्न किया गया।

5 विधि अनुभाग

एनसीबी मुख्यालय में विधि अनुभाग, सभी विधिक मामलों में एनसीबी मुख्यालय के साथ–साथ एनसीबी क्षेत्रों और क्षेत्रीय इकाइयों की सहायता के लिए अपर विधिक सलाहकार और उप महानिदेशक (विधिक) के अधीन कार्य करता है। इस अनुभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

1) **सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल करना और उनकी निगरानी करना:** विधि अनुभाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालयों के प्रतिकूल आदेशों के विरुद्ध एनसीबी जोनों से प्राप्त एसएलपी प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। यह अनुभाग केंद्रीय एजेंसी अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के समन्वय से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी का मसौदा तैयार करना, दाखिल करना सुनिश्चित करता है। इस अवधि के दौरान, विधि अनुभाग ने लगभग 200 एसएलपी प्रस्तावों पर कार्रवाई की। 200 एसएलपी में से लगभग 20 का परिणाम एनसीबी के पक्ष में आया। विधि अनुभाग विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं जहां एनसीबी एक पक्षकार है, की भी निगरानी करता है। प्रत्युत्तर हलफनामा को समयबद्ध दाखिल करना और पैनल काउंसलों की ब्रीफिंग भी सुनिश्चित की जाती है।

2) **विधिक दस्तावेजों की जांच:** विधि अनुभाग, विभिन्न न्यायालयों में दायर किए जाने वाले आवेदनों, याचिकाओं, शिकायतों, उत्तरों/प्रत्युत्तर हलफनामों आदि सहित सभी विधिक दस्तावेजों की भी जांच करता है। इस अवधि के दौरान, विधि अनुभाग ने एनसीबी मुख्यालय, क्षेत्रीय इकाइयों, उप क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त लगभग 40 विधिक दस्तावेजों की जांच की।

3) **विधिक राय देना:** विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में अपर विधिक सलाहकार, एनसीबी मुख्यालय/ क्षेत्रों/क्षेत्रीय इकाइयों/उप–क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गए विधिक और साथ ही, प्रशासनिक मामलों में राय देते हैं। विधि अनुभाग उत्तरी क्षेत्र के एनसीबी क्षेत्रों जहां विधि और न्याय मंत्रालय की कोई भी सचिवालय शाखा कार्य नहीं करती है, में उच्च न्यायालय में अपील के मामले में भी राय प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान, अपर विधिक सलाहकार द्वारा 200 से अधिक एसएलपी मामलों और 100 अन्य विधिक और प्रशासनिक मामलों में राय दी गई।

4) **एनसीबी परिपत्रों/एसओपी का प्रारूपण और वितरण:** विधि अनुभाग को विशेष रूप से विधिक मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण परिपत्रों और एसओपी का मसौदा तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है। इस अवधि के दौरान, विधि अनुभाग के बहुमूल्य योगदान से परिपत्र संख्या 01/2023 जारी किया गया था।

5) **एनसीबी में एसपीपी की नियुक्ति:** विधि अनुभाग एसपीपी की रिक्तियों की मांग, प्रकाशन तथा विधि और न्याय मंत्रालय के साथ कार्य करने से लेकर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को भी देखता है। एनसीबी मुख्यालय, एसपीपी की तदर्थ नियुक्ति के लिए भी संस्वीकृति प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान, नियमित और तदर्थ आधार पर लगभग 30 एसपीपी नियुक्त किए गए।

6) **एसपीपी के कार्य–निष्पादन की निगरानी:** विधि अनुभाग, एसपीपी के कार्य–निष्पादन की भी निगरानी करता है और मामले में उचित निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखता है।

7) **दोषमुक्ति के मामलों का विश्लेषण:** विधि अनुभाग निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट) के दोषमुक्ति के आदेशों का भी विश्लेषण करता है और अवलोकन के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करता है।

8) **ऐतिहासिक निर्णयों का परिचालन:** विधि अनुभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के

महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों को भी एनसीबी क्षेत्रों/ क्षेत्रीय इकाइयों में उनकी जानकारी और अनुपालन के लिए प्रसारित करता है। इस अवधि के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लगभग 10 ऐतिहासिक निर्णय प्रसारित किये गये।

9) **भारत और अन्य देशों के बीच आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन/स्थानांतरण पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना:** विधि अनुभाग, भारत और अन्य देशों के बीच आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन और स्थानांतरण के संबंध में भी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है।

10) **विधिक विषयों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों आदि के दौरान विधिक विषय पर व्याख्यान देने के लिए विधि अनुभाग में उप विधिक सलाहकार और अन्य स्टाफ सदस्यों को भी नियुक्त किया जाता है। विधि अनुभाग ने सीएपीटी भोपाल के सहयोग से एसपीपी के 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

5.1 प्रमुख निर्णय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय

क्र.सं.	उद्धरण	मामलों का शीर्षक	निर्णय का संक्षिप्त विवरण
1	एसएलपी (आपराधिक) 2023 की सं. 2351	भारत संघ बनाम अजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी अपराध का आरोपी जो मादक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा के व्यापार से जुड़ा हो, को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हो कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
2	एसएलपी (आपराधिक) 2023 की सं. 915	मो. मुस्लिम बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "धारा 37 के अधीन शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या, प्रभावी रूप से जमानत देने को पूर्णतः वर्जित कर देगी, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक हिरासत भी होगी।" "धारा 37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तों पर संवैधानिक मापदंडों के भीतर विचार करने का एकमात्र तरीका यह है कि अदालत रिकॉर्ड पर सामग्री (जब भी जमानत आवेदन किया जाता है) को प्रथम दृश्टया देखने पर उचित रूप से विश्वास करें कि आरोपी, अपराधी नहीं है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणाम स्वरूप, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिनियमित अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से पूरी तरह इनकार कर दिया जाएगा।" इस संबंध में, **पीठ ने सतेंदर कुमार** अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2022 लाइव लॉ (एससी) 577 पर भरोसा किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 क, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह अपेक्षित है कि यदि मुकदमा निर्दिष्ट अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो आरोपी की जमानत को बढ़ाया जाए, विशेष कृत्यों पर भी लागू होती है।
3	एसएलपी (आपराधिक) 2023 की 4169	रबी प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि; ● हमें सूचित किया गया है कि मुकदमा शुरू हो गया है लेकिन 19 गवाहों में से केवल 1 से पूछताछ की गई है। ऐसे में मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ और समय लगेगा। ● एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तों के संबंध में, प्रतिवादी – राज्य के विद्वान वकील को विधिवत सुना गया है। **इस प्रकार,** पहली शर्त का पालन किया गया। जहां तक दूसरी शर्त का संबंध है: इस बारे में पुनः राय बनाना कि क्या यह मानने के उचित

क्र.सं.	उद्धरण	मामलों का शीर्षक	निर्णय का संक्षिप्त विवरण
			आधार है कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है, इस स्तर पर यह राय नहीं बनाई जा सकती है जब कि वह पहले ही हिरासत में साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय बिता चुका है। लंबे समय तक कारावास, सामान्यतया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे मूल्यवान मौलिक अधिकार के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में, सशर्त स्वतंत्रता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (ख) (पप) के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को खत्म करना चाहिए।
4	आपराधिक अपील सं. 1726/2019	आसूचना अधिकारी, तिरुवनंतपुरम बनाम नौशाद के.के. और अन्य	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना किय इस मुद्दे में कोई दलील नहीं है कि 2020 एसीसी ऑनलाइन एसी 382 के रूप में रिपोर्ट किया गया "हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य " मामले की न्यायिक घोषणा अब इस मुद्दे को सुलझाती है कि उक्त न्यायालय के निर्णय ने जिस "ई. माइकल राज बनाम आसूचना अधिकारी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, (2008) 5 एससीसी 161" के आक्षेपित निर्णय पर निर्भर किया–वह अब कोई वैधता नहीं रखता है और यह निर्धारित करने में कि मात्रा क्या है, तटस्थ पदार्थ की मात्रा की उपेक्षा नहीं की जाती है।
5	आपराधिक अपील सं. 2023 की 1443	सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 धारा 52–क– एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52–क के तहत नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए। नमूना एकत्र करने की संपूर्ण प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रमाणित किया जाना चाहिए।
6	आपराधिक अपील सं. 2023 की 3191	युसुफ उर्फ आसिफ बनाम राज्य	रिकॉर्ड में किसी भी सामग्री के अभाव में यह स्थापित करना कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था, यह स्पष्ट है कि उक्त जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ और वहां से लिए गए नमूने मुकदमें में प्राथमिक साक्ष्य का वैध हिस्सा नहीं होंगे। जब कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो मुकदमा खारिज हो जाता है।

6 डिजिटल पहल

6.1 एनकॉर्ड पोर्टल

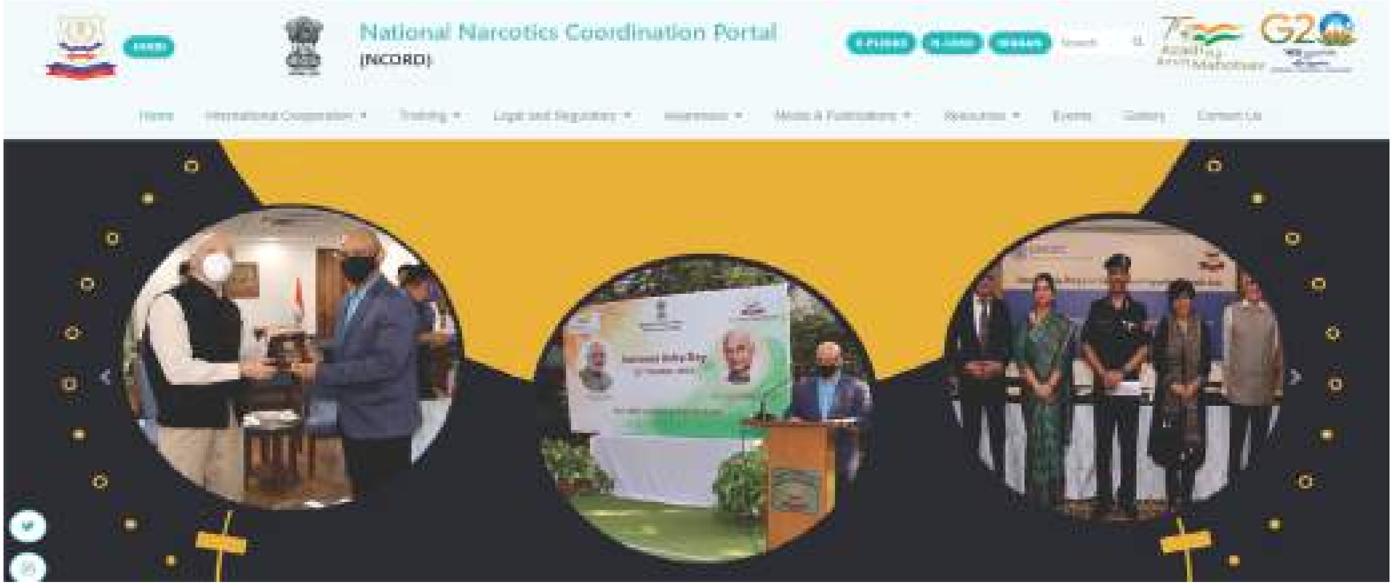

भारत में ड्रग प्रशासन तंत्र में हितधारकों की संख्या बढ़ने के कारण, केंद्र सरकार ने ड्रग आपूर्ति–मांग और नुकसान में कमी के क्षेत्र में मजबूत सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक चार स्तरीय तंत्र बनाया था। ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होने के रूप में एनसीबी ने एक एनकॉर्ड पोर्टल विकसित करने की पहल की है, जिसे

https://narcoordindia-in/ पर एक्सेस किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों सहित जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कुल सभी चार स्तरों के हितधारकों हेतु सभी ड्रग्स और एनसीबी से संबंधित जानकारी और सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रवेश द्वार है। सूचना प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) सभी के लिए सुलभ है, जबकि इस प्रणाली में एनकॉर्ड हिस्से तक सीमित पहुंच प्रदान की जाती है, जिसमें विभिन्न एनकॉर्ड बैठकों के दौरान लिए गए सभी निर्णयों को पोर्टल पर श्रेणी–वार देखा जा सकता है।

केएमएस के मंच पर, इस पोर्टल पर समझौता ज्ञापन (एमओयू), द्विपक्षीय समझौतें, प्रत्यर्पण संधियां, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम और प्रशिक्षण कैलेंडर, महत्वपूर्ण निर्णय आदि उपलब्ध हैं।

हितधारक, एनकॉर्ड पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद संबंधित अनुभाग से बैठक नोटिस, कार्य सूची और बैठक के कार्यवृत्त और संबंधित बैठक के एटीआर को अपलोड कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते है तथा डाउनलोड कर सकते हैं।

6.2 गिरफ्तार किए गए नार्को अपराधियों से संबंधित राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान)

एनसीबी, एनआईए, अन्य केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों जैसी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए निदान पोर्टल विकसित किया गया है और URL https%//nidaan.nic.in/NIDAAN/ (NICNET) पर डाला गया है। निदान तक पहुंचने के लिए आईसीजेएस लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है। यह एक डेटाबेस है जिसमें मादक पदार्थों के अपराधों में गिरफ्तार किए गए अखिल भारतीय मादक पदार्थ के अपराधियों तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत अपराधों में शामिल अपराधियों का डेटा मौजूद है। देश भर में, कम से कम एक दिन के लिए भी जेल में कैद हुए सभी आरोपी ई–जेल में पंजीकृत हैं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पहुंच योग्य हैं। इसमें मादक पदार्थ के सभी अपराधियों का एक केंद्रीत डेटाबेस रखा जाता है, जो आज की तिथि तक उपलब्ध नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके ई–जेलों जो सभी राज्यों के लिए क्लाउड–आधारित एप्लिकेशन उपलब्ध हैं, के माध्यम से किया जाता है।

6.3 आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य, अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग आधारभूत ढांचे और ट्रैकिंग प्रणाली का सृजन करना है।

एनसीबी, प्रथम केंद्रीय ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी है जिसने आवश्यकताओं और संगठनात्मक संरचना के अनुसार, सीसीटीएनएस पोर्टल में संशोधन के बाद अपराध व आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) को कार्यान्वित किया है। एनसीबी ने वर्ष 1986 के बाद से दर्ज किए गए एनसीबी के 7000 से अधिक जब्ती मामलों के अपने विरासत डेटा को डिजिटल कर दिया है तथा नए पंजीकृत मामलों को अपराध पंजीकरण संख्या (सीआईएन) के साथ सीसीटीएनएस पोर्टल पर डाला जा रहा है।

6.4 राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस)

अपराध और आपराधिक संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस एनसीआरबी और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। वेब–आधारित एप्लिकेशन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके एक केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24×7 आधार पर वास्तविक समय में डेटाबेस से डेटा अपलोड करने, पता लगाने और पुनःप्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह केंद्रित फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगा।

एनसीबी ने विभिन्न स्थानों पर स्थित 16 क्षेत्रों में एनएएफआईएस को सफलतापूर्वक शुरू किया है। एनएएफआईएस को उन्नत और नव निर्मित क्षेत्रों में शीघ्र ही विस्तारित किया जाएगा।

अनुलग्नक - I

7 अनुलग्नक

राष्ट्रीय ड्रग प्रवर्तन सांख्यिकी 31.12.2023 के अनुसार

			2019	2020	2021	2022	2023
1. जब्त किए गए विभिन्न ड्रग्स (कि.ग्रा.में) मामलों की संख्या सहित							
क	अफीम	जब्ती	4,488	5,212	5,161	3,805	8,533
		मामले	1,494	1,626	1,884	2,187	2,373
ख	मोर्फिन	जब्ती	125	11	131	129	210
		मामले	192	78	208	283	236
ग	हेरोइन	जब्ती	3,231	3,838	7,197	5,410	2,986
		मामले	10,841	9,122	12,634	17,317	19,104
घ	गांजा	जब्ती	342,045	581,644	812,545	718,376	6,28,612
		मामले	27,234	27,281	34,829	52,299	53,243
ङ	हशीश	जब्ती	3,572	6,643	4,197	3,495	3,320
		मामले	3,316	3,112	2,933	3,255	2,901
च	कोकीन	जब्ती	66	19	364	218	292
		मामले	134	82	120	157	171
छ	मेथाक्वालोन	जब्ती	49	10	15	57	26
		मामले	20	12	14	38	39
ज	एफेड्रिन	जब्ती	686	841	325	1,001	969
		मामले	27	20	23	32	16
झ	एसिटिक एनहाईड्राइड	जब्ती	214	121	24,265	333	40
		मामले	2	2	3	2	1
ञ	एटीएस	जब्ती	1,774	1,357	387	1,224	3,406
		मामले	77	94	120	157	223
2. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति							
क	विदेशियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		74,620	73,030	93,538	126,516	1,32,954
ख	गिरफ्तार किए गए विदेशियों की संख्या		436	299	593	777	735
3. ड्रग्स की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई							
क	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या		76,819	44,892	63,029	84,404	86,643
ख	दोषी व्यक्तियों की संख्या		30,151	10,666	12,428	26,304	34,340
	ग) दोषमुक्त व्यक्तियों की संख्या		7,923	3,749	4,520	5,580	9,457

			2019	2020	2021	2022	2023
4. पीटीएनडीपीएस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत की गई कार्रवाई							
क	हिरासत आदेशों की संख्या (पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988)		0	10	21	22	22
ख	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या		0	7	15	17	18
5. ड्रग्स की पैदावार वाले पौधों का नष्टिकरण							
क	पोस्त पौधे का क्षेत्र (एकड़ में)		10,386	10,769	11,027	13,796	31,785
ख	कैनबिस पौधे का क्षेत्र (एकड़ में)		22,809	21,559	34,866	26,266	22,507
6. अवैध निर्माण सुविधाओं का नष्टिकरण (गोपनीय प्रयोगशाला पर्दाफाश)							
उत्पादन का नाम अवैध प्रयोगशाला		**जब्त की गई ड्रग्स**					
क	**हेरोइन**	हेरोइन –हेरोइन (किलोग्राम)	320	491	1,106	278	0
		मॉर्फिन (किलोग्राम)	28	0	0	0	0
		मॉर्फिन (लीटर.)	0	136	356	0	0
		अफीम (किलोग्राम)	0	0	36	3	3
		अन्य पदार्थ (किलोग्राम)	3	52	165	186	5
		पहचान की गई सुविधाओं की संख्या	6	2	4	3	1
		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	0	0	7	4	1
ख	**एटीएस**	मेथामफेटामाइन (किलोग्राम)	0	0	0	0	77
		इफेड्रिन/स्यूडो–इफेड्रिन पाउडर रूप में (किलोग्राम)	0	0	0	662	0
		अन्य पदार्थ (किलोग्राम)	0	0	0	5,200	0
		पहचान की गई सुविधाओं की संख्या	0	0	0	1	2
		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	0	0	0	2	13
ग	**केटामाइन**	केटामाइन (किलोग्राम)	529	0	0	0	0
		पहचान की गई सुविधाओं की संख्या	2	0	0	0	0
		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	3	0	0	0	0

			2019	2020	2021	2022	2023
घ	मल्टी ड्रग सामग्री	कोकीन (किलोग्राम)	0	0	0	0	23
		एफेड्रिन/स्यूडो–एफेड्रिन पाउडर रूप में (किलोग्राम)	0	560	5	0	0
		केटामाइन(किलोग्राम)	0	0	0	0	4
		मेफेड्रोन (किलोग्राम)	0	359	5	1,528	125
		अन्य (किलोग्राम)	0	16	91	75	323
		पहचान की गई सुविधाओं की संख्या	0	3	3	6	8
		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	0	4	16	30	18
7. जब्त ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों का निपटान							
क	अफीम		1,815	1,442	815	861	1,180
ख	मोर्फिन		2	0	20	116	81
ग	हेरोइन		613	6,742	490	1,163	1,380
घ	गांजा		59,469	98,111	57,129	684,558	4,78,936
ङ	हशीश		1,279	606	742	2,928	1,352
च	कोकीन		25	2	10	7	40
छ	मेथाक्वालोन		0	0	0	4	14
ज	एफेड्रिन		753	307	141	5,275	129
झ	एसिटिक एनहाईड्राइड		11,955	0	55	302	3
ञ	एमफिटामाइन		5	2	13	2,000	1,303
8. संपत्ति की जब्ती							
क	जब्त की गई संपत्ति का मूल्य (रुपये)		0	0	8,491,044	0	0
	मामलों की संख्या		0	0	3	0	0
ख	फ्रीज की गई संपत्ति का मूल्य (रुपये)		16,735,982	45,111,078	309,879,766	170,562,173	776,801,395
	मामलों की संख्या		24	8	33	33	36
9. जब्ती की एजेंसी–वार संख्या							
क	पूरे भारत में		57,867	55,622	68,144	102,769	109,546
ख	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो		385	412	684	521	375
ग	राजस्व आसूचना निदेशालय		78	77	97	126	49
घ	सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क		12	4	139	185	169

		2019	2020	2021	2022	2023
ङ	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	35	38	44	74	130
च	पुलिस	56,087	54,455	66,692	101,294	105,688
छ	उत्पादन शुल्क	1,270	636	488	569	740
10. जब्त की गई मात्रा का एजेंसी–वार ब्यौरा (कि.ग्रा.)						
क. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)						
क	अफीम	394	1,018	445	192	100
ख	मोर्फिन	24	2	76	18	1
ग	हेरोइन	137	343	1,052	676	99
घ	गांजा	26,312	42,422	55,883	45,850	20,474
ङ	हशीश	563	615	404	697	108
च	कोकीन	38	4	3	31	18
छ	मेथाक्वालोन	6	6	8	13	2
ज	एफेड्रिन	281	88	130	92	652
झ	एसिटिक एनहाईड्राइड	17	21	215	281	0
ञ	एटीएस	1,439	490	75	353	2,645
ख. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)						
क	अफीम	7	0	0	0	66
ख	हेरोइन	237	201	3,388	916	87
ग	गांजा	35,580	38,149	41,419	25,538	5,281
घ	हशीश	303	118	230	77	0
ङ	कोकीन	1	5	322	138	21
च	मेथाक्वालोन	0	0	0	10	0
छ	एफेड्रिन/स्यूडो–एफेड्रिन	0	753	185	670	0
ज	एटीएस	136	79	74	272	1
ग. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
क	अफीम	1	0	0	5	1
ख	मोर्फिन	0	0	0	0	3
ग	हेरोइन	534	0	222	202	30
घ	गांजा	0	0	2,801	879	1,483

		2019	2020	2021	2022	2023
ङ	हशीश	0	0	32	3	0
च	कोकीन	5	3	4	38	34
छ	मेथाक्वालोन	34	0	2	3	8
ज	एफेड्रिन / स्यूडो–एफेड्रिन	0	0	0	49	25
झ	एटीएस	1	0	9	7	16
घ. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन)						
क	अफीम	153	361	63	65	593
ख	मोर्फिन	1	0	0	1	0
ग	हेरोइन	2	2	10	1	8
घ	गांजा	176	18	0	375	531
ङ	हशीश	4	0	0	0	0
च	एसिटिक एनहाईड्राइड	0	0	24,050	0	0
ड. राज्य पुलिस						
क	अफीम	3,931	3,832	4,653	3,542	7,767
ख	मोर्फिन	100	8	55	110	206
ग	हेरोइन	2,308	3,279	2,507	3,581	2,623
घ	गांजा	279,326	500,765	712,087	645,529	5,99,177
ङ	हशीश	2,701	5,909	3,531	2,718	3,212
च	कोकीन	22	8	36	11	138
छ	मेथाक्वालोन	9	4	5	31	16
ज	एफेड्रिन / स्यूडो–एफेड्रिन	395	0	10	160	286
झ	एसिटिक एनहाईड्राइड	197	100	0	52	40
ञ	एटीएस	139	742	152	478	593
च. राज्य उत्पाद शुल्क						
क	अफीम	3	0	0	0	0
ख	हेरोइन	13	13	19	33	79
ग	गांजा	650	291	356	205	182
घ	हशीश	1	0	0	0	0
ङ	एफेड्रिन / स्यूडो–एफेड्रिन	10	0	0	30	6
च	एटीएस	59	46	76	115	100

अनुलग्नक - II

वर्ष 2023-नवंबर में सभी डीएलईए द्वारा पूरे भारत में ड्रग्स की राज्य-वार जब्ती (किलो/संख्या/लीटर/ब्लॉट्स/बोतलों में)

क्र सं.	2023–नवंबर	एसिटिक एनहाइड्राइड (किलो में)	एटीएस (किलो में)	कोकीन (किलो में)	कोडीन (किलो में)	कोडीन (लीटर में)	सीबी सीएस (लीटर में)	एफेड्रिन / स्यूडोएफेड्रिन (किलो में)	गांजा (किलो में)	हशीश (किलो में)	हशीश तेल (किलो में)	हेरोइन (किलो में)	केटामाइन (किलो में)	खत की पत्तियां (किलो में)	एल एस डी (ब्लाट्स में)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	244.87	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46837	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1379	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0
4	असम	0.00	10.49	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8818	0.01	0.00	18.95	0.00	0.00	0
5	बिहार	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7153	93.45	0.00	14.88	0.00	0.00	0
6	चंडीगढ़	0.00	0.15	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92	9.86	0.00	13.50	0.00	0.00	0
7	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20800	0.66	0.00	1.98	0.00	0.00	0
8	दादर नगर हवेली और दमन तथा दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	गोवा	0.00	0.22	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	153	5.53	1.41	0.05	0.24	0.00	2534
10	गुजरात	0.00	60.81	82.87	0.00	0.00	0.00	475.20	8722	53.44	0.00	30.93	0.00	0.00	0
11	हरियाणा	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5307	134.91	0.00	25.86	0.00	0.00	0
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.80	0.00	207	289.15	0.00	13.86	0.00	0.00	1
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.16	0.99	0.00	0.00	5.40	0.00	983	324.60	0.00	186.70	0.00	0.00	0
14	झारखंड	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4337	0.22	0.00	1.56	0.00	0.00	0
15	कर्नाटक	0.00	1.62	13.67	0.00	0.00	1.70	0.00	8743	3.50	10.70	0.36	1.40	0.00	572
16	केरल	0.00	2526.88	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2807	1.86	4.40	1.01	0.00	0.00	680
17	मध्य प्रदेश	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14580	125.82	0.00	32.60	0.00	0.00	0
18	महाराष्ट्र	0.00	0.92	28.35	0.00	0.00	2767.34	53.75	15743	352.73	0.04	47.59	15.74	33.01	121
19	मणिपुर	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.68	491	0.00	0.00	180.71	0.00	0.00	0
20	मेघालय	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	1448	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0
21	मिजोरम	0.00	255.18	0.00	1.10	0.00	253.30	216.66	244	0.00	0.00	138.23	0.00	0.00	0
22	नागालैंड	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170	0.00	0.00	33.21	0.00	0.00	0
23	नई दिल्ली	0.00	11.97	43.33	0.00	0.00	0.00	25.44	2749	18.78	0.00	72.35	8.83	286.70	29013
24	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	25.15	0.00	2.56	0.00	207109	0.00	0.00	48.30	0.00	0.00	0
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
26	पंजाब	0.00	0.37	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1669	54.04	0.00	1034.87	0.00	0.00	0
26	राजस्थान	0.00	0.00	0.33	3.37	0.00	0.00	0.00	56636	10.67	0.00	149.86	0.00	0.00	0
28	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0
29	तमिलनाडु	0.00	7.80	1.75	0.00	0.00	0.00	49.15	5974	1.35	0.00	8.26	0.00	0.00	2670
30	तेलंगाना	0.00	0.01	0.56	0.00	0.00	1.20	0.99	25542	28.14	24.16	6.22	0.13	0.00	5
31	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46524	0.00	0.00	19.23	0.00	0.00	0
32	उत्तर प्रदेश	0.00	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32296	940.48	0.00	92.31	0.00	0.00	0
33	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1282	226.59	0.00	22.35	0.00	0.00	0
34	पश्चिम बंगाल	0.07	0.21	0.10	29.62	70.16	25.57	0.00	17162	13.10	0.00	111.12	0.00	0.00	0
	dqy	40.47	3234.22	174.62	59.23	70.16	3,102.07	964.87	547108	2,688.90	41.26	2,333.04	26.34	319.71	35596

क्र सं.	एल एस डी (किलो में)	एमडीएमए (किलो में)	मेफेड्रोन (किलो में)	मेस्कलाइन (किलो में)	मेथाक्वालोन (मैंड्रैक्स) (किलो में)	मॉर्फिन (किलो में)	अफीम (किलो में)	पोस्त भूसी और पोस्त स्ट्रॉ (किलो में)	इंजेक्शन (संख्या में)	सीबी सीएस (बो. तल में)	सभी प्रकार की गोलियां (किलोग्राम में)	सभी प्रकार की गोलियाँ संख्या में	कुल मामले	गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्ति
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	497	0.00	630	76	100
2	0.00	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0	525	0	3.85	0	1521	4749
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.95	0	0	0	0.01	12	215	389
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0	0	26483	0.00	943080	229	409
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.51	16406	4565	187993	0.00	14546	582	860
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	2008	38	105	0.00	920	152	184
7	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1.04	54	29636	29910	0.00	247610	1206	1763
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	4	10
9	0.08	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0	0	0	0.00	1	127	151
10	0.00	0.10	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10459	0	26501	540.98	1300	514	698
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.12	12448	0	0	0.00	503129	2899	3722
12	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55	739	24	1546	0.01	93363	1911	2775
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.94	8522	1340	8470	0.00	149730	2064	2950
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.86	50523	132	6606	0.00	4702	476	707
15	0.11	21.20	1.87	0.00	0.38	0.00	7.27	56	0	0	20.82	11050	2323	3210
16	0.06	13.79	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0	0	0	0.02	687	28426	30735
17	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	651.90	90965	394	74720	0.31	190981	6391	4786
18	0.55	5.45	270.93	0.00	5.89	0.41	12.64	696	95	39616	381.95	287263	14119	14081
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.44	0	0	9200	113.48	15421	256	342
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	67076	0.00	32677	182	345
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0	0	89	1.58	0	930	1389
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	0	0	7245	0.00	102779	272	394
23	0.00	1.55	0.11	0.00	10.12	0.00	358.06	346	185	36647	2.58	54679	1106	1268
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0	1500	0	0.00	0	3493	4384
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	93	214
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.26	32204	5650	3309	0.00	5844198	8976	12365
26	0.00	0.01	11.99	0.00	0.33	0.00	3051.67	221954	255	2407	8.58	472659	4914	5827
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0.00	1351	23	34
29	0.00	2.17	0.00	0.05	1.15	0.00	1.15	0	0	0	3.20	4050	379	331
30	0.00	1.86	0.02	0.00	1.75	0.00	7.73	10	9	2	49.44	3406	1228	2540
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	302324	0.00	434401	612	981
32	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	52.89	71.56	18511	15599	84303	2.98	1345703	6611	8219
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	159	15353	0	7.80	824381	1233	1575
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.37	22.94	89	27774	408659	12.20	248234	929	1362
कुल	**0.81**	**46.72**	**300.48**	**0.05**	**19.61**	**174.69**	**6,214.51**	**466150**	**103074**	**1323710**	**1,149.77**	**11832943**	**94472**	**113849**

अनुलग्नक - III

वर्ष 2023 के दौरान गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीयता वार - विदेशी नागरिक

क्रम संख्या	राष्ट्रीयता	सभी डीएलईए द्वारा गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्ति	एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	अंगोला	1	0
2	बांग्लादेश	24	0
3	बेनिन	2	0
4	ब्राजील	1	0
5	भूटान	2	0
6	बोलीविया	2	2
7	बुरुंडी	2	0
8	कैमरून	4	0
9	चीन	2	0
10	कांगो डीआरसी	1	0
11	कोटे डी लोविर	2	0
12	फ्रांस	2	0
13	फ्रेंच पोलिनेसिया	2	0
14	गैबॉन	1	0
15	गाम्बिया	1	0
16	घाना	3	0
17	गिनी	3	0
18	गिनी–बिसाऊ	1	0
19	हैती	1	0
20	आइवरी कोस्ट	6	3
21	ईरान	3	0
22	आयरलैंड	1	0
23	इंडोनेषिया	6	0
24	इटली	1	0
25	जापान	1	0
26	केन्या	12	2
27	किर्गिजस्तान	1	0
28	लाइबेरिया	6	0
29	मालदीव	1	1
30	म्यांमार	62	0
31	नेपाल	284	3
32	नाइजर	2	0
33	नाइजीरिया	144	19
34	उत्तर कोरिया	1	0
35	पाकिस्तान	4	1
36	रूस	5	2
37	सेरा लियोन	3	0
38	सेनेगल	1	0
39	सेशल्स	1	0
40	दक्षिण अफ्रीका	3	0
41	सूडान	3	0
42	तंजानिया	9	1
43	युगांडा	12	1
44	यू के	1	0
45	यूएसए	3	0
46	यमन	1	0
47	जाम्बिया	2	1
	कुल	636	36

अनुलग्नक - IV

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुखों का विवरण

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एएनटीएफ प्रमुख का नाम	पदनाम/रैंक	एएनटीएफ प्रमुख की ईमेल आईडी	संपर्क संख्या
01	आंध्र प्रदेश	श्री रवि प्रकाश, आईपीएस	डीआईजी	director-sebap@gmail-com	
		श्री एस हरि कृष्ण, आईपीएस	डीआईजीपी	nodalofficerndpsap@gmail-com supdtcsectionap@gmail-com cp@vspc-appolice-gov-in]	9440627222 0891-2754535
02	असम	श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता	एडीजी	adgp-cid@assampolice-gov-in	0361-2529157
03	अरुणाचल प्रदेश	श्री टेक रिंगू, आईपीएस	आईजीपी (अपराध)	igp-crime@arn-gov-in crbarunpol@gmail-com (section)	09436040703
04	बिहार	श्री नैय्यर हसनैन खान, आईपीएस	एडीजी (ईओयू)	adgecooffence-bih@gov-in	0612-2217829 09470001380
05	छत्तीसगढ	डॉ. संजीव शुक्ला	आईपीएस आईजी	digcidphq@gmail-com narco-cell@cg-gov-in	9479190158 9575010777 0771-2211400
06	गुजरात	श्री सुभाष त्रिवेदी, आईपीएस	आईजीपी (अपराध एवं रेलवे)	adgpcrime1@gujarat-gov-in	079-23254421 079-23254422 09978405071
07	गोवा	श्री ओम वीर सिंह, आईपीएस	आईजी	digpgoa@goapolice-gov-in	7875756005
08	हिमाचल प्रदेश	श्रीमती सतवंत अटवाल त्रिवेदी, आईपीएस	एडीजीपी	adgp&cid-hp@nic-in	0177-2622177
09	हरियाणा	श्री ओम प्रकाश सिंह, आईपीएस	एडीजीपी	ncbhry-pol@hry-gov-in	0184-2380001
10	झारखंड	श्री असीम विक्रांत मिंज, आईपीएस	आईजी (सीआईडी)	ig-cid@jhpolice-gov-in antf-cid@jhpolice-gov-in	9546598418
11	केरल	श्री एम आर अजीत कुमार, आईपीएस	आईजीपी (एलएंड. ओ)	adgplo-pol@kerala-gov-in	9497999992
12	कर्नाटक	श्री उमेश कुमार, आईपीएस	एडीजी (सी एंड टी एस)	adgpcts@ksp-gov-in 080-22943294	080-22212227 9480800106 080-22942821
13	महाराश्ट्र	श्री सदानंद दाते, आईपीएस	डीजीपी (एटीएस)	adg-ats@mahapolice-gov-in	022-230887336
14	मध्य प्रदेश	श्री जयदीप प्रसाद, आईपीएस	एडीजीपी	adg_nar@mppolice-gov-in	0755-24144833
15	मणिपुर	श्री कबीब, आईपीएस	आईजीपी	k-kabib-ips@gov-in	9436033471
16	मिजोरम	श्री वीनू बंसल, आईपीएस	आईजीपी	igpintel-phq@mizoram-gov-in	9625631003
17	मेघालय	श्री एफ. जी खारशिंग, आईपीएस	आईजीपी (सीआईडी)	igp-cid-meg@gov-in	7005398967 8974756226 0364-2222855
18	नागालैंड	श्री विक्रम खलाते मुकुंद. राव, आईपीएस	आईजीपी (सीआईडी)	igpint-ngl@gov-in igpcrime-ngl@gov-in	6009308008 0370-2221285

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एएनटीएफ प्रमुख का नाम	पदनाम/रैंक	एएनटीएफ प्रमुख की ईमेल आईडी	संपर्क संख्या
19	ओडिशा (उड़ीसा)	श्री अरुण बोथरा, आईपीएस	एडीजीपी	adgcidcb-orpol@nic-in	09437777777 0671-2304834 7606813438
		श्री जय नारायण पंकज, आईपीएस	आईजी	digpstf-odpol@nic-in	9437052115 674 -2530566
20	पंजाब	श्री कुलदीप सिंह, आईपीएस	विशेष. डीजी	control-stf-police@punjab-gov-in	0 172 2743272
21	राजस्थान	श्री आनंद कुमार, आईएएस	प्रधान सचिव	acs-home@rajasthan-gov-in	0141-2227568 9414055055
22	सिक्किम	श्री मनोज तिवारी, आईपीएस	आईजी/सीआ ईडी	igp-cid@sikkimpolice-nic-in	03592-201002
23	तमिलनाडु	श्री महेश कुमार अग्रवाल, आईपीएस	एडीजीपी	adgpcrimecamp-dgp@tn-gov-in]spnibcid@gmail-com	044-28511580 044-28447070 7401450000
24	तेलंगाना	श्री सी वी आनंद, आईपीएस	एडीजी	director-tsnab@tspolice-gov-in tsnabho-hyd@tspolice-gov-in spnarco1-tsnab@tspolice-gov-in	8712661234
25	त्रिपुरा	श्री लालमिंगा दरियोंग, आईपीएस	आईजीपी	igpcrime-tr@gov-in] sp-antinarcotics@tripurapo-lice-nic-in	03812305604
26	पष्चिम बंगाल	सुश्री देबस्मिता दास, आईपीएस	डीआईजी (एसटीएफ)	stfwbcr09@gmail-com igpii-stfwb@bangla-gov-in	033-23574366 033-23577067
27	उत्तराखंड	श्री ए.अंशुमन पी आईपीएस	एडीजी	adtfstate-ukp@uttarakhandpo-lice-uk-gov-in	0135-2712898
28	उत्तर प्रदेश।	श्री अब्दुल हमीद आईपीएस	डीआईजी	ig-antf-lu@up-gov-in	9454400466
29	दिल्ली	श्री रवींद्र सिंह यादव आईपीएस	विशाष सीपी (अपराध)	acp-narcotics&dl@delhipo-lice-gov-in	8750871207
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	श्री संजय त्यागी, आईपीएस	डीआईजी) आसूचना)	igpint-and@nic-in	03192-232334 9531856173
31	चंडीगढ़	श्री राज कुमार सिंह, आईपीएस	आईजी	igp-ut@chd-nic-in	9779580902
32	पुदुचेरी	श्री नर्रा चौतन्य, आईपीएस	एसएसपी	igp@py-gov-in ssplo@py-gov-in	9489205007
33	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	श्री मन्नी भूषण सिंह, आईपीएस	एसपी (मुख्यालय)	sp-hq-dnhdd@ddd-gov-in	0260-2220180 7005214339
34	लक्षद्वीप	श्री हरेश्वर वी स्वामी, आईपीएस	एसपी	lak-sop@nic-in	8700889157 0489-6262258
35	जम्मू और कश्मीर	श्री राम कुमार शर्मा, आईपीएस	एसएसपी	crimehqrs@jkpolice-gov-in igcrime-jk@nic-in antfqrs-jk@jkpolice-gov-in	0191-2572475 0194-2489026
36	लद्दाख	श्री शेख जुनैद महमूद, आईपीएस	डीआईजी	dig-ladakh@police-lada-kh-gov-in	9906586611

Consumption & Trafficking of Narcotic Drugs & Psychotropic Substances is Prohibited in Law and Punishable with Rigorous Imprisonment and Fine.

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का सेवन और तस्करी कानून में निषिद्ध हैं ओर कठोर कारावास और जुर्माने के साथ दण्डनीय हैं।

Issued in Public Interest by

Narcotics Control Bureau

Ministry of Home Affairs
Government of India

राष्ट्रीय नार्को समन्वय तंत्र (एनकोर्ड-NCORD)

शीर्ष स्तरीय एनकोर्ड (NCORD)
समिति बैठक (केन्द्रीय स्तर)
गृह सचिव (गृह मंत्रालय) के नेतृत्व में

कार्यकारी स्तरीय एनकोर्ड (NCORD)
समिति बैठक (केन्द्रीय स्तर)
विशेष सचिव (आन्तरिक सुरक्षा)
गृह मंत्रालय के नेतृत्व में

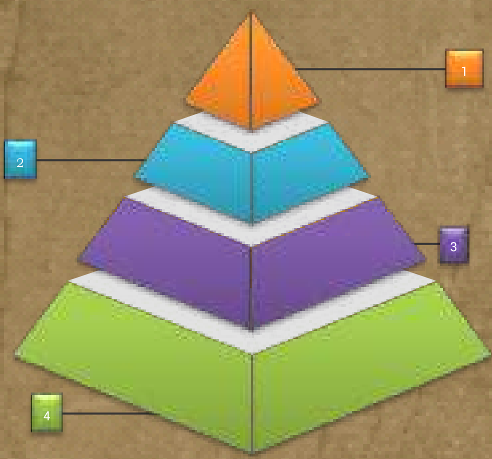

राज्य स्तरीय एनकोर्ड (NCORD)
समिति बैठक (राज्य स्तर)
मुख्य सचिवों के नेतृत्व में

जिला स्तरीय एनकोर्ड (NCORD)
समिति बैठक (जिला स्तर)
जिलाधिकारियों के नेतृत्व में

समन्वय एवं पहल

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
वेस्ट ब्लॉक –1, विंग –5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066
26181553, फैक्स नंबर 011&26185240
narcoticsbureau@nic.in www.narcoticsindia.nic.in
narcoticscontrolbureauindia @narcoticsbureau